सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
विरासत स्थलों, अभिलेखागारों एवं संग्रहालयों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्र. 7

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
विरासत स्थलों, अभिलेखागारों एवं संग्रहालयों के प्रबंधन
पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्र. 7

विषय–सूची

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सारांश		v
अध्याय I		
प्रस्तावना एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक संरचना	1.2	4
बजट प्रावधान एवं व्यय	1.3	6
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	7
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.5	8
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.6	8
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	1.7	9
अभिस्वीकृति	1.8	10
अध्याय II		
स्थलों का उत्खनन, पहचान, स्मारकों की अधिसूचना और संबंधित प्रकरण		
प्रस्तावना	2.1	11
उत्खननों की घटती संख्या	2.2	12
सर्वेक्षण में अपर्याप्तता एवं स्मारकों की अधिसूचना से संबंधित प्रकरण	2.3	13
अधिसूचना के उपरांत निरंतर कब्जे के प्रकरण	2.4	16
गलत स्मारक की अधिसूचना	2.5	20
विरासत स्थलों की अधिसूचना रद्द करना	2.6	22
अनुशंसाएँ	2.7	26
अध्याय III		
विरासत स्थलों का प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	27
नीतियाँ बनाने में कमियाँ	3.2	28
स्मारकों पर सुविधाएँ	3.3	29
सुरक्षा और अनुरक्षण/ रख–रखाव	3.4	36
अन्य स्मारकों में विशिष्ट मुद्दों से संबंधित मामले	3.5	47
आंतरिक नियंत्रण	3.6	61
असंरक्षित स्मारकों पर व्यय	3.7	64
अनुशंसाएँ	3.8	64
अध्याय IV		
संग्रहालयों का प्रबंधन		
प्रस्तावना	4.1	65
संग्रहालय के प्रबंधन के लिए नीति/ दिशा–निर्देश	4.2	67
आगंतुकों से जुड़ाव के प्रयासों की गैर मौजूदगी	4.3	70
डिजिटलीकरण	4.4	74
संग्रहालयों में अपर्याप्त सुरक्षा तंत्र	4.5	75
संग्रहालयों की कलाकृतियों और भवनों का रख–रखाव	4.6	77
प्राचीन सिक्कों का प्रबंधन/ सुरक्षित रख–रखाव	4.7	84
अनुशंसाएँ	4.8	86

विषय–सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
अध्याय V		
अभिलेखागारों का प्रबंधन		
प्रस्तावना	5.1	87
मानव संसाधन प्रबंधन	5.2	89
पुरालेखीय अभिलेखों का रखरखाव	5.3	90
अभिलेखों का भंडारण और संरक्षण	5.4	91
अनुशंसाएँ	5.5	95

अनुलग्नक		
अनुलग्नक क्रमांक	**शीर्षक**	**पृष्ठ क्रमांक**
1.1	लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों की सूची	97
1.2	चयनित संग्रहालयों की सूची	98
1.3	चयनित स्मारकों का क्षेत्रवार विवरण	99
3.1	संरक्षण में लिए जाने के बाद से संरक्षित नहीं किए गए स्मारकों की सूची	105
3.2	स्मारकों की सूची जहाँ पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं थे	107
3.3	स्मारकों की सूची जहाँ कोई साइन बोर्ड उपलब्ध नहीं था	109
3.4	स्मारकों की सूची जहाँ दंडात्मक साइन बोर्ड उपलब्ध नहीं था	112
3.5	स्मारकों की सूची जहाँ सुरक्षा सुरक्षागार्ड/ केयरटेकर नहीं पाए गए	117
3.6	स्मारकों की सूची जहाँ सुरक्षा बाड़/ दीवार नहीं थी	121
3.7	स्मारकों की सूची जहाँ संयुक्त भौतिक निरीक्षण में अतिक्रमण देखा गया	123
3.8	असंरक्षित स्मारकों पर किए गए अनियमित व्यय का विवरण	126

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य की विधान सभा के समक्ष रखे जाने हेतु मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2016–17 से 2020–21 की अवधि के दौरान ''विरासत स्थलों, अभिलेखागारों एवं संग्रहालयों के प्रबंधन'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किए गए दृष्टांत उनमें से हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भारत के मध्य राज्य, मध्य प्रदेश में, बड़ी संख्या में रमणीय स्मारकों यथा; प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, गुफाओं/ मंदिरों, महलों, किलों के साथ एक समृद्ध पुरातात्विक विरासत है। मध्य प्रदेश, संस्कृति विभाग के अधीन संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय; राज्य के स्मारकों, संग्रहालयों, अभिलेखों और राज्य अभिलेखागारों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण दस्तावेजों के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। ऐतिहासिक संरचनाओं, कलाकृतियों और पुरालेख संबंधी अभिलेखों का परिरक्षण, सुरक्षा और संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है ताकि ये समय के थपेड़ों के साथ नष्ट न हों। राज्य में विरासत संपत्तियों के महत्व को देखते हुए तथा मध्य प्रदेश में इस विषय पर पूर्व में कोई लेखापरीक्षा नहीं होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, "विरासत स्थलों, अभिलेखागारों एवं संग्रहालयों के प्रबंधन" विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा का चुनाव किया गया। विरासत स्थलों की पहचान, परिरक्षण तथा सुरक्षा के साथ संग्रहालयों एवं अभिलेखागारों के प्रबंधन पर विभाग के प्रयासों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2016–17 से 2020–21 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा संपादित की गई। इस हेतु आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय, भोपाल एवं उप संचालक, अभिलेखागार, भोपाल सहित 12 कार्यालयों को लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। राज्य शासन द्वारा अधिसूचित 526 स्मारकों में से 189, 43 संग्रहालयों में से 22 और सभी छः अभिलेखागारों का लेखापरीक्षा द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। **(अध्याय–I)**

राज्य के ऐसे स्मारकों, किलों, भवनों एवं स्थलों, जो पुरातात्विक शैली और ऐतिहासिक महत्व की कला में अद्वितीय हैं, को उनके उचित परिरक्षण, सुरक्षा और संरक्षण से पहले चिन्हित किया जाना है। हालाँकि, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों की पहचान के लिए, जिन्हें विभाग के संरक्षण के दायरे में लाया जा सके, कोई दिशा–निर्देश/ नियमावली उपलब्ध नहीं थी। 2011 से 2021 के दौरान, उत्खनन कार्य में भी उल्लेखनीय कमी आई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 में, यदि स्मारकों पर पहले से कब्जा है तो उन्हें अंतिम अधिसूचना जारी होने से पहले ही खाली कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। पुरातत्वीय स्थलों को गैर–अधिसूचित किए जाने से इनके संरक्षण में होने वाले कारकों के औचित्य और लाभ का उल्लेख किये बिना गैर–अधिसूचित किया गया और गैर–अधिसूचित किए जाने का एकमात्र उद्देष्य उन्हें हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करना था। यह अनुशंसा की जाती है कि कमियों को दूर करने के लिए विभाग उपयुक्त तंत्र स्थापित करे ताकि उत्खनन को बढ़ाया जा सके और संरक्षित स्मारकों के रूप में अधिसूचना के लिए एवं स्मारकों की पहचान के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएँ स्थापित कर समय–समय पर समीक्षा की जा सके। विभाग को अधिसूचित स्मारकों से अनियमित कब्जे, यदि कोई हो, की पहचान कर और उन्हें खाली कराना तथा वाणिज्यिक/ अन्य उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तित गैर–अधिसूचित स्मारकों की निगरानी करना और उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। **(अध्याय–II)**

इन विरासतों की पहचान, सुरक्षा, परिरक्षण, स्थिरता और वर्द्धन; राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि एक बार लुप्त होने के बाद इन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता है। विभाग की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि स्मारकों के प्रभावी संरक्षण के लिए कोई व्यापक नीति या दिशा–निर्देश तैयार नहीं किये गये थे। संरक्षित स्थलों पर जन सुविधाएँ जैसे स्वच्छ पेयजल, सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग आदि का अभाव था। कई मामलों में स्मारकों तक पहुँच मार्ग की कमी थी और व्याख्या अपर्याप्त थी, जिसके कारण आगंतुकों का अनुभव खराब रहा। इसके अलावा, परिचालकों/ देखभाल कर्ताओं की कमी, सुरक्षा दीवार/ बाड़ का अभाव, स्मारकों में और उनके पास अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण की घटनाएँ, स्मारकों में स्वच्छता का अभाव; रख–रखाव की कमी और अपर्याप्त सुरक्षा के सूचक थे, जिनके कारण इन स्मारकों पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि शैल कला के आसपास न तो बाड़ लगाई गई थी और न ही धूप एवं बारिश के प्रभाव से बचाने के लिए शेड का निर्माण किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान शैल कला में ह्रास, महलों और किलों के प्रबंधन में अपर्याप्तता, स्मारकों के मूल स्वरूप में परिवर्तन, असंरक्षण और खराब रख–रखाव के कारण ह्रास और स्मारकों में तोड़–फोड़ भी देखा गया। महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बावड़ियों का भी असंरक्षण, गैर रख–रखाव और पानी के अनधिकृत उपयोग के कारण ह्रास हुआ है। धार्मिक भवनों का भी बेहतर प्रबंधन किया जा सकता था जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा मंदिरों के स्वरूप में परिवर्तन और ह्रास देखा गया। उपर्युक्त को देखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि संरक्षित

स्मारकों के लिए वार्षिक संरक्षण योजना तैयार हो; संरक्षण कार्य, स्मारकों के मूल स्वरूप को परिवर्तित न करे; जनशक्ति की कमी को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाए और अतिक्रमण/ अवैध घुसपैठ या कब्जे के मामले, जिला प्रशासन के समन्वय से हटाया जाना सुनिश्चित किया जाए। **(अध्याय–III)**

मध्य प्रदेश के संग्रहालयों में मौर्यों, गुप्त, मुगल, मराठा, अंग्रेजों और यहाँ तक कि प्रागैतिहासिक काल के युग की याद दिलाते शिलालेख, पत्थर की मीनारें, चित्रकारियाँ, सिक्कें, कलाकृतियाँ, मूर्तियों का समृद्ध संग्रह है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग के पास संग्रहालयों के कुशल प्रबंधन के लिए कोई नीति/ दिशा–निर्देश नहीं थे। कलाकृतियों को समय–समय पर प्रदर्शित करने के लिए कोई रोटेशन नीति तैयार नहीं की गई थी। किसी भी आपदा की स्थिति में संग्रहालयों के खतरों को कम करने के लिए अभी तक विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जानी है। साथ ही, संग्रहालयों में कलाकृतियों के आवधिक सत्यापन के लिए कोई प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी और संग्रहालयों का भौतिक सत्यापन लंबे अंतराल के बाद किया जा रहा था। आगे, विभाग ने अपने नियंत्रणाधीन किसी भी संग्रहालय के डाटाबेस का डिजिटलीकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया। केवल कुछ संग्रहालयों में सी.सी.टी.वी. लगाए गए और चालू थे और किसी भी संग्रहालय में आग का पता लगाने और अलार्म प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। कर्मचारियों को भी अग्निशामक यंत्रों के संचालन में प्रशिक्षित नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा ने सभी संवर्गों, विशेष रूप से तकनीकी संवर्गो में, जनशक्ति की भारी कमी पाई जिससे संस्था के निष्पादन और परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निष्कर्षों को देखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग द्वारा संग्रहालयों के आवधिक रख–रखाव, प्रदर्शन और भंडारण दोनों में कलाकृतियों की मरम्मत, राज्य में सभी कलाकृतियों का एकीकृत और डिजिटलीकृत एक डाटाबेस विकसित करने और समय–समय पर उसे सत्यापित करने, समुचित जन सुविधाएँ प्रदान करने और पर्याप्त जन शक्ति नियुक्त करने हेतु एक प्रबंधन योजना बनाने के लिए कदम उठाया जाए। **(अध्याय–IV)**

अभिलेखागार महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर हैं और वे शोध के बुनियादी स्रोत हैं जो अतीत के जीवन को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि संग्रहित दस्तावेजों को पूर्ण रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया था। अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य केवल भोपाल अभिलेखागार में ही किया गया था और पिछले आठ वर्षों के दौरान 11 लाख से कुछ कम पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया था। इसके अलावा, छः में से किसी भी अभिलेखागार में कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। अतः, विभाग अभिलेखागार के दस्तावेजों की भौतिक स्थिति और आवश्यक रख–रखाव के स्तर का आकलन नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग द्वारा कर्मचारियों के लिए अग्निशमन यंत्रों के संचालन और अग्नि से बचाव अभ्यास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा, छः में से किसी भी अभिलेखागार में आग का पता लगाने के लिए स्वचालित अलार्म प्रणाली स्थापित नहीं पाई गई। इन मामलों पर नियंत्रण के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग, दस्तावेजों के निरंतर संरक्षण, सुलभ पुनः प्राप्ति के लिए सूचीबद्ध और डिजिटलीकरण को पूरा करे; कीट नियंत्रण उपायों, आग निरोधक और नियंत्रण उपकरण और समुचित भंडारण विधियों जैसी सुविधाएँ अनिवार्य रूप से अभिलेखागारों को प्रदान की जाए और मूल्यवान अभिलेखों के परिरक्षण के लिए संरक्षण और संरक्षण तकनीक जैसे धूमन, वि–अम्लीकरण आदि को अपनाना सुनिश्चित करे। **(अध्याय–V)**

अध्याय I

प्रस्तावना एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

अध्याय I

प्रस्तावना एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

सारांश

मध्य प्रदेश, एक समृद्ध पुरातात्विक विरासत और सुंदर स्मारकों जैसे प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों, गुफाओं, मंदिरों, महलों और किलों से संपन्न है। कुछ प्रमुख उदाहरणों में भीमबेटका तथा बाग की गुफाएँ, साँची स्तूप, खजुराहो और ओरछा के मंदिर, हिंडोला महल और जहाज़ महल आदि शामिल हैं। स्मारकों के समग्र प्रबंधन की जिम्मेदारी, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अधीन संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय की है। यह राज्य अभिलेखागार के तहत विभिन्न संग्रहालयों, अभिलेखों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रबंधन भी करता है। ऐतिहासिक संरचनाओं, कलाकृतियों और पुरालेखीय अभिलेखों का परिरक्षण, सुरक्षा और संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे कि ये समय के थपेड़ों के साथ नष्ट न होने पाएं। विरासत स्थलों, स्मारकों की पहचान, संरक्षण और सुरक्षा के साथ–साथ संग्रहालयों और अभिलेखागारों के प्रबंधन पर विभाग के प्रयासों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। इस उद्देश्य के लिए, आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल एवं उप निदेशक, अभिलेखागार, भोपाल सहित 12 कार्यालयों का चयन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा 2016–17 से 2020–21 की अवधि के लिए संपादित की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 526 अधिसूचित स्मारकों में से 189, 43 संग्रहालयों में से 22 एवं सभी छः अभिलेखागारों की वास्तविक स्थिति के बारे में बेहतर साक्ष्य प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा दल द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था।

1.1 प्रस्तावना

हमारी विरासत वह है जा हमें अतीत से उत्तराधिकार में मिली है जिससे हम वर्तमान में इसके महत्व को समझें और आनंद उठा सकें तथा संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित कर सकें, इसका संरक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

चित्र 1.1: सोलह खंबी, राजगढ़, चित्रः लेखापरीक्षा दल (08–09–2021)

मध्य प्रदेश पुरातात्विक दृष्टिकोण से भारत में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नर्मदा घाटी में संभावित अभिनूतन जीवाश्म और मानव कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। चंबल, शिवना, बेतवा, कालीसिंध और सोन जैसी अन्य

घाटियों में भी पुरापाषाण युग के विभिन्न जीवाश्म और कलाकृतियाँ एक बड़ी संख्या में खोजे गए हैं। इन क्षेत्रों में पाए गए कई शैलाश्रय एवं गुफाएं भी पाषाण युग की संस्कृतियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पुरातात्विक उत्खननों में, विभिन्न प्राचीन वस्तुएँ, जैसे भवनों की नींव, मिट्टी के बर्तनों की वस्तुएँ, टेराकोटा, धातु की वस्तुएँ, अनाज, मनके और आभूषण मिले हैं, जो ताम्रपाषाण कालीन लोगों के भौतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रांत ने इस क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के विकास और प्रसार को समझने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मध्य प्रदेश की विविध स्थापत्य संपदा एक गहन ऐतिहासिक विरासत से परिपूर्ण है और इसमें चट्टानों, दीवारों आदि पर उत्कीर्ण विभिन्न शिलालेखों के साथ–साथ बड़ी संख्या में स्तूप, मंदिर और किले भी सम्मिलित हैं।

अनुगामी भाग, जो कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों वाले उत्तरवर्ती अध्यायों को समझने में उपयोगी होगा, मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत का परिचय देता है। इन स्थलों का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस. आई.) या संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय (संचालनालय), मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है।

प्रागैतिहासिक स्थलः भीमबेटका गुफाएँ प्राचीनतम मानव, जो कि भारत में अस्तित्व में थे, के प्रमाण हैं और मध्य प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के तीन विश्व धरोहर स्थलों में से एक हैं। भीमबेटका के कुछ शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक शैलचित्र हैं और सबसे प्राचीन लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के हैं।

प्राचीन गुफाएँः प्रागैतिहासिक गुफाओं से भिन्न, इन गुफाओं से धार्मिक महत्व भी जुड़े हुए हैं।

धार जिले के कुक्षी तहसील में बाघ गुफाओं में राक–कट मंदिर इस क्षेत्र में गुप्त राजवंश के शासन को प्रमाणित करते हैं। वर्तमान युग के पाँचवीं और छठी शताब्दी के आसपास निर्मित बाघ गुफाओं में बौद्ध तत्व हैं और महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं के बिलकुल समान हैं।

मंदसौर जिले के गरोठ तहसील में पोला डोंगर गुफाएँ 9वीं–10वीं शताब्दी के दौरान लाल पत्थर से बनी थीं। ये गुफाएँ बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं।

स्तूपः बौद्ध धर्म की परंपरा में, स्तूपों का अत्यधिक महत्व है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में स्तूप वास्तुकला अपने शिखर पर थी। साँची स्तूप बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्तूप वास्तुकला में से एक है। इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया था और वर्तमान में यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है।

मंदिर वास्तुकलाः मध्य प्रदेश में मंदिरों की प्राचीनता और भव्यता, राज्य की संस्कृति का केंद्र है एवं राज्य की समृद्ध स्थापत्य विरासत का प्रमाण है।

विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह की नागर शैली वास्तुकला 11 वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान चंदेल राजाओं के काल में विकसित की गई थी।

खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य किया गया था। यह भव्य मीनारों एवं जटिल मूर्तिकला द्वारा चिह्नित एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का अनुसरण करता है और मध्य प्रदेश का तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह भारत में विदेशी पर्यटकों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय स्थलों में से एक है।

ओरछा में, चतुर्भुज मंदिर ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्मारक है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा मधुकर शाह द्वारा 1574 ईस्वी में प्रारम्भ किया गया था।

किले और महलः भारत में इस्लाम के प्रवेश से तत्कालीन प्राचीन वास्तुकला में एक नया विकास हुआ। इन दो अलग–अलग शैलियों का मेल, जो अब इंडो–इस्लामिक शैली बनने के लिए संविलीन हो रहा है, भारत की मध्यकालीन वास्तुकला की पहचान है। मालवा क्षेत्र ने भी इस परिवर्तन को अंगीकार किया और इसकी भूमि ने भी कुछ सबसे भव्य किलों, मकबरों आदि का निर्माण देखा।

इन्हें मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंश के रूप में जाना जाने लगा, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं: रानी रूपमती मंडप, हिंडोला महल, होशंगशाह का मकबरा, अशरफी महल, जहाज महल, आदि।

मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गाथा इसके अचंभित कर देने वाले किलों की श्रृंखला के रूप में प्रकट होती है। हिंगलाजगढ़ (मंदसौर जिले में) 10वीं–11वीं शताब्दी के दौरान एक बड़ा गढ़ नगर था जहाँ शैव, शाक्त, वैष्णव और जैन संप्रदायों से संबंधित मूर्तियों को एक विशिष्ट शैली में बनाया गया था। हिंगलाजगढ़ किले के अवशेषों से उत्खनन के दौरान 500 से अधिक प्रतिमाएँ/ मूर्तियाँ मिली थीं जो वर्तमान में इंदौर, भोपाल और भानपुरा के संग्रहालयों में प्रदर्शनी में हैं।

राज्य की समृद्ध मूर्त विरासत महान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य का समावेश है, जिसके चलते यह एक अद्वितीय पर्यटक क्षमता का दावा करती है। इसलिए ऐतिहासिक महत्व की इन संरचनाओं का परिरक्षण[1], सुरक्षा और संरक्षण हमारे हित में है और इसे उपयुक्त प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे समय के थपेड़ों और सामाजिक उदासीनता के कारण नष्ट न होने पाएँ।

चित्र 1.2: भीमबेटका शैलाश्रय (02–01–2022)

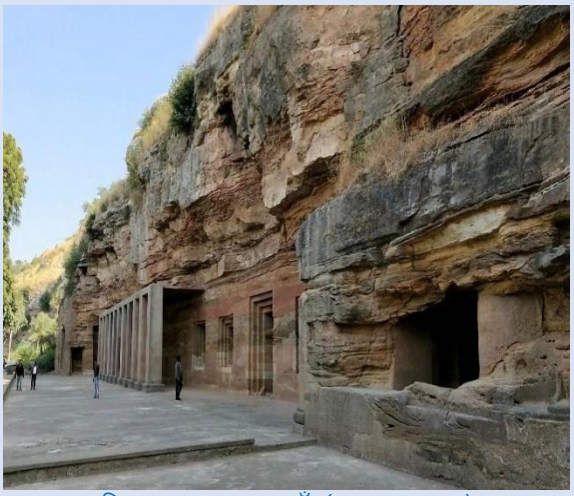

चित्र 1.3: बाघ गुफाएँ (12–01–2022)

चित्र 1.4: पोला डोंगर गुफाएँ (06–10–2021)

चित्र 1.5: साँची स्तूप (03–01–2022)

[1] परिरक्षण का अर्थ, जानबूझकर मानव हस्तक्षेप से या प्राकृतिक कारकों की क्रिया के कारण स्मारक की बनावट या इसके निकट परिवेश को क्षरण से, स्मारक की स्थापना सहित इसकी यथास्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होने देना है।

चित्र 1.6: कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो (12–11–2021)

चित्र 1.7: चतुर्भुज मंदिर, ओरछा (23–09–2021)

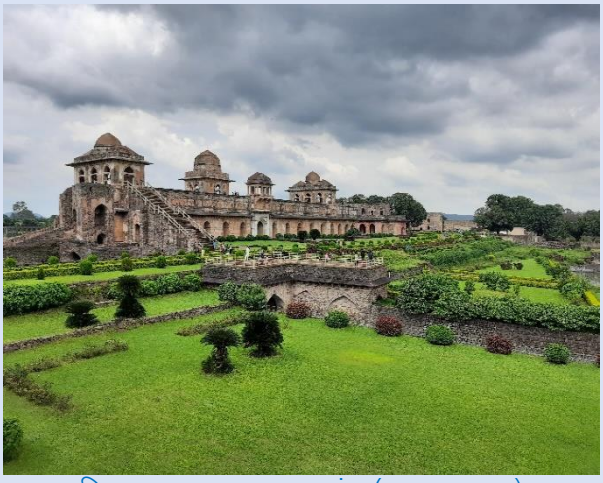
चित्र 1.8: जहाज महल, मांडू (28–09–2021)

चित्र 1.9: रानी रूपमती मंडप, मांडू (28–09–2021)

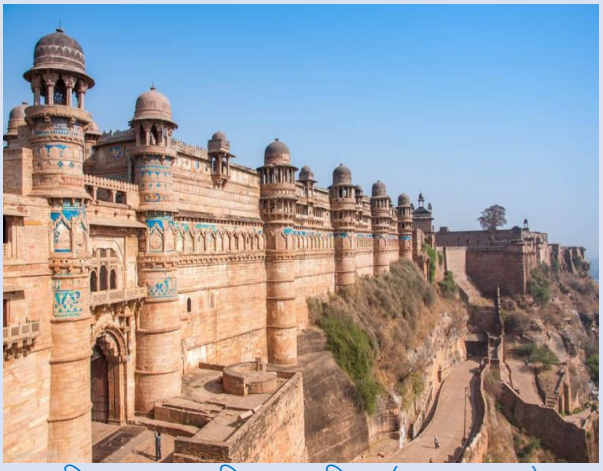
चित्र 1.10: ग्वालियर का किला (09–09–2021)

चित्र 1.11: हिंगलाजगढ़ किला, मंदसौर (07–10–2021)

1.2 संगठनात्मक संरचना

ए.एस.आई., मध्य प्रदेश के 290 स्मारकों को संरक्षित करता है, जबकि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत संचालनालय 526 अन्य स्मारकों को संरक्षित करता है।

संचालनालय, मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी। संचालनालय, राज्य अभिलेखागार का गठन 1974 में किया गया था जबकि राज्य में सांस्कृतिक परंपराओं और पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्व

के स्मारकों के परिरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा संस्कृति विभाग के अंतर्गत पुरातत्व संचालनालय की स्थापना 1980 में की गई थी। राजकीय अभिलेखागार को 1994 में पुरातत्व संचालनालय में विलय कर संचालनालय, मध्य प्रदेश का गठन किया गया था।

संचालनालय, राज्य भर में फैले हुए स्मारकों के सर्वेक्षण, पहचान, फिल्मांकन, संकलन और परिरक्षण, प्रदर्शन, उत्खनन और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न संग्रहालयों के माध्यम से पुरावशेषों का संग्रह, संरक्षण और प्रदर्शन भी सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, संचालनालय द्वारा चित्रों का जीर्णोद्धार और महत्वपूर्ण मूर्तियों की प्रतिकृतियों का पुनर्निर्माण, पुरातत्व पर केंद्रित प्रदर्शनियों और अनुसंधान संगोष्ठियों का आयोजन, पुरातात्विक सामग्री का प्रकाशन, और राजकीय अभिलेखागार के अंतर्गत अभिलेखों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रचार–प्रसार भी किया जाता है।

संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे संचालनालय का संगठन चार्ट नीचे दर्शाया गया है:

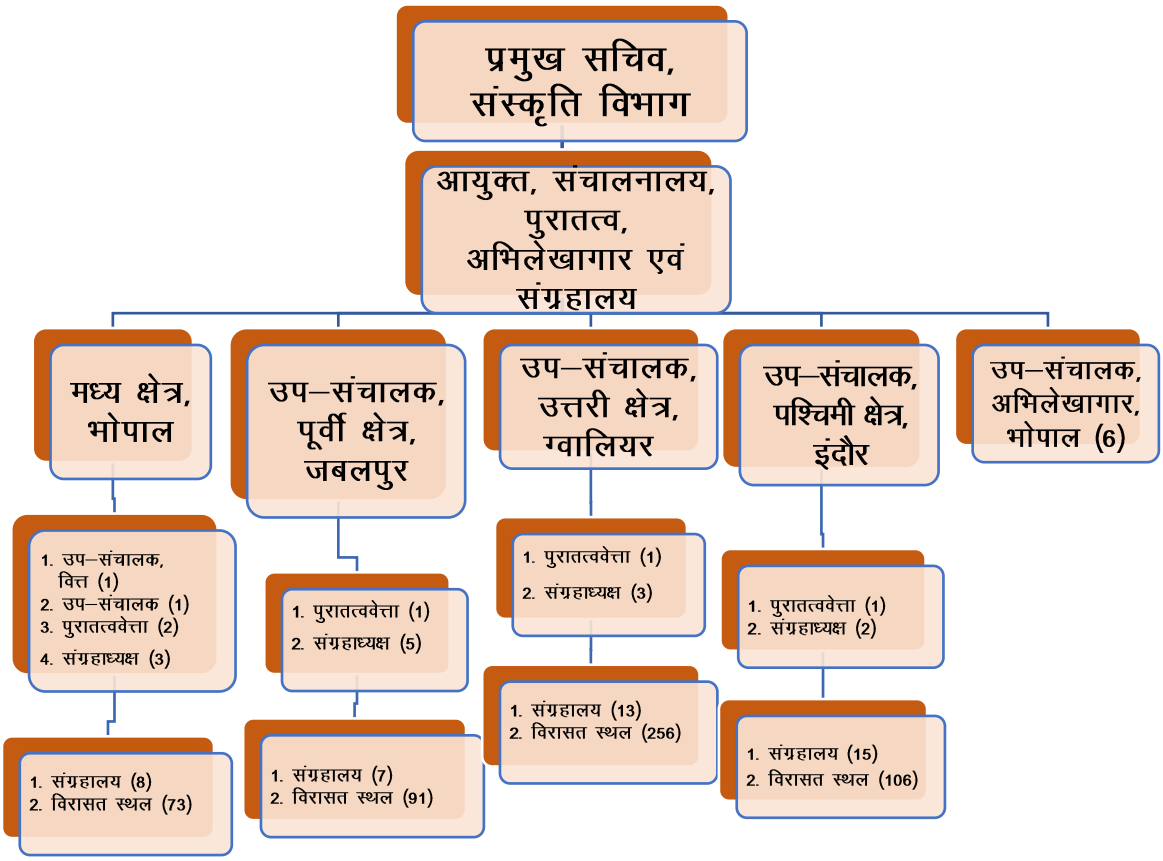

प्रमुख सचिव द्वारा शासन स्तर पर संस्कृति विभाग का नेतृत्व किया जाता है। कार्यालय, आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय (विभाग प्रमुख) संस्कृति विभाग के अधीन कार्य करता है। उत्खनन, सर्वेक्षण, अनुरक्षण, मुद्राशास्त्र[2], प्रतिकृति, रसायन, छायांकन, प्रकाशन एवं संग्रहालय संचालनालय में कार्यरत विभिन्न शाखाएँ हैं। राज्य विभाजन के पश्चात्, तीन क्षेत्रीय उप संचालक कार्यालय, अर्थात् जबलपुर में स्थित पूर्वी क्षेत्र, इंदौर में पश्चिमी क्षेत्र और ग्वालियर में उत्तरी क्षेत्र की स्थापना संचालनालय के अंतर्गत की गई। भोपाल में मध्य क्षेत्र सीधे संचालनालय के अधीन कार्य कर रहा है। भोपाल की अभिलेखागार शाखा के अंतर्गत, इंदौर और ग्वालियर में दो क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्य कर

[2] सिक्कों और पदकों का अध्ययन या संग्रह।

रहे हैं। संग्रहाध्यक्ष संग्रहालयों का प्रबंधन संभालते हैं, जबकि पुरातत्ववेत्ता स्मारकों के सर्वेक्षण, पहचान, अधिसूचना और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

संचालनालय के अतिरिक्त, कुछ अन्य सरकारी संस्थाएँ स्मारकों की सुरक्षा के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी नहीं होने के बाद भी, ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन स्मारकों से सबंधित कार्य कर रही हैं। शहरी विकास और आवास विभाग, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सात[3] स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ विरासत भवनों के नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एम.पी.एस.टी.डी.सी.) ने स्मारकों को विरासत होटलों में परिवर्तित करने के लिए हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शुरू की थी। इस उद्देश्य के लिए, निगम ने पिछले दस वर्षों की अवधि में संचालनालय से सात[4] स्मारकों का अधिग्रहण किया है।

1.3 बजट प्रावधान एवं व्यय

वर्ष 2016–17 से 2020–21 की अवधि में विभाग द्वारा किए गए बजट प्रावधान एवं व्यय निम्न तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.1: बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट की मांग की गई	बजट प्रावधान	व्यय	मांगे गए बजट के विरुद्ध व्यय (प्रतिशत)	बजट प्रावधान के विरुद्ध बचत	
						राशि	*प्रतिशत*
1	2016–17	41.71	39.48	27.18	65.16	12.30	31.16
2	2017–18	43.90	36.01	28.98	66.01	7.03	19.52
3	2017–18	44.95	41.85	30.92	68.78	10.93	26.11
4	2019–20	52.55	49.82	34.88	66.37	14.94	29.98
5	2020–21	49.07	38.00	32.73	66.70	5.27	13.87
कुल		**232.18**	**205.16**	**154.69**	**66.63**	**50.47**	**24.60**

(स्रोतः कार्यालय आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय, भोपाल)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- माँगे गए बजट के विरुद्ध व्यय 65.16 और 68.78 प्रतिशत के मध्य था, जो सभी लेखापरीक्षित वर्षों में बजट अनुमानों के बढ़ा–चढ़ा कर बनाये जाने के तरीके को दर्शाता है। निधियों के आंशिक उपयोग के बाद भी सभी पाँच वर्षों में अधिक माँग के कारणों को लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया जा सका।
- संचालनालय संबंधित वर्षों में आवंटित धनराशि व्यय करने में विफल रहा। बचत आवंटित बजट के 13.87 और 31.16 प्रतिशत के मध्य थी, इससे पता चलता है कि विभाग ने संरक्षण कार्य के वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की पाँच वर्ष की अवधि में विभाग द्वारा किये गये शीर्षवार व्यय की जानकारी माँगी थी। जानकारी निम्न तालिका 1.2 में दी गई है:

तालिका 1.2: 2016–17 से 2020–21 तक की अवधि के लिए शीर्षवार बजट आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	व्यय शीर्ष	कुल		आवंटन की तुलना में व्यय में प्रतिशत कमी
		आवंटन	व्यय	
1	उत्खनन एवं सर्वेक्षण कार्य	2.84	0.96	66.30
2	स्मारकों का अनुरक्षण कार्य	17.40	9.27	46.70
3	रासायनिक उपचार	0.77	0.65	16.02

[3] भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन।

[4] बलदेवगढ़ किला (टीकमगढ़), विजयराघवगढ़ किला (कटनी), केवटी किला (रीवा), राजगढ़ पैलेस (छतरपुर), ताजमहल पैलेस (भोपाल), माधवगढ़ किला (सतना), और रॉयल होटल (जबलपुर)।

सं. क्र.	व्यय शीर्ष	कुल		आवंटन की तुलना में व्यय में प्रतिशत कमी
		आवंटन	व्यय	
4	स्मारकों की सुरक्षा व्यवस्था	31.50	28.22	10.43
5	डॉ.वी.एस. वाकणकर सृजन पीठ	1.52	0.55	63.54
6	पुरातत्व गतिविधियों का विज्ञापन	2.38	1.39	41.42
7	अभिलेखागार का संरक्षण	1.81	1.42	21.43
8	पुस्तकालयों का सुधार एवं विकास	2.51	0.86	65.61
9	संग्रहालयों का अनुरक्षण	8.47	3.76	55.54
10	जिला पुरातत्व संग्रहालयों पर व्यय	3.92	2.66	32.13
11	मॉडलिंग	0.24	0.15	35.26
12	पुरातत्व महत्व की कलाकृतियों का क्रय	0.09	0.01	84.22
कुल		**73.46**	**49.93**	**32.03**

(स्रोतः कार्यालय आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय, भोपाल)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि विभाग, विभिन्न मदों के अंतर्गत आवंटित अनुदान के 32 प्रतिशत का उपयोग पुरातात्विक स्थलों के सुधारकार्य, जीर्णोद्धार, उत्खनन आदि के लिए नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, ₹ 23.53 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही। विभाग ने आंशिक रूप से अधिकांश कमियों के लिए (आगे इंगित किया गया) धनराशि की कमी को उत्तरदायी ठहराया। यह एक विडम्बनापूर्ण स्थिति है जहाँ एक विभाग जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, नियत उद्देश्य के लिए धनराशि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहा।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि आवंटित धनराशि का उपयोग न करने का मुख्य कारण एक वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कार्यों का पूर्ण न होना था। यह कर्मचारियों की भारी कमी के कारण भी था और वेतन के अंतर्गत आवंटित धनराशि को प्रति वर्ष समर्पित किया जा रहा है।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित केंद्रीय और राज्य कानूनों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों से व्युत्पन्न किए गए हैं:

- प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (केंद्रीय अधिनियम);
- मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष (ए.एम.ए.एस.आर.) अधिनियम, 1964 एवं 1970 (संशोधन अधिनियम);
- ए.एस.आई., राष्ट्रीय संग्रहालय और स्वायत्त संग्रहालयों के अधिनियमों और नियमों तथा विनियमों का कार्यान्वयन;
- ए.एस.आई. संग्रहालयों के लिए दिशा–निर्देश;
- अभिलेखागारों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए भारतीय मानक 2663:1989, 11460:1985 और सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993;
- प्राचीन स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के संरक्षण की राष्ट्रीय नीति, 2014;
- मध्य प्रदेश ए.एम.ए.एस.आर. नियम, 1975;
- पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 और 1973;
- राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाई गई नीति, नियम और आदेश;
- विभाग की गतिविधियों को संचालित करने के लिए राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएँ/ दिशा–निर्देश; तथा

- स्मारकों और पुरावशेषों के संरक्षण से संबंधित नियमावली जैसे पुरातत्वीय कार्य नियमावली और जॉन मार्शल संरक्षण नियमावली[5]।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से की गई थी कि क्याः

- ऐतिहासिक महत्व के विरासत/ उत्खनन स्थलों और स्मारकों की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में प्रयास, पर्याप्त और प्रभावी थे; तथा
- संग्रहालयों और अभिलेखागारों का उचित प्रबंधन किया जा रहा था।

1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

यह लेखापरीक्षा, संचालनालय द्वारा स्मारकों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के संरक्षण की कार्यप्रणाली का आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए की गई।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश के अधीन राज्य संरक्षित स्मारकों, अभिलेखागारों और संग्रहालयों से संबंधित गतिविधियों तक सीमित थी। संचालनालय से अन्य एजेंसियों/ विभागों, जैसे स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पर्यटन विभाग को हस्तांतरित स्मारकों के प्रकरणों की भी जाँच की गई।

कलाकृतियों की स्थिति की जाँच के लिए, लेखापरीक्षा ने संचालनालय के नियंत्रण में स्थित सात[6] राज्य संग्रहालयों, छः[7] जिला संग्रहालयों, तीन[8] स्थानीय संग्रहालयों और दो[9] स्थल संग्रहालयों को एवं जिला प्रशासन के नियंत्रण में स्थित चार[10] पुरातत्व संघ संग्रहालय को सम्मिलित किया था।

लेखापरीक्षा के अंतर्गत 2016–17 से 2020–21 तक की अवधि शामिल थी। पूर्व की अवधियों से संबंधित अभिलेखों की भी आवश्यकतानुसार संवीक्षा की गई।

कार्यालयों का चयन

चार क्षेत्रों अर्थात् मध्य क्षेत्र (भोपाल), पश्चिम क्षेत्र (इंदौर), उत्तर क्षेत्र (ग्वालियर) और पूर्व क्षेत्र (जबलपुर) में पुरातत्ववेत्ता–सह–संग्रहाध्यक्ष के 22 कार्यालय हैं जिनमें से 12 कार्यालयों को सरल यादृच्छिक नमूनाकरण[11] के माध्यम से लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त, विषय के समग्र विश्लेषण के लिए, शीर्ष इकाई होने के कारण आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल को और अभिलेखागारीय मामलों को देखने के लिए एकमात्र कार्यालय होने के कारण उप संचालक, अभिलेखागार, भोपाल को लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। चयनित इकाइयों की सूची का विवरण **अनुलग्नक–1.1** में दिया गया है।

भौतिक निरीक्षण के लिए विरासत स्थलों का चयन

संचालनालय के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के लिए चयनित विरासत स्थलों का चयन स्थलों के ऐतिहासिक महत्व और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए किया गया था। चयन विवरण इस प्रकार हैः

---

5 इस नियमावली का प्रकाशन 1922 में ए.एस.आई. के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था और ए.एस.आई. के तहत स्मारकों के संरक्षण के लिए मुख्य प्राधिकार है।

6 भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन।

7 देवास, धार, होशंगाबाद, निवाड़ी, रीवा और विदिशा।

8 आशापुरी (रायसेन), चंदेरी (अशोकनगर) और महेश्वर (खरगोन)।

9 छप्पन महल– (मांडू, धार) और गोलघर (भोपाल)।

10 बैतूल, दतिया, खंडवा और सिवनी।

11 यह यादृच्छिक तरीके से नमूना चुनने की एक प्रक्रिया है।

➢ संग्रहालय

संग्रहालयों को पाँच श्रेणियों अर्थात् राज्य स्तर, जिला स्तर, स्थानीय संग्रहालय, स्थल संग्रहालय (ये सभी चार श्रेणियाँ संचालनालय के नियंत्रण में हैं) और पुरातत्व संघ संग्रहालय (संबंधित जिला प्रशासन के नियंत्रण में) में बाँटा गया है। लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक निरीक्षण के लिए चार क्षेत्रों के 43 संग्रहालयों में से 22[12] का चयन किया जिसका विवरण **अनुलग्नक–1.2** में देखा जा सकता है।

➢ स्मारक

यहाँ 526 राज्य संरक्षित स्मारक चार क्षेत्रों नामतः मध्य क्षेत्र (भोपाल में मुख्यालय के साथ), पश्चिम क्षेत्र (इंदौर), उत्तर क्षेत्र (ग्वालियर) और पूर्वी क्षेत्र (जबलपुर) में विस्तृत हैं। इन 526 स्मारकों को सात[13] श्रेणियों में बाँटा गया था। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत स्मारकों के नमूने लेने के लिए सरल यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति को अपनाया गया था।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 526 स्मारकों में से 89 स्मारकों (17 प्रतिशत) को संयुक्त भौतिक निरीक्षण के लिए चयनित (सरल यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति के माध्यम से) किया गया था। इसके अलावा, प्रासंगिक विषयों की बेहतर समझ के लिए लेखापरीक्षा ने नमूना में शामिल स्मारकों के समीप के 104 स्मारकों का भी संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। नमूने में शामिल 89 स्मारकों में से 85 स्मारकों का संयुक्त निरीक्षण किया जा सका। शेष चार[14] स्मारकों का दुर्गमता के कारण निरीक्षण नहीं किया जा सका।

तदनुसार, कुल 189 स्मारकों (85 नमूना और 104 समीपस्थ स्मारकों) का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। चयनित स्मारकों का क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक 1.3** में दिया गया है।

➢ अभिलेखागार

उप संचालक, अभिलेखागार, भोपाल के कार्यालय को अभिलेखागारीय मामलों को देखने के लिए एकमात्र ऐसा कार्यालय होने के कारण स्वाभाविक रूप से चुना गया था। उप संचालक के अंतर्गत ग्वालियर और इंदौर में दो क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय हैं। इन कार्यालयों के अंतर्गत भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में छः अभिलेखीय स्थल कार्य कर रहे हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए सभी छः अभिलेखीय स्थलों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया।

1.7 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2016 से मार्च 2021 की अवधि के लिए संचालनालय, उप निदेशकों के कार्यालयों और संग्रहाध्यक्षों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना–जाँच (जुलाई 2021 और दिसंबर 2021 के मध्य) की। स्मारकों और कलाकृतियों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण लेखापरीक्षा एवं विभाग के अधिकारियों के साथ किया गया था। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान प्रासंगिक तस्वीरें ली गईं। सिक्कों और कलाकृतियों का यादृच्छिक भौतिक सत्यापन भी किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा कलाकृतियों, अभिलेखागारों, भवनों, संग्रहालयों और स्मारकों की तस्वीरें स्थलों के दौरे के दौरान और विभाग के अभिलेखों से ली गईं और प्रतिवेदन में उपयोग की गईं।

मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (15 जुलाई 2021) आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया था। अभिलेखों की नमूना–जाँच, प्रस्तुत आँकड़ों के विश्लेषण, स्थलों के दौरे और विभाग द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए। विभाग का उत्तर जुलाई 2022 में प्राप्त हुआ था।

---

12 मध्य क्षेत्र (आठ में से छः), पूर्वी क्षेत्र (सात में से चार), उत्तरी क्षेत्र (13 में से पाँच) और पश्चिम क्षेत्र (15 में से सात)।

13 धार्मिक भवन, शैल कला, किले, महल, समाधि/ मकबरा, बावड़ी और अन्य।

14 होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित चार शैल कला स्थलों का दौरा नहीं किया जा सका क्योंकि वे वन्यप्राणी रिजर्व के भीतर थे और दुर्गम थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, पुरातत्व के साथ निर्गम सम्मेलन (26 जुलाई 2022) के दौरान चर्चा की गई। विभाग की प्रतिक्रियाओं और निर्गम सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए अभिमतों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.8 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों और उनके क्षेत्रीय कर्मचारियों के सहयोग का धन्यवाद करता है। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय–स्तर के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी संरक्षण प्रक्रिया को समझने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई।

अध्याय II

स्थलों का उत्खनन, पहचान, स्मारकों की अधिसूचना एवं संबंधित प्रकरण

अध्याय II

स्थलों का उत्खनन, पहचान, स्मारकों की अधिसूचना एवं संबंधित प्रकरण

सारांश

लेखापरीक्षा में पता चला कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्खनन कार्यों में भारी कमी आई है, जो विभाग में घटती अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों को दर्शाता है। संरक्षण हेतु स्मारकों के चयन के लिए एक समान आधार प्रदान करने बाबत् दिशा–निर्देशों अथवा नियमावली का अभाव था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ स्मारक ऐसे थे जो कि 100 वर्षों से अधिक पुराने और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले होने के बावजूद, संभवतः पर्याप्त सर्वेक्षण की कमी के कारण विभाग द्वारा संरक्षित के लिए अधिसूचित नहीं किए गए। स्मारकों के पहले से ही अधिग्रहित होने की स्थिति में, मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964 में उन्हें अंतिम अधिसूचना जारी होने से पहले रिक्त कराने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सात प्रकरणों में अनधिकृत कब्जा धारियों ने स्मारकों के संरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद भी अपना कब्जा जारी रखा तथा विभाग के प्रयासों के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। सात विरासत स्थलों को उनके संरक्षण के औचित्य तथा लाभों का उल्लेख किये बिना ही उन्हें विरासत होटलों में परिवर्तित करने के एकमात्र उद्देश्य से गैर अधिसूचित किया गया। तत्पश्चात, इन विरासत स्थलों को विरासत होटलों में परिवर्तित नहीं किया गया और नियमित अनुरक्षण तथा रख–रखाव के अभाव में, ये विरासत स्थल दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे।

2.1 प्रस्तावना

राज्य में स्मारक, किले, इमारतें और स्थल जो की अपनी कला, पुरातात्विक शैली और ऐतिहासिक महत्व में अद्वितीय हैं, को उनके उचित परिरक्षण, सुरक्षा और संरक्षण से पूर्व, प्रथम चरण में, चिन्हित किया जाना है।

प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति, 2014, के बिंदु संख्या 1.09 के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, औद्योगिक विरासत[1] और स्थानीय विरासत के साथ–साथ सांस्कृतिक परिदृश्यों, सांस्कृतिक मार्गों, ऐतिहासिक उद्यानों, ऐतिहासिक शहरों (बस्तियों और परिसरों), आदि की पहचान करने की प्रक्रिया को नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश राज्य में, संचालनालय, प्रथमतः पुरातात्विक सर्वेक्षणों और अन्वेषणों का संचालन करके, उनकी उचित सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्मारकों की पहचान करता है। स्मारकों के उचित दस्तावेजीकरण और राजस्व विभाग से उनके भूमि विवरण के संग्रह के बाद इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, और स्थापत्य विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और स्मारकों को 'संरक्षित' घोषित करने के लिए राज्य सरकार को भेजे जाते हैं। तत्पश्चात, मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (ए.एम.ए.एस.आर. अधिनियम, 1964) की धारा 3(1) के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार स्मारकों को राज्य संरक्षित घोषित करती है।

पहचान और अधिसूचना के अतिरिक्त, उत्खनन भी पुरातत्व संस्थान द्वारा की जाने वाली एक आवश्यक गतिविधि है जो एक पुरातात्विक स्थल के सांस्कृतिक अनुक्रम को जन्म देती है। उत्खनन, पहचान और परतों के व्यवस्थित वर्गीकरण में मदद करता है, जो प्राचीन वस्तुओं के सटीक तिथि निर्धारण और स्थल पर विभिन्न चरणों के गतिविधियों के चित्रण को सक्षम बनाता है। स्ट्रेटीग्राफी के सिद्धांतों के आधार पर इन परतों के उत्खनन के पश्चात, कलाकृतियाँ उस स्थल पर संस्कृतियों की प्राचीनता एवं विकास पर प्रकाश डालती हैं। मध्य प्रदेश में 1958 से संचालनालय के तत्वावधान में उत्खनन हो रहा है।

---

[1] औद्योगिक विरासत प्रौद्योगिकी और उद्योग जैसे कि विनिर्माण और खनन स्थल तथा ऊर्जा और परिवहन के बुनियादी ढाँचे के इतिहास के भौतिक अवशेषों को संदर्भित करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, अपर्याप्त उत्खनन, सर्वेक्षण में अपर्याप्तता, त्वरित अधिसूचनाएं, तृतीय पक्षों (सरकारी और निजी) द्वारा स्मारकों पर निरंतर कब्जा और संरक्षित स्मारकों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग से संबंधित कमियाँ देखी गईं। इनकी चर्चा आगे के कंडिकाओं में की गई है।

2.2 उत्खननों की घटती संख्या

पुरातात्विक अवशेषों का उत्खनन, संचालनालय के प्राथमिक उत्तरदायित्वों में से एक है। ए.एम.ए.एस. आर. अधिनियम, 1964, की धारा 21 और 22 के अनुसार, कोई पुरातत्व अधिकारी या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अधिनियम के अधीन इस निमित्त प्रदत्त अनुज्ञप्ति रखने वाला कोई व्यक्ति, किसी संरक्षित या असंरक्षित क्षेत्र में उत्खनन कर सकता है और उत्खनन रिपोर्ट यथाशीघ्र राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकता है ताकि सरकार ऐसे किसी भी पुरावशेष की अनिवार्य खरीद के लिए आदेश दे सके।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमोदन के तहत, 29 उत्खनन कार्य (1985 से 2021 के बीच) किए गए थे। किए गए उत्खनन कार्यों का विवरण नीचे **तालिका 2.1** में देखा जा सकता है–

तालिका 2.1–किए गए उत्खनन कार्य का विवरण

क्र.सं.	अवधि	किए गए उत्खनन कार्यों की संख्या
1	1985 से 1990	4
2	1991 से 2000	11
3	2001 से 2010	11
4	2011 से 2021	3
	कुल	**29**

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों (2011 से 2021) में उत्खनन कार्य की संख्या में काफी गिरावट आयी है, केवल तीन विरासत स्थलों (भिंड में कोशन, हरदा में विरजाखेड़ी और उज्जैन में ऋणमुक्तेश्वर) में उत्खनन कार्य किया गया है। यह देखा गया कि–

- विरजाखेड़ी में उत्खनन कार्य दिसंबर 2012 में शुरू हुआ था और सितंबर 2013 में पूरा किया गया। हालाँकि विभाग ने कहा (जुलाई 2021) कि वहाँ और ज्यादा अन्वेषण की आवश्यकता थी, इसे नहीं किया गया (मार्च 2022)।
- कोशन का उत्खनन कार्य सितंबर 2015 में पूरा हुआ और उत्खनन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, लेकिन मार्च 2022 तक यह प्रकाशित नहीं की गई।
- ऋणमुक्तेश्वर में गत उत्खनन कार्य जनवरी 2020 में शुरू किया गया लेकिन कोविड–19 के कारण अधूरा रह गया और यह अगस्त 2021 में फिर से शुरू हुआ और अक्टूबर 2021 तक किया गया।
- तीनों प्रकरणों में, पर्याप्त समय व्यतीत होने के पश्चात भी, उत्खनन के निष्कर्षों को दर्शाने वाला विस्तृत प्रतिवेदन अभी तक तैयार कर मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उत्खनन कार्य करने में इस तरह की भारी कमी विभाग में अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों में गिरावट का संकेत देती है। उत्खनन एक ऐसी गतिविधि है जिसे विभाग द्वारा उचित महत्व देने की आवश्यकता है क्योंकि बढ़ती विकासात्मक गतिविधियों के साथ, हमारे अज्ञात ऐतिहासिक धरोहरों के नष्ट होने या मिट जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त उत्खनन के लिए अलग से कोई धनराशि भी आवंटित नहीं की गई है।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक उत्खनन में एक उत्खनन निदेशक का होना अनिवार्य है, लेकिन विभाग में लगभग 90 प्रतिशत अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की कमी के कारण, उत्खनन कार्यों में कमी हुई। कर्मचारियों की कमी के कारण सिर्फ उत्खनन कार्यों का प्रारंभिक प्रतिवेदन ही तैयार किया जा सका। हालाँकि विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य अभी प्रक्रियाधीन है।

2.3 सर्वेक्षण में अपर्याप्तता एवं स्मारकों की अधिसूचना से संबंधित प्रकरण

एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर विरासत संसाधनों की व्यवस्थित जाँच के लिए विरासत सर्वेक्षण एक अच्छी तरह से स्थापित तकनीक है। एक विरासत सर्वेक्षण में अन्तर्विष्ट जानकारी लोक अभिमूल्यन तथा एक क्षेत्र के इतिहास और इसके विरासत स्थलों के संयुक्त महत्व को बढ़ा सकता है। विरासत के संरक्षण के बारे में निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा विरासत सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग किया जाता है। इसी तरह, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिसूचना के प्रत्येक प्रस्ताव की पर्याप्त और समय पर जाँच की जाती है, सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तावों की निगरानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। उपर्युक्त प्रकरणों में देखी गई कमियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

2.3.1 सर्वेक्षण की प्रक्रिया विद्यमान है, लेकिन पहचान की प्रक्रिया विद्यमान नहीं है

संचालनालय को किसी क्षेत्र में स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई स्मारक प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का है, जिससे यह तय किया जा सके कि क्या इसे विनाश, क्षति, परिवर्तन, काट–छाँट, विरूपण, अपनयन, विसर्जन या क्षय से सुरक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही, केवल वे स्मारक जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में हैं, को राज्य संरक्षित घोषित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1995 से 2021 की अवधि के दौरान, संचालनालय द्वारा राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल करने हेतु स्मारकों की पहचान करने के लिए मध्य प्रदेश के 52 में से केवल 30 जिलों में विस्तृत सर्वेक्षण किया जा सका। सर्वेक्षण किए गए 30 जिलों में से–

- विभाग द्वारा इन 30 जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों का ग्राम–वार सर्वेक्षण किया गया था।
- सर्वेक्षण किए गए 30[2] जिलों में से, केवल 21[3] जिलों के संबंध में सर्वेक्षण प्रतिवेदन अब तक (मार्च 2022) प्रकाशित किए गए हैं। अन्य चार[4] जिलों में, सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किए जा चुके हैं और वर्तमान में प्रकाशन चरण में हैं। शेष पाँच[5] जिलों के संबंध में, प्रतिवेदन अभी तैयार किये जाने थे (मार्च 2022)।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों, जिन्हें विभाग के संरक्षण के दायरे में लाया जा सकता है, की पहचान के लिए कोई दिशा–निर्देश/ नियमावली उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, कर्मचारियों को सर्वेक्षण कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने हेतु पिछले पाँच वर्षों (2016–17 से 2020–21) के दौरान केवल दो कार्यशालाएँ आयोजित की गई थीं।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि सर्वेक्षण का कार्य विभागीय सर्वेक्षक द्वारा किया जाता है, जो पुरातात्विक मानकों से भली–भांति परिचित होता है। उसी के अनुसार सर्वेक्षण किया जाता है और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। पुरातत्व सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन, विभाग की एक सतत प्रक्रिया है, जो कि उपलब्ध स्टाफ एवं बजट के अनुसार की जाती है। जिले की सभी तहसीलों के सर्वेक्षण के बाद जिले की पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है।

उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि संचालनालय के पास संरक्षण के उद्देश्य से स्मारकों की पहचान के लिए विस्तृत सर्वेक्षण हेतु एक सुपरिभाषित तंत्र नहीं है और वर्तमान में, स्मारकों की पहचान और वर्गीकरण की प्रक्रिया स्वैच्छिक और विवेकाधीन है।

लेखापरीक्षा ने कुछ स्मारकों, जो कि 100 वर्षों से अधिक प्राचीन थे एवं अपने ऐतिहासिक और

---

2 अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, दमोह, डिंडोरी, गुना, इंदौर, झाबुआ, जबलपुर, खरगोन, मंदसौर, नीमच, पन्ना, राजगढ़, रायसेन, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सागर, श्योपुर, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, उज्जैन और विदिशा।

3 अनूपपुर, भोपाल, छतरपुर, दतिया, डिंडोरी, गुना, इंदौर, मंदसौर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, शहडोल, सीधी, सागर, श्योपुर, सिंगरौली, उज्जैन, उमरिया और विदिशा।

4 छतरपुर, दमोह, जबलपुर और नरसिंहपुर।

5 बड़वानी, भिंड, खरगोन, मुरैना और नर्मदापुरम।

सांस्कृतिक महत्व तथा अद्वितीय वास्तुशिल्प मूल्य के कारण संरक्षण के योग्य थे, को चिन्हित करने का प्रयत्न किया। हालाँकि, ये विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में अधिसूचित नहीं थे, क्योंकि इनका कभी सर्वेक्षण नहीं किया गया था। अतः, अपर्याप्त सर्वेक्षण प्रक्रियाओं के कारण, ये स्मारक अब तक राज्य संरक्षण के पात्र नहीं हो पाए हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा प्राचीनता और विशिष्टता (ऐतिहासिक/ सांस्कृतिक संबंध) के आधार पर पहचाने गए स्मारकों के विवरण नीचे **तालिका 2.2** में दिए गए हैं–

तालिका 2.2–असंरक्षित स्मारकों का विवरण

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान	अनुमानित आयु	स्मारकों का विवरण
1	बालाजी सूर्य मंदिर, उन्नाव	दतिया	16वीं सदी	बालाजी मंदिर एक अति प्राचीन मंदिर है और कहा जाता है कि यह प्रागैतिहासिक काल से अस्तित्व में है। इस मंदिर में, सूर्य की कलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 21 त्रिकोण मंदिर में उत्कीर्ण हैं।
2	सीढ़ीदार कुआँ, रायपुरा	श्योपुर	18वीं सदी	प्राचीन सीढ़ीदार कुआँ, जिसके बगल में तीन मंजिला बारादरी है। बारादरी में स्तंभ और 1791 का एक शिलालेख है।
3	जाम गेट	इंदौर	18वीं सदी	जाम गेट का निर्माण 1847 में रानी अहिल्याबाई होल्कर द्वारा अपने पति श्री खंडेराव होल्कर की स्मृति में करवाया गया था। यह विंध्य श्रेणी में स्थित है। यह छः मीटर चौड़ा और 11 मीटर ऊँचा है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है।
4	मंदसौर का किला और उसकी दीवार	मंदसौर	15वीं सदी	1490 में एक सेना अधिकारी मुखबिल खान द्वारा निर्मित, मंदसौर किला बारह द्वारों वाली एक भव्य संरचना है और एक बाहरी दीवार से घिरा हुआ है।
5	भीम कुंड	छतरपुर	प्रागैतिहासिक, तिथि ज्ञात नहीं की जा सकती	भीम कुंड एक प्राकृतिक जल स्रोत है और महाभारत के युग का एक पवित्र स्थान है।
6	गिन्नौरगढ़ किला	रायसेन	18वीं सदी	गिन्नौरगढ़ किले का निर्माण (12 वीं सदी) परमार काल[6] के दौरान किया गया था। किला विंध्य श्रेणी में स्थित है।
7	सिंधिया राजवंश की छत्री	ग्वालियर	19वीं सदी	छत्री एक गुंबद के आकार का मंडप है, जो मध्यकालीन युग की सुंदरता को दर्शाता है और हाथियों, घोड़ों और बाघों की नक्काशी से सजाए गए गुलाबी और सफेद पत्थरों से बना है।
8	डफरिन की सराय	ग्वालियर	18वीं सदी	18वीं शताब्दी में डफरिन की सराय में एक दरबार की स्थापना की गई। इस इमारत का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ग्वालियर क्षेत्र के लगभग 800 लोगों को लॉर्ड डफरिन ने यहां मौत की सजा सुनाई थी।
9	शैलाश्रय, जरधोरा	पन्ना	प्रागैतिहासिक काल	जरधोरा के शैलाश्रय में शैलचित्रों की विभिन्न शैलियाँ हैं। जानवरों की आकृतियाँ, विभिन्न मनोदशाओं में मानव आकृतियाँ, शिकार के दृश्य और युद्ध के दृश्य देखे जा सकते हैं। चित्रों को गेरूआ रंग से बनाया गया है।
10	लालघाटी, गोंडरमऊ और धरमपुरी के शैलाश्रय	भोपाल	प्रागैतिहासिक काल	लालघाटी के शैलाश्रय में शैलचित्रों की विभिन्न शैलियाँ हैं। ये पूर्व और आद्य–ऐतिहासिक काल के हैं। शंख लिपि में एक शिलालेख का भाग भी देखा जा सकता है।
11	राजगढ़ महल	दतिया	18वीं सदी	एक पहाड़ी पर बना यह सात मंजिला ऊँचा महल पूरी तरह से ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। यह मुगल वास्तुकला और राजपुताना वास्तुकला का मिश्रण है ।

6 परमार वंश ने 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिम–मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। वे राजपूतों के परमारवंश से थे।

लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हांकित इन सभी स्मारकों से इतिहास के अनूठे तत्व जुड़े हुए हैं, जो महत्वपूर्ण वास्तु शिल्प मूल्य का दावा करते हैं और ऐतिहासिक महत्व के स्मारक कहे जाने के मानदंडों को पूरा करते हैं। हालाँकि, ये अभी तक राज्य सरकार के संरक्षित स्मारकों की सूची का हिस्सा नहीं हैं और संरक्षित किया जाने के उद्देश्य से अभी तक इनका सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि पुरातात्विक मानकों से भली–भाँति परिचित विभागीय सर्वेक्षक द्वारा स्टाफ एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार सर्वेक्षण किया जा रहा है। हालाँकि, तथ्य यह है कि विभाग द्वारा किया गया सर्वेक्षण पर्याप्त नहीं था और कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों को संरक्षित नहीं किया जा सका।

चित्र 2.1–गिन्नौरगढ़ किला (24–10–2021)

चित्र 2.2–जाम गेट, मऊ, इंदौर (03–08–2022)

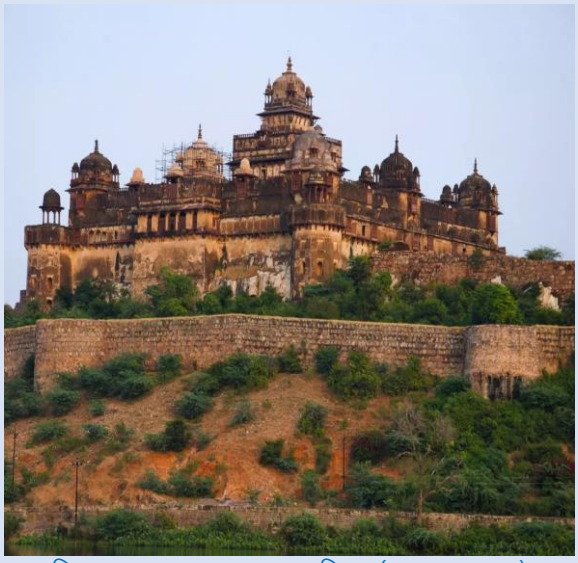

चित्र 2.3–राजगढ़ महल, दतिया (26–09–2021)

चित्र 2.4–डफरिन की सराय, ग्वालियर (19–09–2021)

2.3.2 स्मारकों की अधिसूचना हेतु प्रस्तावों की निगरानी में कमियाँ

मध्य प्रदेश ए.एम.ए.एस.आर. अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अनुसार, यदि राज्य सरकार की दृष्टि में कोई प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल या अवशेष ऐतिहासिक महत्व तथा अद्वितीय वास्तुकला के हैं, तो वह अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल या अवशेषों को राज्य महत्व का घोषित करने के अपने अभिप्राय की दो माह की सूचना जारी कर सकती है। ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति स्मारक या स्थल अथवा अवशेषों के निकट एक ध्यानाकर्षी स्थान पर चिपका दी जाएगी। उक्त दो माह की वर्णित अवधि समाप्त होने पर एवं आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात प्राचीन स्मारक या पुरातत्वीय स्थल अथवा अवशेषों को आधिकारिक रूप से ''संरक्षित'' करने हेतु अधिसूचित

किया जाता है। स्थलों को ''संरक्षित'' घोषित करने के प्रस्ताव संचालनालय द्वारा राज्य सरकार को भेजे जाने थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि–

- राज्य सरकार ने संचालनालय से उन स्मारकों/ ऐतिहासिक संरचनाओं की सूची के बारे में जानकारी नहीं माँगी, जिन्हें अधिसूचना और तत्पश्चात संरक्षण के लिए चयनित किया जा सके।
- संचालनालय के पास राज्य भर की ऐसी संरचनाओं की सूची/ डाटाबेस नहीं है, जिन्हें उनके ऐतिहासिक/ सांस्कृतिक महत्व और प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए संरक्षण की आवश्यकता है।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित स्मारकों के आवधिक निरीक्षण के लिए कोई प्रणाली नहीं है। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय कार्यालय संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों पर संचालनालय को कोई आवधिक सूचना नहीं भेजते हैं।
- संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान 21 स्मारकों के संबंध में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए पहली अधिसूचना जारी की थी। अंतिम अधिसूचना जारी न करने का कारण संबंधित जिला कलेक्टरों के पास दावों का लंबित होना बताया गया। इसके परिणाम स्वरूप इन स्मारकों को राज्य संरक्षित सूची में शामिल नहीं किया गया और इस प्रकार गैर–संरक्षण के कारण स्मारक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इस ओर इंगित किये जाने पर संचालनालय ने बताया (नवंबर 2021) कि क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार कर संचालनालय को भेजते हैं, परंतु ऐसे प्रस्तावों का विस्तृत अभिलेख, यथा प्राप्त प्रस्तावों की संख्या, स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या आदि का संधारण संचालनालय में नहीं किया जा रहा था।

किसी निर्धारित प्रक्रिया के अभाव में, स्मारकों का चयन विवेकाधीन और स्वैच्छिक हो जाता है। इसके अलावा, संचालनालय में उचित दस्तावेजों के संधारण के अभाव में, संरक्षण के लिए स्मारकों के चयन या गैर–चयन के पीछे के तर्क पर भी आकलन और टिप्पणी नहीं की जा सकती है। अपर्याप्त पहचान तंत्र के साथ युग्मित, प्रस्तावों की निगरानी में यह अपर्याप्तता इंगित करती है कि स्मारकों, जिन्हें सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता थी, की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली नहीं थी।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त संरक्षण प्रस्ताव विधिवत प्रक्रिया के अनुसार सरकार को भेजे जाते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा के सुझाव के अनुसार संरक्षण प्रस्तावों के लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा।

2.4 अधिसूचना के उपरांत निरंतर कब्जे के प्रकरण

मध्य प्रदेश ए.एम.ए.एस.आर. अधिनियम, 1964 की धारा 3 में प्रावधान है कि–

- जहाँ राज्य सरकार की दृष्टि में किसी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल अथवा अवशेष को विनाश, क्षति, परिवर्तन, काट–छाँट, विरूपण, अपनयन, विसर्जन या क्षय से संरक्षण करने की आवश्यकता है, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित घोषित करने के अपने प्रयोजन के बारे में दो माह की सूचना दे सकता है।
- किसी प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेषों में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना जारी होने के एक महीने के भीतर घोषणा पर आपत्ति दर्ज कर सकता है।
- उक्त दो माह की वर्णित अवधि के समाप्त होने पर राज्य सरकार प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के उपरांत राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है।

हालाँकि, यदि स्मारक पहले से ही किसी के कब्जे में है तो अधिनियम में अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले स्मारकों को खाली कराने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में, विभाग के पास

एकमात्र उपाय यही है कि वह नागरिक प्रशासन से स्मारक को खाली कराने का अनुरोध करे। हालाँकि, इस तरह के प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहे हैं।

लेखापरीक्षा और संचालनालय के अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि कम से कम सात ''संरक्षित'' स्मारकों के मामले में अधिसूचना जारी होने के उपरांत भी स्मारकों पर अनधिकृत कब्जाधारियों का कब्जा बना रहा। कब्जाधारियों की सूची में जिला प्रशासन, नगरपरिषद, निजी कंपनियाँ और यहाँ तक कि निजी व्यक्ति भी शामिल हैं। नीचे दी गई **तालिका 2.3** उन स्मारकों को दर्शाती है, जो संरक्षित घोषित होने के उपरांत भी संचालनालय के अधिकार में नहीं हैं

तालिका 2.3–संरक्षित स्मारक, जो संचालनालय के अधिकार में नहीं हैं

क्र.सं.	स्मारक का नाम एवं स्थान	अधिसूचना की तिथि	संस्था/ व्यक्ति का नाम जिसके पास कब्जा है	विभाग द्वारा प्रयास
1	महाराजा भाव सिंह की गढ़ी, अमरपाटन	31.05.1990	निजी कब्जा	अनधिकृत कब्जा/ अतिक्रमण को हटाने के लिए दिनांक 16 जुलाई 2015 को जिला कलेक्टर, सतना और 10 सितम्बर 2015 को तहसीलदार, अमरपाटन को पत्र लिखे गए थे। अभिलेख में आगे कोई कार्रवाई नहीं।
2	जुझार सिंह महल, ओरछा	21.01.2010	नगर परिषद, ओरछा	महल में रहने वाले कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए दिनांक 24 दिसंम्बर 2020 को तहसीलदार, ओरछा को पत्र लिखा गया था।
3	सदर मंजिल, भोपाल	23.03.2013	नगर निगम, भोपाल	कब्जाधारियों से कोई पत्राचार नहीं किया गया है।
4	मोतीमहल, भोपाल	27.05.2013	नगर निगम, भोपाल	संचालनालय, "संरक्षित" संरचना को गैर–अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।
5	कालेश्वर मंदिर, महेश्वर, जिला– खरगोन	12.02.2014	खगसी ट्रस्ट, महेश्वर	आवश्यक कार्रवाई हेतु कलेक्टर, खरगोन को दिनांक 29 मार्च 2022 को पत्र लिखा गया है।
6	जलेश्वर मंदिर, महेश्वर, जिला– खरगोन	12.02.2014	जिला कलेक्टर, खरगोन	
7	बारादरी (छत्री) धर्मपुरी, श्यामला हिल्स, भोपाल	07.03.2019	यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड	मामला विचाराधीन है और स्मारक तक वैकल्पिक पहुँच मार्ग के लिए कलेक्टर, भोपाल को दिनांक 25 फरवरी 2021 को पत्र लिखा गया है। रिकॉर्ड पर आगे कोई कार्रवाई नहीं।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बेदखली प्रक्रिया हेतु की गयी कार्रवाई अपर्याप्त थी और जिला प्रशासन के साथ उपयुक्त समन्वय का अभाव था। नतीजतन, संचालनालय स्मारकों पर कोई संरक्षण कार्य करने में असमर्थ था। इस प्रकार, इन स्मारकों को राज्य संरक्षण के अंतर्गत लेने का मूल उद्देश्य अधूरा रह गया।

इनमें से कुछ मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया है–

2.4.1 महाराजा भाव सिंह की गढ़ी, अमरपाटन, सतना (निजी व्यक्तियों के कब्जे में)

महाराजा भाव सिंह की गढ़ी, अमरपाटन, सतना, रीवा के 25वें महाराजा द्वारा 1660 से 1690 के बीच बनवाया गया था। विभाग ने 31 मई 1990 को इसे संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया। हालाँकि, इस स्मारक का अभी भी निवास के रूप में उपयोग किया जा रहा था।

चित्र 2.5–महाराजा भाव सिंह की गढ़ी, अमरपाटन, सतना के बाहर का दृश्य (10–11–2021)

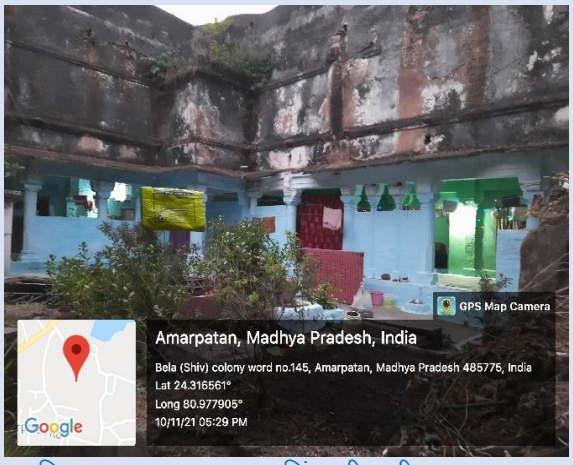

चित्र 2.6–महाराजा भाव सिंह की गढ़ी, अमरपाटन, सतना के अंदर का दृश्य (10–11–2021)

वर्तमान स्थिति–स्मारक जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है और इसके ढहने का खतरा है।

2.4.2 जुझार सिंह महल, ओरछा, निवाड़ी (सरकारी संस्थानों के कब्जे में)

विभाग ने 21 जनवरी 2010 को जुझार सिंह महल, ओरछा, निवाड़ी को अधिसूचित कर इसे राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया था। अधिसूचना के समय, इस स्मारक का कब्जा नगरपरिषद, ओरछा के पास था और इस स्मारक का उपयोग एक सिविल जज के निवास के रूप में किया जा रहा था। लेकिन अब तक, इस स्मारक का उपयोग केवल इसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

चित्र 2.7–जुझार सिंह महल, ओरछा, निवाड़ी (23–09–2021)

चित्र 2.8–जुझार सिंह महल, ओरछा, निवाड़ी (23–09–2021)

हालाँकि, संग्रहाध्यक्ष, जहाँगीर महल, ओरछा द्वारा तहसीलदार, ओरछा (24 दिसंबर 2020) को जुझार सिंह महल के निवासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु एक पत्र जारी किया गया था।

वर्तमान स्थिति– रख–रखाव न होने के कारण स्मारक अपनी महत्ता खो रहा है। वर्तमान निवासियों द्वारा की जा रही अतिरिक्त मरम्मत, जो कि परंपरावादी नवीनीकरण तकनीकों के अनुरूप नहीं है, के परिणामस्वरूप विरासत के नुकसान का खतरा है।

2.4.3 सदर मंजिल, भोपाल (सरकारी संस्थानों के कब्जे में)

विभाग ने 23 मार्च 2013 को सदर मंजिल, भोपाल को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया था, जो तब तक नगर निगम, भोपाल के कब्जे में था। लंबे समय से (जनवरी 2015 से) इसका उपयोग नगर निगम के मुख्यालय के रूप में किया जा रहा था।

मार्च 2016 से अस्तित्व में आए स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन, भोपाल ने सितंबर 2016 में इस स्मारक का संरक्षण कार्य शुरू किया। हालाँकि, यह संचालनालय से किसी पूर्व अनुमति के बिना किया गया था और स्मारक अभी भी संचालनालय के कब्जे में नहीं है (मार्च 2022)। संरक्षण कार्य से स्मारक की मौलिकता प्रभावित हुई हैं जैसा कि नीचे चित्र 2.9 और 2.10 में देखा जा सकता है–

चित्र 2.9–जीर्णोद्धार से पहले सदर मंजिल, भोपाल की स्थिति (फाइल फोटो)

चित्र 2.10–जीर्णोद्धार के बाद सदर मंजिल, भोपाल की स्थिति

संचालनालय ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2021) कि इस स्मारक पर कब्जा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है और भोपाल नगर निगम का कार्यालय अधिसूचना जारी होने से पहले से ही चल रहा था।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में आयुक्त ने कहा कि विभाग ने इन स्मारकों को अपने कब्जे में लेने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद से एक विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है।

वर्तमान स्थिति–ऐसा प्रतीत होता है कि अनधिकृत नवीनीकरण के कारण स्मारक ने अपनी महत्ता खो दी है।

बॉक्स 2.1– स्वयं विभाग द्वारा "संरक्षित" स्थलों के प्रावधानों का उल्लंघन

ए.एम.ए.एस.आर. (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2010, किसी भी संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के भीतर निर्माण को निषेधित करता है। इसके अलावा, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश अंतिम अधिसूचना (संरक्षित स्मारकों के संबंध में) जारी करते समय संरक्षित स्मारक के 100 मीटर की सीमा में किसी भी खनन कार्य को और 200 मीटर की सीमा में निर्माण कार्य को प्रतिबंधित करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग स्वयं अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था। उप संचालक, पश्चिम क्षेत्र, इंदौर और उपसंचालक, उत्तर क्षेत्र, ग्वालियर कार्यालय कार्य के लिए क्रमशः राजवाड़ा पैलेस, इंदौर और गुजरीमहल, ग्वालियर का उपयोग कर रहे थे, जबकि दोनों राज्य संरक्षित स्मारक हैं। संरक्षित भवनों का उपयोग करते समय, विभाग ने विद्युत फिटिंग, प्लाई–बोर्ड विभाजन, पानी के पाइप, शौचालय आदि के माध्यम से स्मारकों की आंतरिक संरचनाओं में व्यापक परिवर्तन किए। ये परिवर्तन इन स्मारकों के मूल स्वरूप के अनुरूप नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन स्मारकों के विरासत मूल्य में विरूपण हुआ।

चित्र 2.11–राजवाड़ा पैलेस, इंदौर (23–09–2021)

चित्र 2.12–राजवाड़ा पैलेस, इंदौर के अंदर कार्यालय का कामकाज (23–09–2021)

चित्र 2.13–गुजरीमहल, ग्वालियर (13–09–2021)

चित्र 2.14–गुजरी महल के अंदर कार्यालय के कामकाज में आधुनिक विद्युत संरचना (13–09–2021)

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि स्मारकों पर आवश्यक सुविधाएँ जैसे प्रकाश, पानी, शौचालय आदि जो स्मारकों पर उपलब्ध कराई गई थी, अनिवार्य रूप से स्मारक के अनुसार होनी चाहिए। इसके अलावा, स्मारकों/ संग्रहालयों के कार्यात्मक नियंत्रण के लिए कार्यालयों की स्थापना आवश्यक थी। हालाँकि, विरासत स्थलों में कार्यालयों का कामकाज ए.एम.ए.एस.आर. अधिनियम के प्रावधान के प्रतिकूल है, जो विरासत संपत्तियों को भी प्रभावित कर सकता है।

2.5 गलत स्मारक की अधिसूचना

लेखापरीक्षा ने 189 स्मारकों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, संरक्षित श्रेणी के अंतर्गत स्मारकों की त्रुटिपूर्ण अधिसूचना के कुछ उदाहरणों को भी संज्ञान में लिया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है–

2.5.1 "आशयित" स्मारक के स्थान पर किसी "अन्य" स्थल की अधिसूचना

विभाग ने 1988 में संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित करने के लिए श्योपुर किले में स्थित राजा इंदर सिंह–द्वितीय और राजा किशोर दास की छत्री का चयन किया था। हालाँकि, 24 सितंबर 1992 को जारी राजपत्र अधिसूचना में, राज्य सरकार ने गलती से मनोहर दास की छत्री, जो श्योपुर शहर में स्थित है, को वास्तविक के स्थान पर संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित कर दिया। इस प्रकार, आशयित स्मारक के स्थान पर किसी अन्य स्मारक को शामिल करने के कारण, प्रस्तावित स्मारक को एम.पी. ए.एम.ए.एस.आर. अधिनियम, 1964, के तहत संरक्षित नहीं किया जा सका।

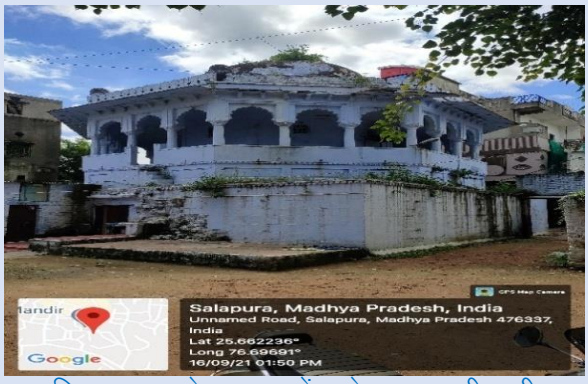

चित्र 2.15–श्योपुर शहर में मनोहर दास की छत्री (16–09–2021)

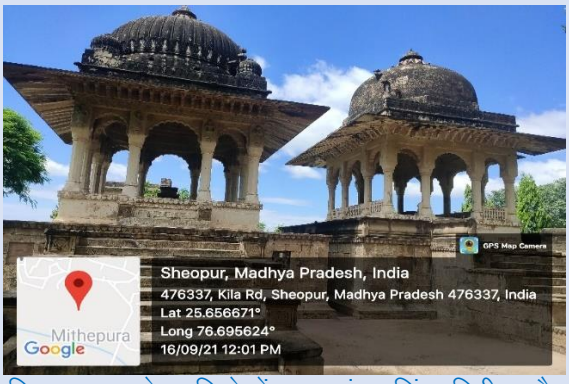

चित्र 2.16–श्योपुर किले में राजा इंदर सिंह–द्वितीय और राजा किशोर दास की छत्री (16–09–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि श्योपुर स्थित मनोहर दास की छत्री के संरक्षित किए जाने संबंधी अधिसूचना की पुनः–जाँच की जा रही है। यदि यह अधिसूचना त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो इसकी संशोधित अधिसूचना जारी की जाएगी।

हालाँकि, तथ्य यह है कि विभाग इस त्रुटि से अनजान था और परिणाम स्वरूप, 29 साल बीत जाने के बाद भी आशयित स्मारक असंरक्षित है।

2.5.2 100 वर्ष पूरे होने से पहले संरक्षित स्मारक

मध्य प्रदेश ए.एम.ए.एस.आर. अधिनियम, 1970 की धारा 2 (ए) के अनुसार, केवल वे संरचनाएँ जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में हैं, उन्हें "प्राचीन स्मारक" माना जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो स्मारक–महाराजा यशवंत राव की छत्री, इंदौर और तात्या टोपे स्मारक पार्क, शिवपुरी को विभाग[7] द्वारा संरक्षित घोषित किया गया था, हालाँकि वे अपने अस्तित्व के 100 वर्ष पूर्ण करने से पहले क्रमशः केवल 52 और 36 वर्षों से ही अस्तित्व[8] में थे।

चित्र 2.17–महाराजा यशवंत राव की छत्री, इंदौर (23–09–2021)

चित्र 2.18–तात्या टोपे स्मारक पार्क, शिवपुरी (29–09–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि इंदौर में छत्रियों का भाग होने से महाराजा यशवंत राव की छत्री को संरक्षित घोषित कर दिया गया था। इसकी अधिसूचना रद्द करने की आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तात्या टोपे स्मारक पार्क के मामले में, पार्क का निर्माण 1971 में किया गया था। लेकिन, इसका

---

7 जनवरी 2013 में महाराजा यशवंत राव की छत्री, इंदौर और अगस्त 2007 में तात्या टोपे स्मारक पार्क, शिवपुरी।

8 महाराजा यशवंत राव की छत्री, इंदौर का निर्माण 1961 में और तात्या टोपे स्मारक पार्क, शिवपुरी का निर्माण 1971 में किया गया था।

ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि तात्या टोपे को यहाँ फाँसी दी गई थी। तात्या टोपे की स्मृतियों को जनभावनाओं में अक्षुण्ण रखने के लिए इस स्थान को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया।

हालाँकि, ऐसे स्मारकों को 'संरक्षित' घोषित करने के समर्थन में प्रावधान होना चाहिए।

2.6 विरासत स्थलों की अधिसूचना रद्द करना

मध्य प्रदेश ए.एम.ए.एस.आर. अधिनियम–1964 की धारा 34 के अनुसार, यदि राज्य सरकार के विचार से किसी राज्य संरक्षित स्मारक को अब संरक्षित करना आवश्यक नहीं है, तो वह अधिसूचना द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकती है और ऐसे स्मारक संरक्षित क्षेत्र, राज्य संरक्षित स्मारक नहीं रहेंगे।

संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश ने सात विरासत स्थलों को गैर–अधिसूचित किया था और उन्हें हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को स्थानांतरित कर दिया था। सात में से तीन विरासत स्थलों को गैर–अधिसूचित कर दिया गया था और उन्हें हेरिटेज होटलों में बदलने के उद्देश्य से म.प्र. पर्यटन विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था। जबकि, शेष चार विरासत स्थलों को मध्य प्रदेश पर्यटन नीति–2016 के तहत स्थानांतरित कर दिया गया था। मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक साधिकार समिति ने चार प्रकरणों में विरासत स्थलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को मंजूरी दी थी।

लेखापरीक्षा ने सात विरासत स्थलों की अधिसूचना रद्द करने में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखीं–

- गैर–अधिसूचित किए जाने से इनके संरक्षण में होने वाले कारकों के औचित्य और लाभ को बताए बिना विरासत स्थलों की अधिसूचना को रद्द किया गया था। केवल उन्हें हेरिटेज होटलों में बदलने पर जोर दिया गया।
- इन विरासत स्थलों में से, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एम.पी.टी.डी.सी.) तीन संपत्तियों को पट्टे पर देने में विफल रहा और उन्हें परिकल्पना के अनुसार हेरिटेज होटल में परिवर्तित नहीं कर सका और इन विरासत स्थलों को पट्टे पर देने की प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है जैसा कि नीचे **तालिका 2.4** में दिखाया गया है –

तालिका 2.4–विरासत स्थलों को पट्टे पर देने की स्थिति

क्र.सं.	स्मारक का नाम	विवरण	गैर–अधिसूचना की तिथि	एम.पी.टी.डी.सी. को स्थानांतरण की तिथि	वर्तमान स्थिति और पट्टे पर देने में देरी का कारण
1	ताजमहल, भोपाल	ताजमहल पैलेस का निर्माण बेगम सुल्तान शाहजहाँ ने करवाया था। इसका निर्माण 1871 से 1884 तक 13 वर्षों की अवधि में हुआ।	13.10.2011	26.09.2013	एक निजी पक्ष को पट्टे पर दिया। संपत्ति अभी तक होटल में विकसित नहीं हुई।
2	माधवगढ़ किला, सतना	माधवगढ़ किला लगभग 400 साल पहले माधो सिंह जी ने बनवाया था।	13.10.2011	14.08.2018	एक निजी पक्ष को पट्टे पर दिया। संपत्ति अभी तक होटल में विकसित नहीं हुई।
3	रॉयल होटल[9] जबलपुर	इस इमारत का निर्माण राजा गोकुलदास ने 1857 में करवाया था। यह होटल केवल ब्रिटिश और यूरोपीय नागरिकों के ठहरने के लिए उपलब्ध था, और होटल में भारतीयों की अनुमति नहीं थी।	25.01.2018	07.01.2020	एक निजी पक्ष को पट्टे पर दिया।संपत्ति अभी तक होटल में विकसित नहीं हुई।
4	राजगढ़ पैलेस, छतरपुर	इसे बुंदेला वंश के महाराजा हिनू पाट शाह ने बनवाया था। यह अपने विशाल कमरों और अनोखे पक्षियों के चित्रों के लिए जाना जाता है।	1996	18.11.1996	1996 में पट्टे पर दिया गया।

[9] राजकुमारी बाई की कोठी (ब्रिटिश होटल रॉयल पैलेस) के रूप में भी जाना जाता है।

क्र.सं.	स्मारक का नाम	विवरण	गैर–अधिसूचना की तिथि	एम.पी.टी.डी.सी. को स्थानांतरण की तिथि	वर्तमान स्थिति और पट्टे पर देने में देरी का कारण
5	बलदेवगढ़ किला, टीकमगढ़	किला विक्रम जीत सिंह द्वारा मराठों और मुगलों से सम्राट की सुरक्षा और गोला–बारूद के भंडारण के लिए बनाया गया था।	25.01.2018	19.09.2019	बोली दिनांक 18.03.2020 को निरस्त कर दिया गया। मामला उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है।
6	क्योटी किला, रीवा	किला 18 वीं शताब्दी में नागमल देव सिंह द्वारा बनवाया गया था।	25.01.2018	15.10.2019	मध्य प्रदेश शासन से निविदा के लिए प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार है।
7	विजय राघोगढ़ किला, कटनी	इसका निर्माण ठाकुर प्रयागदास ने 1826 ई. में करवाया था।	25.01.2018	28.09.2019	2020 और 2021 में एन.आई.टी. नहीं प्राप्त हुआ। जनवरी 2022 में नई निविदा आमंत्रित की गई।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, चार विरासत स्थलों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करने के लिए पट्टे पर दिया गया था। हालाँकि, तीन साल से लेकर 25 साल तक की अवधि बीत जाने के बाद भी, इन विरासत स्थलों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित नहीं किया गया था। नियमित अनुरक्षण और रख–रखाव के अभाव में, ये विरासत स्थल दिन–प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं क्योंकि कोई संरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है। लेखापरीक्षा ने तीन स्थलों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए उनका भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के आधार पर विवरण नीचे दिया गया है:

➢ *माधवगढ़ किला*

इसे 28 दिसंबर 1984 को अधिसूचित और राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और अक्टूबर 2011 में फिर से गैर–अधिसूचित किया गया।

चित्र 2.19– माधवगढ़ किला, सतना (23–11–2021)

गैर–अधिसूचना के बाद स्मारक को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने के लिए एम.पी.टी.डी.सी. को स्थानांतरित कर दिया गया था। हालाँकि, भौतिक निरीक्षण द्वारा पुष्टि किए गए अभिलेखों की जाँच से पता चला कि स्मारक पूरी तरह से उपेक्षा की स्थिति में है। हालाँकि संपत्ति को पट्टे पर दिया गया है, लेकिन इसे अभी तक एक होटल में परिवर्तित किया जाना है। इस प्रकार, एक विरासत स्मारक को एक होटल में समयबद्ध रूपांतरण सुनिश्चित करने या स्मारक को फिर से "संरक्षित" के रूप में अधिसूचित करने के शासन की ओर से प्रयासों की कमी के कारण, इस स्मारक की स्थिति दिन–प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

चित्र 2.20, 2.21, 2.22 और 2.23– माधवगढ़ किले, सतना की बिगड़ती स्थिति (23–11–2021)

➢ *ताजमहल पैलेस, भोपाल*

इसे अप्रैल 2005 में अधिसूचित और राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और अक्टूबर 2011 में फिर से गैर–अधिसूचित किया गया।

गैर–अधिसूचना के बाद स्मारक को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने के लिए एम.पी.टी.डी.सी. को स्थानांतरित कर दिया गया था। हालाँकि, भौतिक निरीक्षण द्वारा पुष्टि किए गए अभिलेखों की जाँच से पता चला कि स्मारक पूरी तरह से उपेक्षा की स्थिति में है। हालाँकि संपत्ति को पट्टे पर दिया गया है, लेकिन इसे अभी तक एक होटल में परिवर्तित नहीं किया गया है। इस प्रकार, एक विरासत स्मारक को एक होटल में समयबद्ध रूपांतरण सुनिश्चित करने या स्मारक को फिर से "संरक्षित" के रूप में अधिसूचित करने के शासन की ओर से प्रयासों की कमी के कारण, पिछले दस वर्षों से गैर–संरक्षण के कारण स्मारक लगातार खराब हो रहा है। स्मारक की खराब स्थिति को दर्शाने वाले कुछ चित्र नीचे दिखाए गए हैं:

चित्र 2.24, 2.25, 2.26 और 2.27–ताज महल पैलेस, भोपाल की बिगड़ती स्थिति (28–04–2022)

इस प्रकार, इन विरासत स्थलों को हेरिटेज होटलों में परिवर्तित करने का परिकल्पित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा, पट्टे पर देने में देरी और संरक्षण कार्य न होने से इन मूल्यवान विरासत संपत्तियों के अस्तित्व को खतरा है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा इन स्मारकों को जल्दबाजी में गैर–अधिसूचित करने के पीछे राज्य सरकार के प्रयोजन को नहीं समझ सका, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करने कि ये संपत्तियाँ उन आशयित उद्देश्य, जिसके लिए उनको पहले गैर–अधिसूचित किया गया था, के लिए उपयुक्त रूप से उपयोग किए जा रहे थे, कोई अति आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि पर्यटन नीति 2016 में हेरिटेज होटल बनाने का एक प्रावधान है। साधिकार समिति की सिफारिशों पर विचारशील निर्णय लेने के बाद इन विरासत स्थलों को हेरिटेज होटलों में बदलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। एक बार जब किसी स्मारक को असंरक्षित घोषित कर दिया जाता है, तो उसे पर्यटन विभाग को सौंप दिया जाता है। इसके बाद पर्यटन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। अतः उनके द्वारा कार्रवाई न किये जाने का इस विभाग से कोई संबंध नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक विरासत स्मारक को एक होटल में समयबद्ध रूपांतरण सुनिश्चित करने या स्मारक को फिर से "संरक्षित" के रूप में अधिसूचित करने के शासन की ओर से प्रयासों की कमी के कारण ये स्मारक दिन–प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं।

2.7 अनुशंसाएँ

उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग/ सरकार–

1. उपयुक्त तंत्र स्थापित करे ताकि उत्खनन को बढ़ाया जा सके और समय–समय पर समीक्षा की जा सके।
2. स्मारकों की पहचान करने एवं उन्हे अधिसूचित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएँ स्थापित करे।
3. एक बार स्मारक को संरक्षित के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद, स्मारकों से अनियमित कब्जे, यदि कोई हो, की पहचान कर उन्हें बेदखल करना सुनिश्चित करे।
4. वाणिज्यिक/ अन्य उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तित गैर–अधिसूचित स्मारकों की स्थिति की निगरानी करना और उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना और/ या उनके गैर–रूपांतरण के मामले में पुनः अधिसूचित करने के लिए कदम उठाए।

अध्याय III

विरासत स्थलों का प्रबंधन

अध्याय III

विरासत स्थलों का प्रबंधन

सारांश

लेखापरीक्षा ने संयुक्त रूप से 526 स्मारकों में से कुल 189 का निरीक्षण किया और कई प्रकरणों को देखा। लेखापरीक्षा ने पाया कि संचालनालय ने राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में स्मारकों की पहचान के लिए मध्य प्रदेश के आधे से कुछ अधिक जिलों में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया और ऐसे जिलों के उनमें से केवल 70 प्रतिशत जिलों के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्मारकों के संरक्षण को बढ़ाने के लिए संचालनालय द्वारा कोई विस्तृत नीति या दिशा–निर्देश तैयार नहीं किए गए थे। इसके साथ ही यह देखा गया कि वार्षिक संरक्षण योजनाएँ तैयार नहीं की जा रही थीं, संरक्षण कार्यों के लिए लॉगबुक का रख–रखाव संधारण नहीं किया जा रहा था और समय–समय पर निरीक्षण भी नहीं किये जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप स्मारकों का अपर्याप्त संरक्षण हुआ। विभिन्न संवर्गों में जनशक्ति की कमी 27.95 प्रतिशत से 78.04 प्रतिशत तक थी जिसके परिणामस्वरूप कमजोर सुरक्षा और रख–रखाव, स्मारकों पर ध्यान नहीं दिया जाना, संरक्षित स्मारकों के पर्यवेक्षण की कमी, आदि जैसे कई मुद्दे सामने आए। लेखापरीक्षा ने सार्वजनिक सुविधाओं की कमी; जैसे स्वच्छ पेयजल, सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग इत्यादि जैसे मुद्दों को भी पाया। इसके अलावा, चार स्मारकों के लिए पहुँच मार्गों की कमी ने आगंतुकों को इष्टतम सर्वोत्कृष्ट अनुभव प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न की। स्मारकों में और उनके आसपास के अतिक्रमण और अनियमित निर्माण की घटनायें, परिचारकों/ देखभाल करने वालों की कमी, बाड़/ सुरक्षा दीवार की अपर्याप्तता, स्वच्छता की कमी और स्मारकों के लिए वार्षिक रख–रखाव तंत्र की अनुपस्थिति एवं संरक्षण कार्य में सीमेंट के उपयोग ने पुरातात्विक मूल्य को विकृत कर दिया था और स्मारकों की सुरक्षा के उद्देश्य को दुर्बल कर दिया था। शैल कला को धूप और बारिश के प्रभाव से बचाने के लिए शैल कला के चारों ओर बाड़ लगाने और छायांकन की कमी थी जिससे शैल कला का ह्रास हुआ। लेखापरीक्षा के दौरान महलों और किलों के प्रबंधन में अपर्याप्तता, स्मारकों के मूल स्वरूप में परिवर्तन, गैर–संरक्षण और रख–रखाव न करने के कारण बिगड़ती स्थिति और स्मारकों की तोड़फोड़ भी देखी गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बावड़ियों का संरक्षण और रख–रखाव न करने और पानी के अनधिकृत उपयोग के कारण ह्रास हो गया था। लेखापरीक्षा द्वारा मंदिरों के स्वरूप में परिवर्तन और ह्रास की घटनायें भी देखी गयीं।

3.1 प्रस्तावना

विरासत प्रबंधन, सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रबंधन तकनीकों का अनुप्रयोग है ताकि वे समाज के लिए दीर्घकालिक मूल्य और लाभ के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बने रहें।

मध्य प्रदेश ने अपने गौरवशाली अतीत के साथ, प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक उल्लेखनीय विविधता विरासत में प्राप्त की है। चूँकि सांस्कृतिक गुण हमारी सदियों पुरानी परंपराओं के जीवित साक्षी हैं, इसलिए सभी मानव जाति का यह एक सामान्य उत्तरदायित्व है कि वे भावी पीढ़ी के लिए उनकी रक्षा करें।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को, प्रत्येक कलात्मक या ऐतिहासिक रूचि (राष्ट्रीय महत्व के) वस्तु या स्मारक अथवा स्थान को खराब होने, विरूपण, विनाश, हटाने, बेचने या निर्यात, जैसा भी मामला हो, से बचाने के लिए बाध्यकारी बनाता है।

चित्र 3.1: सांका श्याम की छत्री, राजगढ़ (08–09–2021)

इन धरोहरों की पहचान, सुरक्षा, संरक्षण, स्थिरता और वृद्धि राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक होना चाहिए, क्योंकि एक बार खोने के बाद इन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता है।

हालाँकि, जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे, विभाग में लापरवाही और दूरदृष्टि की कमी के साथ गैर–नीति निर्माण और स्थलों के अनुचित प्रबंधन के कारण, इन स्मारकों की दीर्घकालिकता संकट में है।

जैसा कि कंडिका 1.6 में उल्लेख किया गया है, लेखापरीक्षा ने 85 नमूना स्मारकों और 104 निकटवर्ती स्मारकों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया। ये स्मारक चार क्षेत्रों का भाग थे जैसा कि **तालिका 3.1** में दिखाया गया है:

तालिका 3.1: निरीक्षण किए गए स्मारकों के क्षेत्रवार विवरण

क्रमांक	श्रेणी/क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	उत्तर क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	कुल
1	नमूना स्मारक	11	18	38	18	85
2	निकटवर्ती स्मारक	11	11	57	25	104
	कुल	**22**	**29**	**95**	**43**	**189**

इन स्मारकों की पहचान, सुरक्षा, संरक्षण और स्थायित्व के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई कमियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है।

3.2 नीतियां बनाने में कमियाँ

किसी संस्थान की नीतियों को विरासत स्थलों के प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित और प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। विभाग की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि स्मारकों के प्रभावी संरक्षण के लिए संचालनालय द्वारा कोई विस्तृत नीति या दिशा–निर्देश तैयार नहीं किए गए थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों का विवरण निम्नलिखित कंडिकाओं (3.2.1 से 3.2.3) में दिया गया है।

3.2.1 संरक्षण योजनाएँ तैयार न करना

स्मारकों का संरक्षण, सुरक्षा और विकास समय लेने वाली प्रक्रियाएं हैं और इस प्रकार, एक दीर्घकालिक कार्य योजना, संसाधनों के बेहतर उपयोग और रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति, 2014 के अनुच्छेद 4.06 के अनुसार, संरक्षण कार्य शुरू करने से पूर्व वार्षिक संरक्षण योजना सावधानीपूर्वक तैयार की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा स्मारकों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए कोई वार्षिक संरक्षण योजना तैयार नहीं की गई थी। विभाग के पास न तो दूरदर्शी नीति थी और न ही स्मारकों के समयबद्ध संरक्षण/ पुनरुद्धार के लिए रूपरेखा तैयार की गयी थी। इनके द्वारा पर्यटन को ध्यान में रखते हुए नागरिक सुविधाओं के लिए सृजन/ सुधार के प्रयास भी नहीं किए गए। वार्षिक संरक्षण योजनाओं के अभाव में, विभाग तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले स्मारकों की पहचान करने में विफल रहा था। पूर्वी क्षेत्र, जबलपुर; उत्तरी क्षेत्र, ग्वालियर तथा पश्चिम क्षेत्र, इंदौर में उनके अधीन 63 स्मारकों **(अनुलग्नक 3.1)** में संरक्षित स्मारकों के रूप में अधिसूचना जारी होने के बाद भी एक बार भी कोई संरक्षण कार्य नहीं किया गया था। इन स्मारकों की अधिसूचना की तिथियाँ 1984 से 2019 तक थीं।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि बजट निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रत्येक वर्ष चिन्हित स्मारकों के अनुरक्षण कार्यों के लिए योजनाएँ तैयार की जाती हैं और प्राप्त प्रस्तावों की जाँच के उपरांत प्रशासकीय/ तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी की जाती हैं और इन कार्यों को रख–रखाव योजना के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि वर्तमान में कार्यों को पूरा करने के लिए उनके पास 30 प्रतिशत से भी कम कर्मचारी हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने अपने नियंत्रण/ प्रबंधन के अंतर्गत स्मारकों की स्थिति और क्या उन्हें रख–रखाव की आवश्यकता थी, का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने 63 स्मारकों में से 14 का भौतिक निरीक्षण किया, जहाँ कभी भी कोई संरक्षण कार्य नहीं किया गया था और देखा कि ये स्मारक पूर्ण रूप से उपेक्षित थे, कुछ तो ढहने की स्थिति पर थे। इस प्रकार, विभाग का उत्तर पुष्टि करता है कि विभाग ने स्मारकों के संरक्षण के संबंध में पूरी तरह से लापरवाही दिखाई थी क्योंकि उसके पास स्मारकों के संरक्षण के संबंध में कोई स्थापित नीति/ कार्य योजना नहीं थी।

3.2.2 संरक्षण कार्यों के लिए लॉग–बुक का संधारण न करना

प्राचीन स्मारकों के लिए राष्ट्रीय संरक्षण नीति के अनुच्छेद 4.09 के अनुसार, संरक्षण की पूरी प्रक्रिया को संरक्षण के पूर्व, दौरान और पश्चात् मानचित्रों, चित्रों, तस्वीरों, डिजिटल रिकॉर्ड और फील्ड नोट्स में अभिलेखित किया जाना चाहिए, ताकि कार्रवाई के सतत् अभिलेख तैयार किए जा सकें। पिछली सभी कार्रवाई के लाभ को समझने के लिए स्थल कार्यालय में गत और वर्तमान में चल रहे संरक्षण कार्यों से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, सभी स्मारकों के लिए स्थलों पर अनिवार्य रूप से लॉग–बुक संधारित करने की प्रथा अपनाई जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने अपने नियंत्रणाधीन स्मारकों में किए गए संरक्षण कार्यों की प्रक्रिया का विवरण देने वाली लॉग–बुक का रख–रखाव नहीं किया था। लॉग बुक के अभाव में संबंधित स्मारकों पर किये गये पूर्व के कार्यों की सूचना क्षेत्रीय स्तर पर विभागीय अधिकारियों के पास आसानी से उपलब्ध नहीं थी। आवश्यक दस्तावेजीकरण के अभाव के परिणाम में संरक्षण की आयोजना, जब भी इसे किया जायेगा, अपर्याप्त एवं अपूर्ण हो सकती है। इसके अतिरिक्त, पहले अपनाई गई संरक्षण तकनीकों में निरंतरता सुनिश्चित नहीं की जा सकती जिसके परिणामस्वरूप संरक्षण के बाद स्मारकों की प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से किये गए। काम की कार्य माप पुस्तिका (एम.बी.) और कार्य के पूर्व और बाद के चित्र भी रखे गए थे। साथ ही विभागीय अधिकारियों को लॉग बुक संधारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भावी पीढ़ी एवं भविष्य की योजना हेतु लॉग बुक अनिवार्य रूप से संधारित की जानी थी।

3.3 स्मारकों पर सुविधाएँ

विरासत स्थलों का सौंदर्यशास्त्र सजगता के साथ बनाया गया एक सम्प्रेषण है कि हम कैसे अपने अतीत से सीख सकते हैं और कैसे याद रख सकते हैं। स्थलों का आकर्षण उनकी ऐतिहासिक

प्रामाणिकता, सौंदर्य संबंधी गुणवत्ता, भौतिक बनावट के साथ–साथ उन सुविधाओं पर निर्भर करता है जो आगंतुकों के लिए अनुभव को सुविधापूर्ण बनाती हैं। तद्नुसार, संरक्षित स्थलों पर सार्वजनिक सुविधाओं की सुंदरता और उपलब्धता का विश्लेषण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने संयुक्त रूप से 189 स्मारकों का निरीक्षण[1] किया और कई अनियमितताएँ देखीं जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

3.3.1 स्मारकों तक पहुँच मार्गों का अभाव

स्मारकों में और उनके आसपास बुनियादी ढाँचे का विकास (पहुँच मार्गों के निर्माण सहित) समुदायों के लिए सतत् सामाजिक और आर्थिक लाभ के अवसर प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक विरासत परिसंपत्ति की क्षमता को खोल सकता है।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान 189 स्मारकों में यह पाया गया कि 43 **(अनुलग्नक 3.2)** राज्य संरक्षित स्मारक प्रत्येक मौसम में उपयोग होने वाले पहुँच मार्गों की कमी के कारण सुलभता से पहुँच योग्य नहीं थे। इनमें से, चार[2] राज्य संरक्षित स्मारकों (24–01–2013 को अधिसूचित) का निरीक्षण करने में लेखापरीक्षा सक्षम नहीं हो सकी, क्योंकि ये दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित थे और संपर्क मार्ग पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं थे। इस प्रकार, ये स्मारक स्पष्ट रूप से आगंतुकों और विभागीय अधिकारियों के लिए भी दुर्गम थे। स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित करने के दो से 41 वर्षों के बाद भी संपर्क मार्गों का निर्माण न होना दर्शाता है कि विभाग इन ऐतिहासिक स्मारकों के प्रबंधन के प्रति उदासीन था। संपर्क मार्गों के अभाव के कुछ उदाहरण निम्नलिखित चित्रों में दर्शाये गए हैं।

चित्र 3.2: सोलहखंबी, विदिशा के लिए संपर्क मार्ग की खराब स्थिति (11–08–2021)

[1] स्मारकों का संयुक्त निरीक्षण विभागीय अधिकारियों के साथ किया गया।

[2] 1. शैल कला स्थल, भूरभुरी, बेलखंदार, पार्क रेंज, पचमढ़ी, जिला, होशंगाबाद;
2. शैल कला स्थल, तस्वीर पहाड़ी, हर्रापाल, गेम रेंज, बोरी, जिला, होशंगाबाद;
3. शैल कला स्थल, बावरी हर्रापाल–2, गेम रेंज, बोरी, जिला, होशंगाबाद; और
4. शैल कला स्थल, बावरी हर्रापाल–1, गेम रेंज, बोरी, जिला, होशंगाबाद।

चित्र 3.3: गढ़ी सुमावली, मुरैना के लिए संपर्क मार्ग का अभाव (14–09–2021)

चित्र 3.4: प्राचीन बावड़ी, पानसेमल, बड़वानी के लिए संपर्क मार्ग का अभाव (29–09–2021)

चित्र 3.5: पटियान दाई मंदिर, बाँदी मुहर, उचेहरा, सतना के लिए संपर्क मार्ग का अभाव (11–11–2021)

चित्र 3.6: चित्रित शैलाश्रय, गड्डी, रीवा के लिए संपर्क मार्ग का अभाव (10–11–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि जिन स्मारकों पर पहुँच मार्ग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहाँ तक पहुँच मार्ग के निर्माण के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर से लगातार संपर्क किया जा रहा है।

दुर्गम पहुँच मार्गों के कारण, न केवल विभागीय अधिकारियों का, बल्कि आगंतुकों का भी इन स्मारकों तक पहुँचना बहुत कठिन है, इस प्रकार इन स्मारकों को संरक्षित घोषित करने के उद्देश्यों को बिल्कुल निरर्थक बना दिया गया है।

3.3.2 स्थल विवरण से संबंधित देखी गई समस्याएँ

विरासत की व्याख्या आगंतुक के अनुभव को बढ़ा सकता है। व्याख्या सार्वजनिक मूल्यांकन में सुधार करता है और इन स्थलों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। आगंतुक इस बात की समझ प्राप्त करते हैं कि स्थल कैसे बने, उनके महत्व एवं असाधारण विशेषताएँ क्या हैं और उनका संरक्षण एवं रख–रखाव क्यों महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि स्थलों का वर्णन करने के लिए, विभाग के प्रयास ज्यादातर संकेतक और सूचना पट्ट प्रदान करने तक ही सीमित थे। विभाग ने अपने स्मारकों पर तीन प्रकार के संकेतक और सूचना पट्ट लगाए:

- स्मारक का नाम;
- संरक्षण सूचना पट्ट: स्थल को "संरक्षित स्मारक" के रूप में घोषित करना और निषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र के संबंध में नियम तथा स्मारक में और उसके आसपास अनधिकृत गतिविधियों को करने पर अर्थदंड; एवं
- सांस्कृतिक सूचना पट्ट: हिंदी और अंग्रेजी में स्मारक के इतिहास का वर्णन करने वाले।

हालाँकि उपर्युक्त में से केवल तीसरे प्रकार के संकेतक ने स्थल का विवरण प्रदान किया, पहली दो श्रेणियाँ आगंतुकों को स्थल से परिचित कराने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण थीं।

स्मारकों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने स्थलों पर उपलब्ध कराए गए संकेतकों और सूचना पट्टों के संबंध में निम्नलिखित कमियों को देखा:

(अ) 89 स्मारकों **(अनुलग्नक 3.3)** के संबंध में, यहाँ तक कि स्मारक के नाम का भी उल्लेख नहीं किया गया था। कुछ उदाहरणों में सागर में अटा करनेलगढ़ का किला, मुरैना में गढ़ी सुमावली, मुरैना में नूराबाद का सांक नदी पुल, आदि सम्मिलित हैं। स्मारकों के नाम के अभाव में, यहाँ तक कि अधिकांश आगंतुकों को उन्हें पहचाननें में भी मुश्किल होगी।

चित्र 3.7: सागर में अटा करनेलगढ़ का किला में कोई संकेतक पट्ट नहीं देखा गया (08–11–2021)

चित्र 3.8: मुरैना में नूराबाद के सांक नदी पुल पर कोई संकेतक पट्ट नहीं देखा गया (14–09–2021)

(ब) दंडात्मक संकेतक पट्ट की उपस्थिति असामाजिक और अतिक्रमणकारियों के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकती है। यह देखा गया कि 134 स्थानों **(अनुलग्नक 3.4)** पर दंडात्मक संकेतक पट्ट उपलब्ध नहीं थे जबकि ये तीन अन्य स्थानों पर अपठनीय थे।

चित्र 3.9: (इनसेट) पोला डोंगर गुफाएँ, भानपुरा, मंदसौर में अपठनीय संकेतक पट्ट (06–10–2021)

चित्र 3.10: (इनसेट) भुरिटोरी, सिरोंज, विदिशा में रिक्त संकेतक पट्ट (11–08–2021)

चित्र 3.11: चतुर्भुज मंदिर अमझेरा, धार में रिक्त संकेतक पट्ट (इनसेट)
(27–09–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि संरक्षित स्मारकों पर वैधानिक पट्टिकाओं और अन्य संकेतकों को लगाना एक सतत प्रक्रिया है। जहाँ कहीं भी बोर्ड क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें बदल दिया गया है। नए स्मारकों पर बोर्ड लगाए जाते हैं।

बॉक्स 3.1: संकेतक पट्टों की गैर–स्थापना

"राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014" के पैरा 9.08 के अनुसार, आवश्यक और स्पष्ट जानकारी देने के लिए उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त संकेतक प्रदान किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संचालनालय ने उप संचालक, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय पूर्वी क्षेत्र, जबलपुर के नियंत्रण में स्मारकों पर स्थापित करने के लिए साइनेज बोर्ड खरीदे थे। हालाँकि, ये अगस्त 2018 से आज तक (दिसंबर 2021) स्थापित नहीं किए गए थे।

चित्र 3.12: उप संचालक कार्यालय जबलपुर में गैर–स्थापित संकेतक पट्ट (08–12–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि उप संचालक, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय पूर्वी क्षेत्र, जबलपुर में रखे गए संकेतक पट्टों को संबंधित स्मारकों पर तत्काल स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

(ग) स्मारकों के संयुक्त निरीक्षण से यह भी पता चला कि उत्तरी क्षेत्र में स्मारकों पर संकेतक लगाते समय उचित सावधानी नहीं बरती गई थी और 'गुसाई का मठ' का नामक संकेतक, एक अन्य स्मारक 'पुरानी हवेली' पर लगाया गया था।

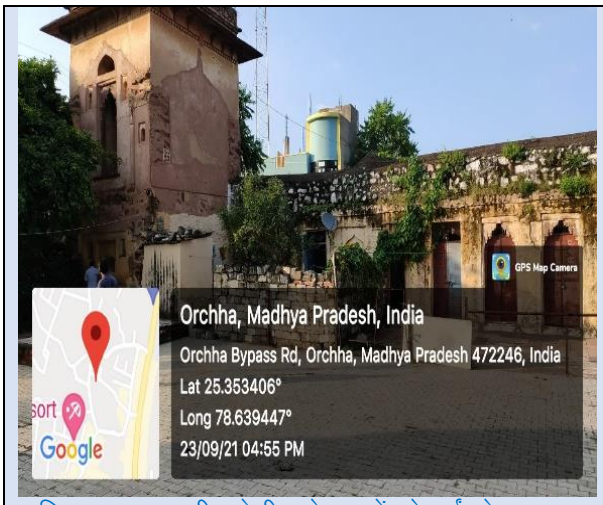

चित्र 3.13: पुरानी हवेली, ओरछा में गोसाईं के मठ का संकेतक पट्ट स्थापित किया गया था (23–09–2021)

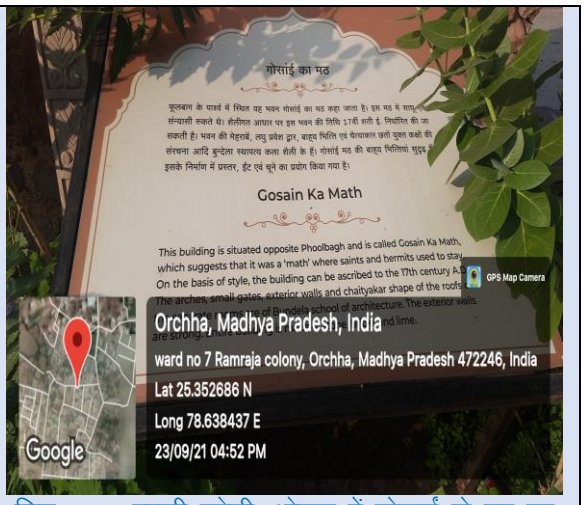

चित्र 3.14: पुरानी हवेली, ओरछा में गोसाईं के मठ का संकेतक पट्ट स्थापित किया गया था (23–09–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि उप संचालक, ग्वालियर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गोसाईं मठ के लिए बने बोर्ड को पुरानी हवेली ओरछा में गलती से रखा गया था जिसे अब सही स्मारक पर लगाया गया है।

इन कमियों के कारण, स्थलों के भ्रमण के दौरान सार्वजनिक जानकारी और जागरूकता नहीं बढ़ाई जा सकी और साथ ही जनता इन स्थलों के असाधारण/ विशिष्ट विशेषताओं और इनके संरक्षण और रख–रखाव के महत्व को नहीं समझ सकी। इसके अतिरिक्त, उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.3.3 सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता का अभाव

विरासत पर्यटन में मूलभूत सुविधाएँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्योंकि वे स्थलों के भ्रमण के अनुभव और स्थान की लोकप्रियता को बढ़ाते हैं। वे पुनः पधारने और मौखिक प्रचार को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के पैरा 9.04 के अनुसार, प्रत्येक संरक्षित स्थल/ स्मारक स्थल पर आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएँ (शौचालय/ वॉशरूम, पीने का पानी, आदि) उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि आगंतुक सुखद अनुभव करें।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आगंतुकों के लिए मूलभूत सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे स्वच्छ पेयजल, सार्वजनिक सुविधाएँ, पार्किंग आदि निरीक्षण किये गये किसी भी स्मारक मे उपलब्ध नहीं थी। यह आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा निगरानी की कमी को भी दर्शाता है। इनकी अनुपलब्धता न केवल पर्यटकों को असहज करेगी बल्कि संभावित आगंतुकों को उनकी भविष्य की यात्राओं से भी हतोत्साहित करेगी।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़े स्मारकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जा रही है जिसमें पीने के पानी, शौचालय, रैंप आदि की सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएगी। अन्य चयनित स्मारकों पर भी वही सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी जहाँ यह उपलब्ध नहीं है।

3.4 सुरक्षा और अनुरक्षण

अनुरक्षण का अर्थ है किसी स्मारक की देख–भाल करना ताकि क्षति तथा ह्रास को रोका जा सके और यथासंभव लंबे समय तक अन्तःक्षेप से बचाया जा सके। सभी स्मारकों को उनके महत्व को बनाए रखने के लिए विधिवत बनाए रखा जाना चाहिए और किसी भी बड़े अनावश्यक अन्तःक्षेप से बचाने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

3.4.1 स्मारक परिचारकों/ देखभालकर्ताओं की कमी

स्मारक परिचारक सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, अवांछित वनस्पति निकासी, सफाई, धूल झाड़ना, झाड़ू लगाने, आगंतुकों को क्रम में करने आदि सहित स्मारकों के दिन–प्रतिदिन के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रत्येक स्मारक पर 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिये तीन पूर्णकालिक परिचारकों/ देखभालकर्ताओं की आवश्यकता के विरुद्ध केवल एक व्यक्ति को अकेले तैनात किया गया था। परिणामस्वरूप, किसी भी स्मारक में पूर्णकालिक परिचारक/ देखभालकर्ता नहीं थे। इसके अलावा, 189 स्मारकों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि 105 स्मारकों **(अनुलग्नक 3.5)** पर कोई परिचारक/ देखभालकर्ता उपलब्ध नहीं थे। पर्याप्त पर्यवेक्षण के अभाव में भविष्य में इन स्मारकों पर अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण आदि हो सकते हैं।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2022) कि वर्तमान में 523 संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा हेतु केवल 444 सुरक्षा गार्ड स्वीकृत किए गए हैं। सरकार से अतिरिक्त 200 गार्ड स्वीकृत कराने की प्रक्रिया चल रही है।

3.4.2 सुरक्षा बाड़/ सुरक्षा दीवार का अभाव

संरक्षित स्मारक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बाड़ लगाना/ सुरक्षा दीवार बनाना एक अनिवार्य आवश्यकता है। स्मारक के इस बाड़े वाले क्षेत्र को संभावित अतिक्रमण से मुक्त रखा जाना वांछनीय है।

प्राचीन स्मारकों की राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के पैरा 1.01 में प्रावधान है कि प्राचीन स्मारक स्थल के समीपस्थ/ आसपास की भूमि के हिस्से की सुरक्षा घेराबंदी की जानी चाहिए ताकि स्मारक को अतिक्रमण और अनधिकृत उपयोग से बचाया जा सके।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि 189 स्मारकों में से 79 स्मारकों **(अनुलग्नक 3.6)** में विभाग द्वारा सुरक्षा बाड़ का निर्माण नहीं किया गया था। सुरक्षा दीवार/ बाड़ लगाने के अभाव में, इन

स्मारकों पर अतिक्रमण कर लिया गया था और स्थानीय लोगों एवं भटके हुए जानवरों द्वारा क्षति होने की संभावना थी। ऐसे उदाहरणों को दर्शाने वाले तीन चित्र नीचे दर्शाये गए हैं:

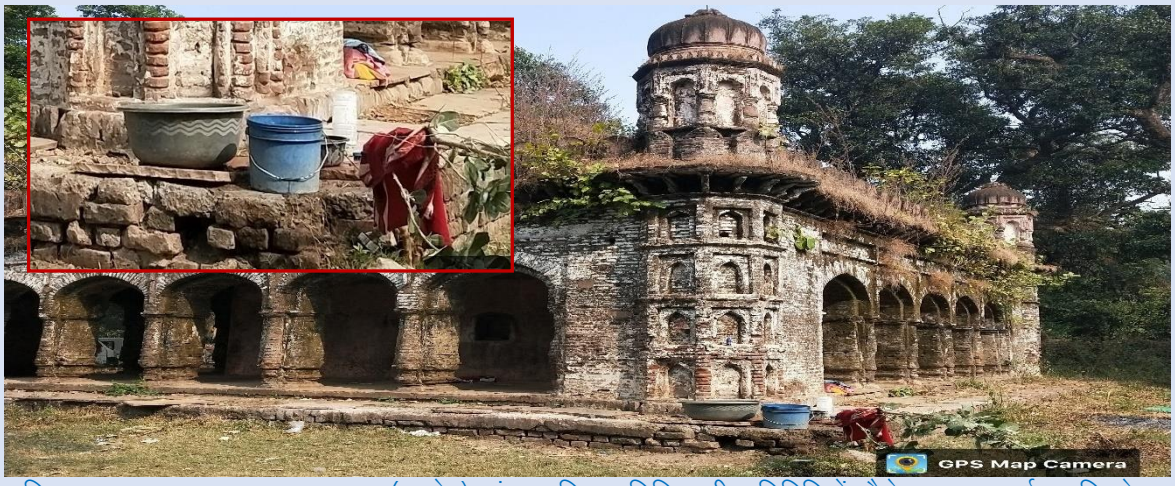

चित्र 3.15: आसफ खान का मकबरा (इनसेट), मंडला दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों जैसे स्नान, धुलाई, आदि के लिए उपयोग किया जा रहा है। (07–12–2021)

चित्र 3.16: स्थानीय किसानों द्वारा शिव मंदिर अंतरालिया, मंदसौर पर तीन तरफ से अतिक्रमण (इनसेट) किया गया था। (06–10–2021)

चित्र 3.17 चतुर्भुज मंदिर, अमझेरा, धार पर अतिक्रमण कर लिया गया था और मंदिर से सटे मकान बनाए गए थे। (27–09–2021)

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि प्रत्येक संरक्षित स्मारक पर सुरक्षा बाड़ या दीवार बनाई जानी चाहिए। ये कार्य सतत् प्रक्रिया हैं और बजट की उपलब्धता एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार किये जाने होते हैं।

इस प्रकार, संरक्षित स्मारकों के चारों ओर बाड़/ सुरक्षा दीवार की कमी ने स्मारकों के संरक्षण के उद्देश्य को ही काफी हद तक कमजोर कर दिया।

3.4.3 स्मारकों में और उनके आसपास अतिक्रमण और अनियमित निर्माण के प्रकरण

अतिक्रमण इन स्मारकों के सौंदर्य रूप को प्रभावित करते हैं और इन स्मारकों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा, ए.एम.ए.एस.आर. अधिनियम 2010 की धारा 20ए के अनुसार, कोई भी निजी/ सरकारी निर्माण, जो स्मारक की मौलिकता को प्रभावित करता है, स्मारक के 100 मीटर के दायरे में विभाग की अनुमति या जानकारी के बिना नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, नियमों में अनियमित निर्माणों को खाली करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप स्मारकों में और उसके आसपास निरंतर कब्जा बना रहता है।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान, 189 स्मारकों में से 64 में अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण और गतिविधियों के मामले देखे गए। विवरण **अनुलग्नक 3.7** में दर्शाए गए हैं। इन स्मारकों में अतिक्रमण के प्रकरणों के कुछ चित्र नीचे दर्शायें गए हैं: –

चित्र 3.18: गोंड महल, इस्लाम नगर, भोपाल के परिसर के 100 मीटर के भीतर स्थानीय लोगों के घर (01–09–2021)

चित्र 3.19: गढ़ी, गुढ़, रीवा के प्रांगण में विद्यालय संचालित हो रहा था (10–11–2021)

चित्र 3.20: पालकी महल, ओरछा (इनसेट) निवाड़ी के आसपास की दुकानें (23–09–2021)

चित्र 3.21: हमामखाना, ओरछा (इनसेट) निवाड़ी पशु शेड के रूप में उपयोग किया जा रहा है (24–09–2021)

चित्र 3.22: खजुराहो में महाराजा प्रताप की छत्री में कैफे संचालित था (12–11–2021)

चित्र 3.23: प्राचीन बावड़ी नंबर 1, छोटी जाम, महू, इंदौर पर कंक्रीट स्लैब और कॉलम देखे गए थे (23–09–2021)

चित्र 3.24: शिव मंदिर, ओरछा निवाड़ी में पशुओं के चारे के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है (इनसेट) (24–09–2021)

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में आयुक्त ने कहा कि विभाग इन सभी मामलों की जाँच के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा और स्थानीय प्रशासन की मदद से आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करेगा।

यह स्पष्ट है कि अतिक्रमण के मामलों में नियमित निरीक्षण, अतिक्रमण की पहचान और अविलंब निष्कासन की एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता है।

3.4.4 स्मारकों के लिए वार्षिक रख–रखाव तंत्र का अभाव

संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति, 2014 की धारा 2.05 के अनुसार, रख–रखाव या निवारक संरक्षण से तात्पर्य; क्षति और ह्रास को रोकने और यथासंभव लंबे समय तक अन्तःक्षेप से बचाने के लिए स्मारक की देखभाल करना है। स्मारकों का नियमित रख–रखाव न केवल स्मारकों को बचा सकता है बल्कि यह स्मारकों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए किफायती भी है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग के पास स्मारकों के वार्षिक रख–रखाव के लिए कोई नीति नहीं थी। इसके लिए न तो बजट की माँग की गई और न ही स्मारकों का वार्षिक रख–रखाव किसी अन्य स्रोत से किया गया। किसी भी संसाधन के अभाव में, संरक्षित स्मारकों की मूलभूत मरम्मत की आवश्यकतायें नियमित आधार पर पूरी नहीं की जा सकीं जैसा कि स्मारकों के ऊपर जंगली वनस्पतियों से भी स्पष्ट है। यह स्मारकों के लंबे समय तक अस्तित्व में बने रहने के लिए एक संभावित खतरा हो सकता है। रख–रखाव के अभाव में स्मारकों की खराब स्थिति को दर्शाने वाले कुछ चित्र नीचे दर्शायें गए हैं:

चित्र 3.25 और 3.26: चौगान किला (गाडरवाड़ा) को 14–08–1981 को संरक्षित घोषित किया गया था लेकिन आज दिनांक तक कोई संरक्षण कार्य नहीं किया गया (10–12–2021)

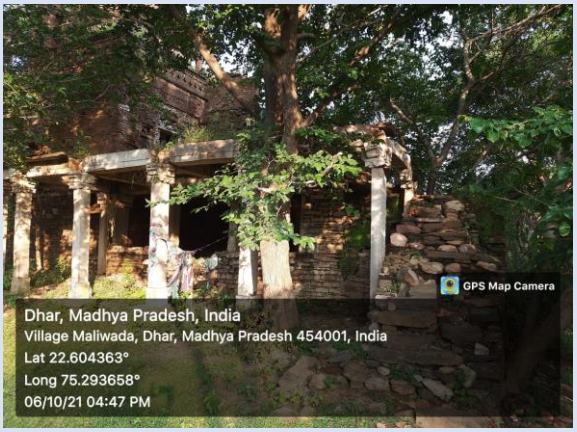

चित्र 3.27 और 3.28: मंदसौर में चंद्रावत की गढ़ी, अंतरालिया की खराब होती हुई स्थिति (06–10–2021)

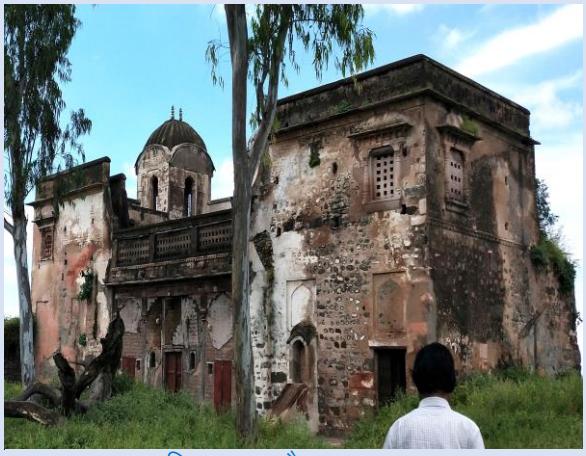

चित्र 3.29 और 3.30: खरबूजा महल, धार की खराब होती हुई स्थिति (30–09–2021)

चित्र 3.31 और 3.32: हनुमान मंदिर, सरभंगा, सतना की खराब होती हुई स्थिति (11–11–2021)

चित्र 3.33 और 3.34: हनुमान मंदिर, सरभंगा, सतना की खराब होती हुई स्थिति (11–11–2021)

चित्र 3.35: बख्तावर सिंह की गढ़ी, अमझेरा, धार की खराब होती हुई स्थिति (27–09–2021)

इस प्रकार आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय द्वारा वार्षिक रख–रखाव के लिए नीति तैयार न करने से स्मारकों पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि स्मारकों का वार्षिक रख–रखाव संचालनालय द्वारा प्राप्त रख–रखाव मद के बजट से किया गया है।

हालाँकि, तथ्य यह है कि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा उद्धृत उपर्युक्त स्मारकों का रख–रखाव नहीं किया था। स्मारकों की जीर्ण स्थिति संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिए गए चित्रों में साफ थी, जो स्पष्ट रूप से बताती है कि वार्षिक रख–रखाव लंबी अवधि से नहीं किया गया था।

3.4.5 स्मारकों में साफ–सफाई का अभाव

एक स्वच्छ स्मारक दृश्य अनुभूति को बढ़ाता है। मध्य प्रदेश ए.एम.ए.एस.आर. अधिनियम, 1964, की धारा 13 के अन्तर्गत, राज्य सरकार, उसके द्वारा अधिग्रहित प्रत्येक स्मारक का रख–रखाव करेगी। इसके अलावा, प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति, 2014 की धारा 2.16 के अनुसार, सफाई का अर्थ स्मारक की सतह से किसी भी हानिकारक वनस्पति या अवास्तविक सतह के जमाव और जैव–विघटनकारी कारकों को समय–समय पर हटाना है।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि विरासत स्थल अन्य वनस्पतियों के बीच कचरे, झाड़ियों और लताओं से घिरे हुए थे। यह संरक्षित स्मारकों के निम्न श्रेणी के रख–रखाव का संकेत देता है जो न केवल इन स्मारकों के दृश्य–आकर्षण को नुकसान पहुँचाता है बल्कि संरचना को भी खतरे में डालता है। निम्नलिखित आठ चित्र ऐसे उदाहरणों को दर्शाते हैं:

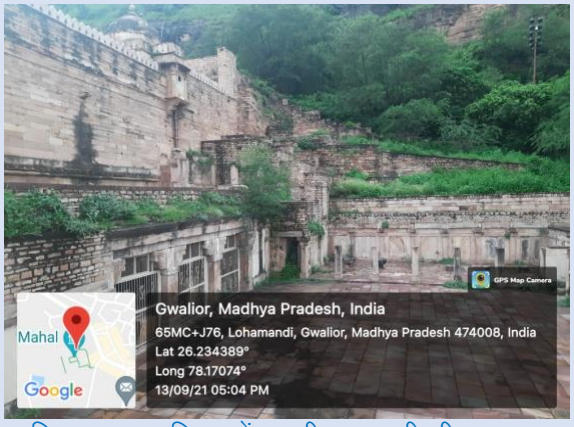

चित्र 3.36: ग्वालियर में गुजरी महल की दीवार पर वनस्पति (13–09–2021)

चित्र 3.37: ओरछा में पालकी महल की दीवारों पर वनस्पति (23–09–2021)

चित्र 3.38: प्राचीन बावड़ी नंबर 1, छोटी जाम, महू, इंदौर में वनस्पति और कचरा (23–09–2021)

चित्र 3.39: आसफ खान का मकबरा, मंडला की छत पर वनस्पति (07–12–2021)

चित्र 3.40 और 3.41: सूरज कुंड, हिंगलाजगढ़ किला, मंदसौर में किले की दीवारों पर वनस्पति और शैवाल की वृद्धि (07–10–2021)

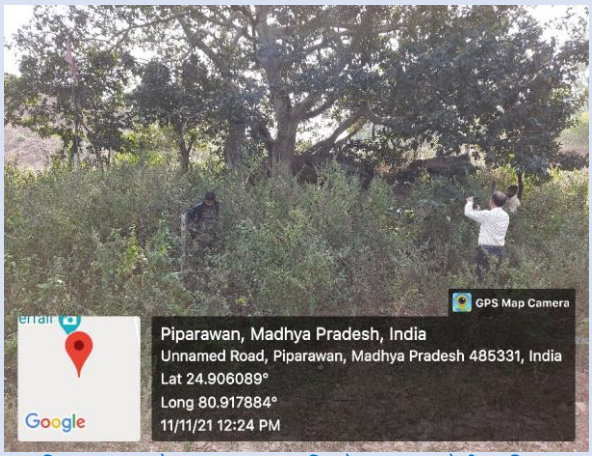

चित्र 3.42 और 3.43: वनस्पति ने चामुंडा देवी प्रतिमा, सरभंगा, सतना को पूर्णतया ढक लिया है। (11–11–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि चयनित स्मारकों में वर्षाकाल में उगने वाली छोटी वनस्पतियों की उपलब्ध कर्मचारियों द्वारा वर्षाकाल के बाद में सफाई की जाती है। भविष्य में सभी स्मारकों पर साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

ये अपर्याप्तताएँ रख–रखाव नीति का अभाव, संरक्षण के लिए कार्य योजना का अभाव, अपर्याप्त जन शक्ति आदि जैसे मुद्दों से उत्पन्न होती हैं जिन पर लेखापरीक्षा ने पूरे अध्याय में अलग से विस्तारपूर्वक चर्चा की है। जब तक कि कोई भी उपचारात्मक उपाय करने में अति विलंब न हो जाए तब तक विभाग द्वारा उन बुनियादी मामलों को संबोधित करने हेतु किसी का ध्यान न जाना जारी रहेगा।

3.4.6 संरक्षण कार्य में सीमेंट का प्रयोग

जॉन मार्शल के संरक्षण नियमावली 1922 के अनुसार, संरक्षण कार्य में सीमेंट का उपयोग सख्त वर्जित है क्योंकि यह संरचना को बाधक आधुनिक निशान प्रदान करेगा। यदि संरक्षण कार्य की अति–आवश्यकता है तो इसे स्मारक में पहले से उपयोग की गई सामग्री (जैसे चूना, गारा, सुरखी, आदि) के साथ किया जाना चाहिए।

स्मारकों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, छः मामलों में, यह देखा गया कि संरक्षण नियमावली के विपरीत संरक्षण कार्य में आधुनिक तकनीकों और सामग्री का उपयोग किया गया था। यह न केवल नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन करता है बल्कि विरासत संरचना के सौंदर्यशास्त्र को भी विकृत करता है। नीचे दिये गये चित्रों में ऐसे तीन उदाहरण दिखाए गए हैं:

चित्र 3.44: रोजा का मकबरा, मांडू, धार में पत्थर के जोड़ में प्रयुक्त सीमेंट (28–09–2021)

चित्र 3.45: खरबूजा महल, धार के प्लास्टर कार्य में प्रयुक्त सीमेंट (30–09–2021)

चित्र 3.46: मोती महल, रामनगर, मंडला की दीवार की मरम्मत में प्रयुक्त सीमेंट (07–12–2021)

चित्र 3.47: जुझार सिंह महल, ओरछा में दीवार के प्लास्टर कार्य में प्रयुक्त सीमेंट (23–09–2021)

चित्र 3.48: ओरछा में रायमन दाऊ की कोठी के प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए सीमेंट उपयोग किया गया (24–09–2021)

चित्र 3.49: गढ़ी सुमावली, मुरैना की दीवार के मरम्मत कार्य में प्रयुक्त सीमेंट (14–09–2021)

निःसंदेह, संरक्षण कार्य में सीमेंट के उपयोग ने स्मारकों के अभिलेखीय मूल्य को विकृत कर दिया था। यह संरक्षण कार्य के पर्यवेक्षण में शामिल विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा जॉन मार्शल के संरक्षण नियमावली, 1922 के अनुपालन में कमी को दर्शाता है।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि लेखापरीक्षा दल द्वारा उल्लेखित स्मारकों पर अनुरक्षण के समय प्रयुक्त सामग्री का पुनः परीक्षण किया जायेगा। हालाँकि, तथ्य यह है कि संरक्षण कार्य में सीमेंट के उपयोग के कारण स्मारकों का स्वरूप परिवर्तित हुआ था।

3.5 अन्य स्मारकों में विशिष्ट मुद्दों से संबंधित मामले

3.5.1 शैल कला का प्रबंधन

शैल कला, जो कि प्राकृतिक शैल संरचनाओं पर चित्रकारी और नक्काशी है, रचनात्मक अभिव्यक्ति के शुरुआती रूपों में से एक है और प्रागैतिहासिक समाजों के बीच एक सार्वभौमिक घटना है। शैल कला प्रागैतिहासिक समाजों की संस्कृति, रीति–रिवाजों, परंपराओं और जीवन का अध्ययन करने का प्राथमिक स्रोत है और इसमें चित्रलेख (चित्रकारी या पेंटिंग), पेट्रोग्लिफ्स (नक्काशी या शिलालेख), उत्कीर्णन (उकेरे गए रूपांकनों), पेट्रो फॉर्म (प्रतिरूपों में रखी गई चट्टानें), और जियोग्लिफ्स (सतह में चित्रकारी) सम्मिलित हैं। चित्रित प्राचीन जानवर, उपकरण और मानवीय गतिविधियाँ अक्सर सुदूर अतीत में दैनिक जीवन पर प्रकाश डालने में मदद करती हैं, हालाँकि चित्र प्रतिनिधित्व के बजाय बहुधा प्रतीकात्मक होते हैं।

मध्य प्रदेश में, कैमूर पहाड़ियों, सतपुड़ा और विंध्य के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर शैल चित्रों के अवशेष पाए गए। पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के लगभग 700 शैल आश्रयों और दीवार चित्रों के संग्रह को प्रदर्शित करते हुए, भीमबेटका शैलाश्रय भारत में मानव बस्ती के प्रारंभिक चिह्नों में से एक को दर्शाते हैं और ए.एस.आई. के संरक्षण में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। राज्य में गुफा/शिला, शैल कला के लगभग 250 अलग–अलग स्थान हैं, जिनमें से 22 संचालनालय के संरक्षण में हैं।

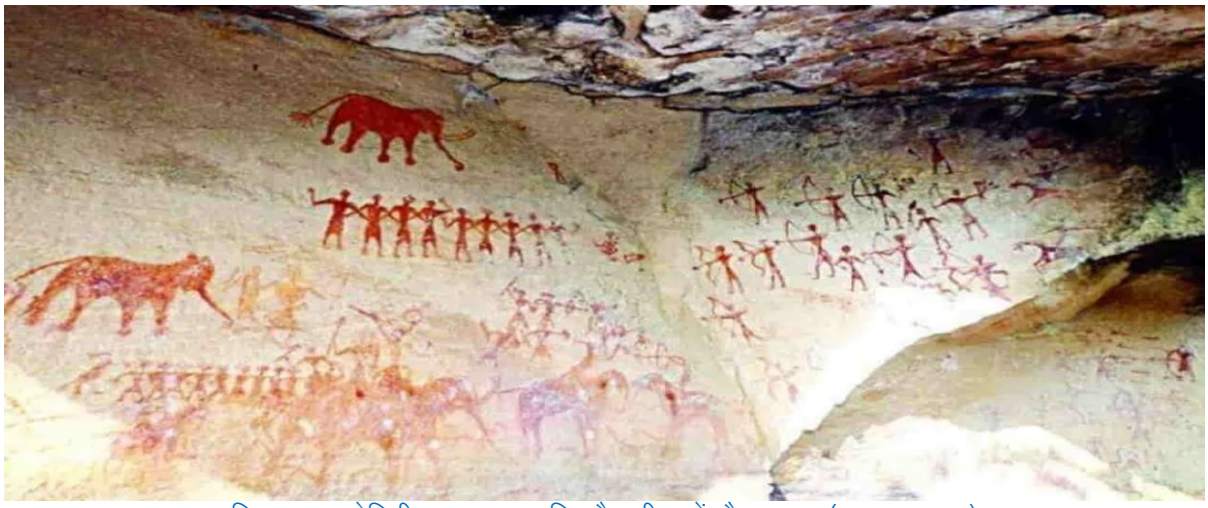

चित्र 3.50: योगिनी माता स्थल, सिरमौर, रीवा में शैल कला (10–11–2021)

संचालनालय के संरक्षण के अंतर्गत 11 चयनित शैल कला स्थलों में से, लेखापरीक्षा ने संयुक्त रूप से सात स्थलों, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, का निरीक्षण किया :

मानचित्र 3.1: लेखापरीक्षा में सम्मिलित जिलेवार शैल कला

संयुक्त निरीक्षणों के आधार पर अतिरिक्त विशिष्ट कमियों पर नीचे चर्चा की गई है।

3.5.1.1 शैल कला में ह्रास

शैल कला के मामले में, एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना आवश्यक है ताकि ये वायु, वर्षा और धूप के संपर्क में न आएं जो इन स्थलों के क्षरण को तेज कर सकते हैं।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो शैल कला के आसपास बाड़ लगाई गई थी न ही इन मूल्यवान शैल कलाओं को धूप, वर्षा और प्रकृति के अन्य खतरों से बचाने के लिए शेड का निर्माण किया गया था। बाड़ के अभाव में, तोड़–फोड़ से इंकार नहीं किया जा सकता (चित्र 3.51 से 3.60)। इसके अलावा, इन सात शैल कला स्थलों का पिछले पाँच वर्षों में विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था और इन स्थलों पर उनकी अधिसूचना के बाद से आठ से 31 वर्षों तक की अवधि के लिए कोई संरक्षण कार्य नहीं किया गया था। निम्नलिखित छवियाँ शैल कला को हुई हानि के कुछ उदाहरणों को दर्शाती हैं:

चित्र 3.51 और 3.52: गद्दी–रीवा में शैल कला, भोजन पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले चूल्हे से निकलने वाले धुएँ के कारण काली हो गयी थी (10–11–2021)

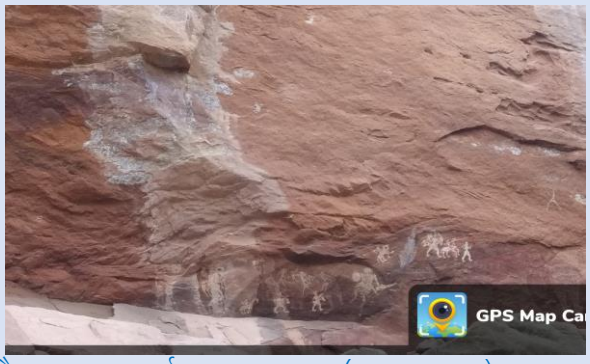

चित्र 3.53 और 3.54: चूर्णा गुंडी, होशंगाबाद में शैल कला पर वर्षा जल का प्रभाव (11–08–2021)

चित्र 3.55 और 3.56: बीछी सिंगरौली में गोरा पहाड़ पर शैल कला पर वर्षा जल का प्रभाव। चित्र, भित्ति लेखन के रूप में मानवीय हस्तक्षेप भी दिखाते हैं (07–12–2021)

चित्र 3.57 और 3.58: गद्दी–रीवा में गर्मी, प्रकाश धूप और पानी के सीधे संपर्क में आने से शैल कला फीकी पड़ गई। (10–11–2021)

चित्र 3.59 और 3.60: गर्मी, प्रकाश धूप और पानी के सीधे संपर्क में आने के कारण शैल कला फीकी पड़ गई, साथ ही भित्तिचित्रों से मानवीय हस्तक्षेप के संकेत, लिकिदंत–चंदेरी (01–12–2021)

इस प्रकार, शैल कला और उनकी सुरक्षा के लिए शेड और चारों ओर बाड़ की कमी ने इन मूल्यवान स्मारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि अधिकांश शैल चित्र वन क्षेत्र में स्थित हैं जिनमें किसी भी संरक्षण कार्य को करने के लिए वन विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अतः आवश्यक संरक्षण कार्य एवं बाड़ लगाना, वृक्षारोपण, संकेतक इत्यादि वन विभाग को सूचना देकर किया जाएगा।

3.5.2 महलों और किलों के प्रबंधन में अपर्याप्तता

विभाग के संरक्षण में कुल 49 महल और 49 किले थे, जिनमें से कुल 28 महलों और 17 किलों का संयुक्त निरीक्षण किया गया (मानचित्र 3.2)।

मानचित्र 3.2: लेखापरीक्षा में सम्मिलित जिलेवार किले एवं महल

संयुक्त निरीक्षण के दौरान देखे गए विशिष्ट मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.5.2.1 स्मारक के मूल स्वरूप में परिवर्तन

जॉन मार्शल के संरक्षण नियमावली की कंडिका 25 में कहा गया है कि किसी स्मारक की मौलिकता क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, पहला कर्त्तव्य नवीनीकरण नहीं बल्कि इसे संरक्षित करना है। एक अधूरे

या अर्ध–क्षरित मूल कार्य को एक उत्तम नए कार्य की तुलना में असीम रूप से अधिक मूल्यवान माना जाता है।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान, अनियमित संरक्षण / रख–रखाव कार्य के निम्नलिखित मामले देखे गए:–

- पुराने गोंड काल, नरसिंहपुर के राजमहल के संरक्षण कार्य के दौरान ठेकेदार ने कार्य की मौलिकता को बनाए नहीं रखा और स्मारक की मौलिकता को प्रभावित करते हुए स्तंभों और ब्रैकेट के डिजाइन को बदल दिया। यहाँ तक कि किया गया कार्य भी खराब दिखता है, जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में देखा जा सकता है।

चित्र 3.61 और 3.62: खंभों में अनुपयुक्त अनुरक्षण कार्य (09–12–2021)

चित्र 3.63: संरक्षण कार्य में ब्रैकेट की डिज़ाइन को अनुरक्षित नहीं किया गया (09–12–2021)

चित्र 3.64 और 3.65: संरक्षण के दौरान ब्रैकेट की डिजाइन में परिवर्तन (09–12–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि निरीक्षण कर उचित कार्रवाई की जायेगी।

विभागीय अधिकारी जैसे उप निदेशक, पुरातत्वविद् और संग्रहालय अध्यक्ष; विरासत विशेषज्ञ हैं और उनकी देख–रेख में संरक्षण कार्य किये गये थे। हालाँकि संरक्षण कार्यों के उनके पर्यवेक्षण के बावजूद, स्मारकों की मौलिकता में परिवर्तन के उदाहरण थे। यह भी देखा गया कि किये जा रहे जीर्णोद्धार कार्यों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों को किसी भी मामले में नियुक्त नहीं किया गया था।

यह इंगित करता है कि विभाग पुनरूद्धार कार्य पर निरर्थक व्यय करेगा, जो उपर्युक्त विभागीय अधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी के कारण खराब ढंग से किया गया था।

- विभाग गुजरी महल, ग्वालियर और हिंदुपत महल, पन्ना को क्रमशः कार्यालय और संग्रहालय के रूप में उपयोग कर रहा है और स्मारकों में आधुनिक परिवर्तन किया है, जैसे, फॉल्स सीलिंग, दीवारों पर लकड़ी की पैनलिंग और फर्श पर प्लास्टिक की फ्लोरिंग।

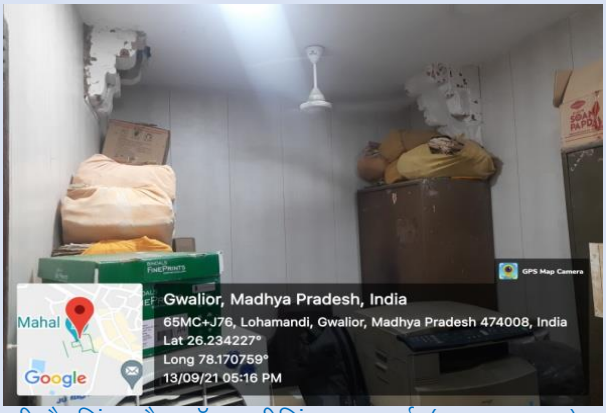

चित्र 3.66 और 3.67: गुजरी महल, ग्वालियर में लकड़ी की पैनलिंग और फॉल्स सीलिंग का कार्य (13–09–2021)

चित्र 3.68: हिंदुपत महल, पन्ना में फॉल्स सीलिंग का कार्य (12–11–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि गुजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर तथा हिंदुपत महल, पन्ना में कार्यालय एवं संग्रहालय कार्य कर रहे हैं। इनमें संग्रहालय के अनुसार, दीवारों को ढकने के लिए फॉल्स सीलिंग और लकड़ी का पैनलिंग लगाया गया था जबकि फर्श पर प्लास्टिक की कालीन बिछाई गई थी। इससे स्मारक का मूल स्वरूप नहीं बदला, बल्कि संग्रहालय की दृष्टिकोण से यह आवश्यक है।

हालाँकि, किए गए कार्य स्पष्ट रूप से स्मारक के सौंदर्य मूल्यों के अनुरूप नहीं थे।

- जुझार सिंह महल और पालकी महल (दोनों ओरछा में) के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित एजेंसियों ने स्मारक भवनों के रख–रखाव/ मरम्मत जैसे कि

रख–रखाव कार्य के दौरान सीमेंट का उपयोग, दीवारों पर चूना लेप, जल निकासी पाइपों को लगाना, विद्युत फिटिंग आदि पर प्रतिबंधों के लिए नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया। इस प्रकार, इन स्मारकों की मौलिकता से समझौता किया गया था। ऐसे दो उदाहरण नीचे चित्रों में दिए गए हैं:

चित्र 3.69 एवं 3.70: जुझार सिंह महल के अनुरक्षण कार्य में सीमेंट एवं आधुनिक पाइप फिटिंग का उपयोग किया गया है। (23–09–2021)

चित्र 3.71: पालकी महल, ओरछा के अंदर आधुनिक विद्युत फिटिंग लगाई गई है (23–09–2021)

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि जुझार सिंह महल और पालकी महल ओरछा के निरीक्षण के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर विभाग के संरक्षण प्रयासों में प्रणालीगत कमियों को इंगित करता है क्योंकि संरक्षित स्मारकों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए लगातार किया जा रहा है, इस प्रकार सर्वप्रथम स्मारकों के संरक्षण के औचित्य की अनदेखी की जा रही है।

3.5.2.2 संरक्षण व रख–रखाव न करने के कारण बिगड़ती स्थिति

एक ऐतिहासिक स्मारक को संरक्षित घोषित करने के बाद, विभाग को इसके मूल स्वरूप को संरक्षित करने के लिए समय–समय पर आवश्यक संरक्षण/ रख–रखाव कार्य करना चाहिए।
यह देखा गया कि विभाग ने न तो कोई वार्षिक संरक्षण योजना तैयार की थी (कंडिका 3.2.1 का संदर्भ लें) न ही स्मारकों के दैनिक रख–रखाव के लिए कोई योजना थी। इसके कारण, इनमें से कई महलों और किलों की हालत बिगड़ती जा रही है और उनकी स्थिति दयनीय है। दो प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

- खरबूजा महल, धार और गोंड महल, भोपाल की संरचना गंभीर रूप से कमजोर हो गई है और सुरक्षा चिंताओं के कारण आगंतुकों को इन स्मारकों के भ्रमण की अनुमति नहीं थी।

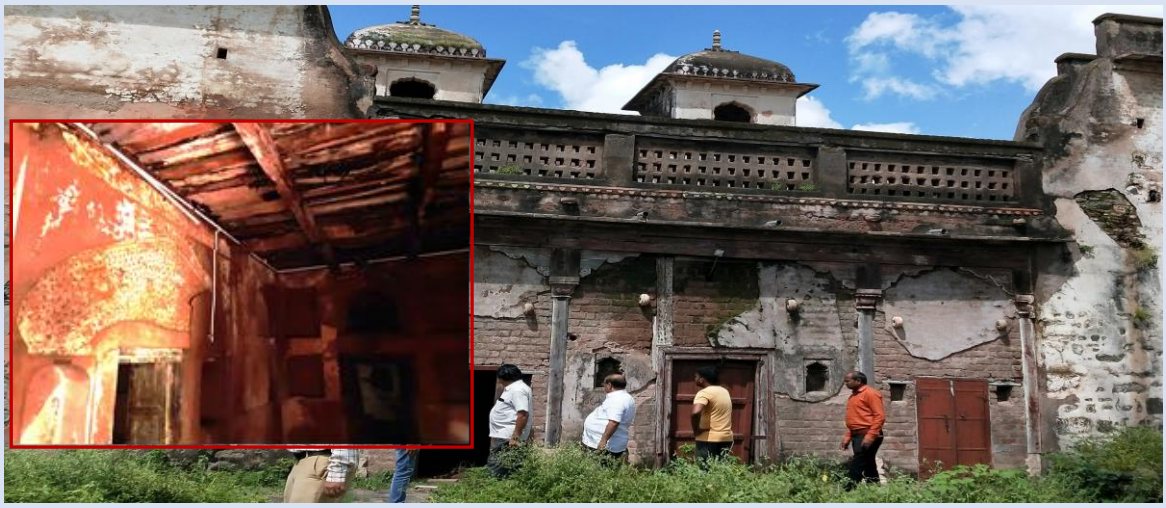

चित्र 3.72: धार में खरबूजा महल, सुरक्षा चिंताओं के कारण प्रवेश बंद (इनसेट) (30–09–2021)

चित्र 3.73 और 3.74: गोंड महल, इस्लाम नगर, भोपाल (01–09–2021)

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि स्मारकों का अनुरक्षण कार्य प्रशासनिक स्वीकृति के बाद प्रारम्भ किया जायेगा।

हालाँकि, स्मारकों की स्थिति का आकलन पहले से नहीं करने या जीर्णोद्धार की प्रक्रिया पहले से ही प्रारंभ नहीं करने के कारणों को नहीं बताया गया।

3.5.2.3 तोड़–फोड़

"तोड़–फोड़", सार्वजनिक संपत्ति को सोच–समझकर या इरादतन किया गया ध्वंस या क्षति है। विरासत के अवशेष, एक बार नष्ट हो जाने के बाद, उन्हें उनके मूल स्वरूप में वापस या पुनःस्थापित नहीं किया

जा सकता है। भित्तिलेख, विरूपण और संबंधित समस्याएँ तोड़–फोड़ के कृत्य हैं जो स्मारकों को क्षति पहुँचाते हैं।

स्मारकों पर चेतावनी सूचक बोर्ड नहीं लगाने और देखभाल करने वालों की नियुक्ति न होने के कारण, आगंतुक दीवारों पर अपना नाम लिख रहे हैं, जो न केवल विरासत संरचनाओं को नुकसान पहुँचाता है बल्कि उनकी सुंदरता को भी प्रभावित करता है। लेखापरीक्षा ने 77 स्मारकों में, भित्तिचित्रों और विरूपणों के बिखरे हुए प्रकरणों, जिसके परिणामस्वरूप स्मारकों के अन्तर्भूत मूल्य में परिवर्तन हुआ है, को देखा।

तीन स्मारकों (धार में खरबूजा महल, होशंगाबाद में पुराना किला और रीवा में गुढ़ की गढ़ी) के संबंध में, तोड़–फोड़ के प्रकरणों को दर्शाने वाले चित्र नीचे देखे जा सकते हैं:

चित्र 3.75: खरबूजा महल, धार की दीवारों (इनसेट) पर भित्तिलेख (30–09–2021)

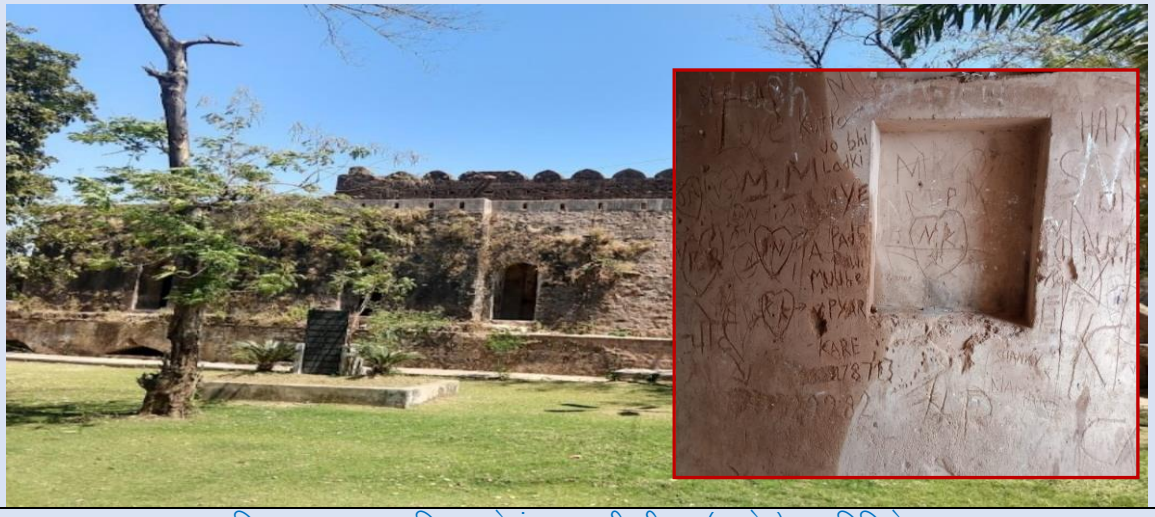

चित्र 3.76: पुराना किला, होशंगाबाद की दीवार (इनसेट) पर भित्तिलेख

चित्र 3.77: रीवा में गुढ़ की गढ़ी, की दीवार (इनसेट) पर विज्ञापन (10–11–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि पर्यटकों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं। हेरिटेज क्लब के माध्यम से स्कूलों/ विश्वविद्यालयों को शिक्षित करने की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है।

3.5.3 बावड़ियों का प्रबंधन

बावड़ी वे कुएँ या तालाब होते हैं जिनमें कुछ सीढ़ियाँ उतरकर पानी के स्तर तक पहुँचा जाता है। वे बहुमंजिला हो सकते हैं। पुराने समय में बावड़ियों का निर्माण वर्षा जल संचयन के लिए किया जाता था।

चित्र 3.78: प्राचीन बावड़ी, बड़वानी में जलगोन (29–09–2021)

चित्र 3.79 नीले रंग से चिह्नित जिले लेखापरीक्षा के अन्तर्गत शामिल थे

विभाग द्वारा 32 बावड़ियाँ संरक्षित हैं। इनमें से लेखापरीक्षा ने कुल 11 (मानचित्र 3.3) बावड़ियों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।

बावड़ियों को संरक्षण के गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है जो उनकी मौलिकता के नुकसान का कारण बन रही है। लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.5.3.1 संरक्षण व रख–रखाव न करने के कारण बिगड़ती स्थिति

संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि रख–रखाव न करने के कारण बावड़ियों की स्थिति खराब हो रही थी और लेखापरीक्षा ने देखा कि कई बावड़ियाँ जीर्ण–शीर्ण स्थिति में थी। उनकी मूल संरचनाओं को भी निरंतर लापरवाही के कारण क्षति का सामना करना पड़ा था।

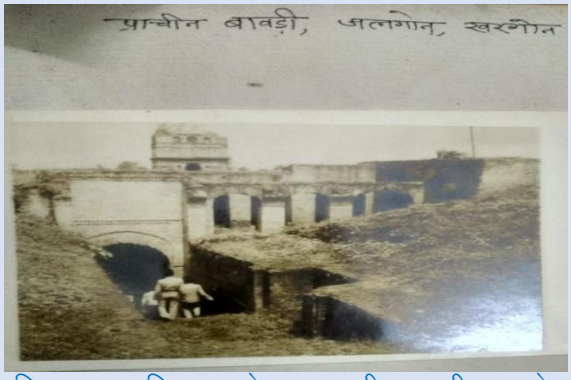

चित्र 3.80: अधिसूचना के समय प्राचीन बावड़ी, जलगोन (नवम्बर 1990)

चित्र 3.81: प्राचीन बावड़ी, जलगोन, वर्तमान स्थिति (29–09–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी से बावड़ी की वर्तमान स्थिति प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

3.5.3.2 पानी का अनधिकृत उपयोग

जॉन मार्शल के संरक्षण नियमावली के अनुसार, स्मारकों और स्थलों का नियमित और व्यवस्थित निरीक्षण वार्षिक या उससे भी अधिक बार किया जाना था।

स्मारकों को नुकसान और अनधिकृत उपयोग से बचाने के लिए, स्मारकों का अक्सर व्यवस्थित निरीक्षण करना आवश्यक है।

बावड़ियों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि विभाग से पूर्व अनुमति के बिना आसपास के निवासियों द्वारा निजी, घरेलू और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पानी अवैध रूप से निकाला जा रहा था।

चित्र 3.82: प्राचीन बावड़ी, छोटी जाम, महू, इंदौर से पानी (इनसेट) की अनधिकृत निकासी (23–09–2021)

चित्र 3.83: पानी की अनधिकृत निकासी (इनसेट) आलिया बावड़ी, चंदेरी (03–12–2021)

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में आयुक्त ने कहा कि इन सभी मामलों को संज्ञान में लिया गया है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3.5.4 धार्मिक भवनों का प्रबंधन

मध्य प्रदेश एक रमणीय राज्य है जो अपने विरासत मंदिर, कस्बों और स्थलों के लिए विख्यात है। राज्य में बड़ी संख्या में इमारतें, धार्मिक स्थल और स्मारक हैं जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

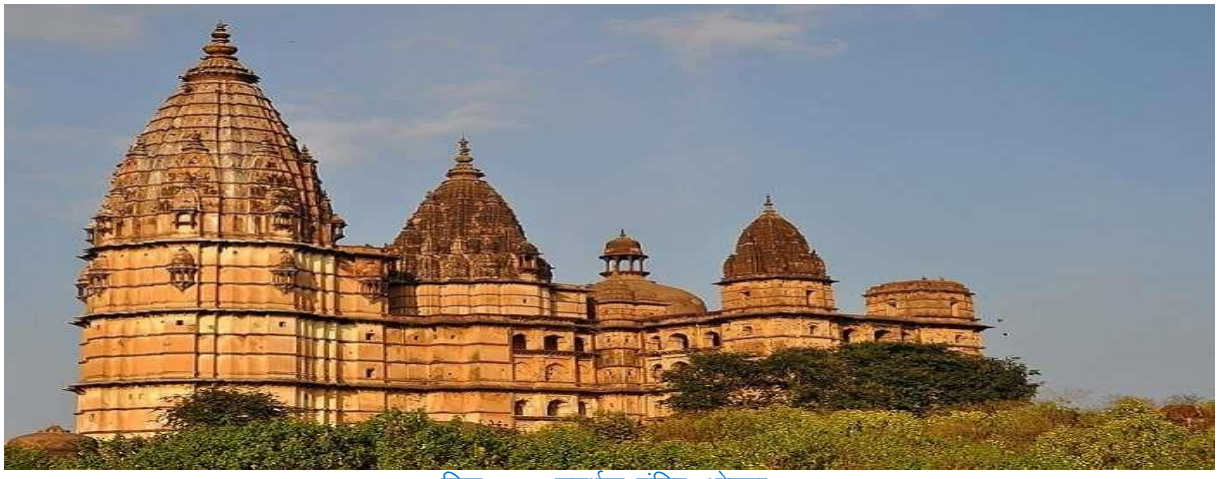

चित्र 3.84: चतुर्भुज मंदिर, ओरछा

मध्य प्रदेश में संचालनालय द्वारा संरक्षित 232 धार्मिक भवन हैं। लेखापरीक्षा ने कुल 52 **(मानचित्र 3.4)** धार्मिक भवनों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।

मानचित्र 3.4: लेखापरीक्षा में सम्मिलित जिलेवार धार्मिक भवन

स्मारकों के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में लिए गए मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है।

3.5.4.1 मंदिरों क स्वरूप में परिवर्तन

अनियमित संरक्षण/ रख–रखाव कार्य के निम्नलिखित उदाहरण देखे गए:

मंदिर का नाम	लेखापरीक्षा अवलोकन
धूमेश्वर महादेव मंदिर, भितरवार, ग्वालियर	यह मंदिर मूल रूप से लाल पत्थरों से बनाया गया था, हालाँकि, मंदिर का एक बड़ा हिस्सा अब सफेद रंग से रंगा हुआ है, जिसने न केवल

मंदिर का नाम	लेखापरीक्षा अवलोकन
	स्मारक के विरासत मूल्य को प्रभावित किया है बल्कि संरक्षण नियमावली[3] के प्रावधानों के प्रतिकूल भी है।
कालेश्वर मंदिर, महेश्वर, जिला खरगोन	यह मंदिर मूल रूप से पत्थरों से बनाया गया था और मंदिर के बड़े हिस्से को अब (स्थानीय नागरिकों द्वारा) लाल रंग से रंगा गया है जिसने मंदिर के मूल स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। विभाग को इस किए गए मरम्मत कार्य की जानकारी नहीं थी।

चित्र 3.85 और 3.86: धूमेश्वर महादेव मंदिर, भितरवार, ग्वालियर (21–09–2021)

चित्र 3.87: अधिसूचना के समय कालेश्वर मंदिर (फरवरी 2014)

चित्र 3.88: संयुक्त निरीक्षण के समय कालेश्वर मंदिर (01–10–2021)

इस प्रकार, नियमावली में प्रावधानों के अनुसार संरक्षण कार्य नहीं किए जाने के कारण प्राचीन मंदिरों की प्रामाणिकता को काफी हद तक नुकसान पहुँचाया था और संचालनालय ने उनकी मौलिकता को पुनःस्थापित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया था।

[3] जॉन मार्शल के संरक्षण नियमावली का पैरा 25।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि धूमेश्वर मंदिर, भितरवार, ग्वालियर और कालेश्वर मंदिर, महेश्वर, खरगोन में पाई गई कमियों के संबंध में नियमानुसार सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

3.5.4.2 संरक्षण व रख–रखाव न करने के कारण बिगड़ती स्थिति

एक ऐतिहासिक स्मारक को संरक्षित घोषित करने के बाद, विभाग को समय–समय पर इसके मूल स्वरूप में संरक्षित करने के लिए आवश्यक संरक्षण/ रख–रखाव कार्य करना चाहिए। रख–रखाव न करने के कारण, इनमें से कुछ धार्मिक भवनों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। कुछ प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

- सतमढ़ी मंदिर परिसर, बडोह, विदिशा को 30 दिसंबर 1985 को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया था (ए.एस.आई. द्वारा स्मारक को गैर–अधिसूचित किए जाने के बाद)। परिसर में शुरू में सात मंदिर थे, जिनमें से छः अधिसूचना के समय अस्तित्व में थे।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि अब केवल पाँच मंदिर अस्तित्व में हैं क्योंकि अधिसूचना के बाद से कोई संरक्षण कार्य नहीं करने के कारण एक मंदिर ढह गया था। इसके अलावा, शेष पाँच मंदिरों की स्थिति भी समय के साथ नाजुक हो गई है। इस प्रकार, विभाग की ओर से स्मारक को अधिसूचित करने की केवल कागजी कार्रवाई की गई, विभाग की तरफ से रख–रखाव नहीं करने के परिणामस्वरूप अधिसूचना के बाद मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया।

चित्र 3.89: सतमढ़ी मंदिर, बडोह, विदिशा (11–08–2021)

चित्र 3.90: मंदिर के नष्ट हुए अवशेष, सतमढ़ी, बडोह, विदिशा (11–08–2021)

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में अधिसूचना के बाद एक मंदिर के ढहने के तथ्य को अस्वीकृत किया गया और यह कहा गया कि विभाग की निकट भविष्य में इन खंडहर के अवशेषों से मंदिरों को पुनर्निर्माण करने की योजना है।

हालाँकि, सतमढ़ी मंदिरों की अधिसूचना से संबंधित अभिलेखों के अनुसार परिसर में छः मंदिर थे।

3.6 आंतरिक नियंत्रण

3.6.1 जनशक्ति की कमी

विरासत संरक्षण में शामिल किसी भी एजेंसी के उचित कार्य के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित, अनुभवी और पर्याप्त जनशक्ति एक पहली आवश्यकता है।

यह देखा गया कि मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग विभिन्न संवर्गों में 27.95 प्रतिशत से 78.04 प्रतिशत तक तकनीकी और गैर–तकनीकी जनशक्ति की भारी कमी का सामना कर रहा है। विभिन्न संवर्गों में पदस्थ कार्मिकों की तुलना में स्वीकृत पदों की कुल स्थिति का विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: विभाग में जनशक्ति की स्थिति

क्र.सं.	पदों का वर्गीकरण	स्वीकृत कार्मिक संख्या	भरे हुए	खाली	खाली पदों का प्रतिशत
1.	श्रेणी–I (तकनीकी)	9	2	7	77.77
2.	श्रेणी –II (तकनीकी)	41	9	32	78.04
3.	श्रेणी –III (तकनीकी)	99	37	62	62.62
4.	श्रेणी –III (गैर तकनीकी)	105	57	48	45.71
5.	श्रेणी –IV (गैर तकनीकी)	376	272	104	27.95
कुल		630	377	253	

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि तकनीकी संवर्ग के अधिक प्रभावित होने के साथ सभी संवर्गों में कर्मचारियों की भारी कमी है। इसने संगठन के प्रदर्शन और निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। जनशक्ति की कमी के परिणामस्वरूप; रख–रखाव और विरासत स्थलों के पेशेवर प्रबंधन का अभाव हुआ जो संरक्षण कार्य के समय स्मारकों के मूल–स्वरूप में परिवर्तन, कमजोर सुरक्षा और रख–रखाव के संबंध में विभाग की अपर्याप्त कार्यप्रणाली, स्मारकों की समस्याओं पर ध्यान न दिया जाना, "संरक्षित" स्मारकों के पर्यवेक्षण में कमी इत्यादि में परिलक्षित हुआ जिसकी चर्चा पूर्व की कंडिकाओं में की गई है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2022) कि विभाग वर्तमान में अपने स्वीकृत कर्मचारियों के लगभग 50 प्रतिशत के साथ कार्य कर रहा है। तथापि, आवश्यकता के अनुसार 444 सुरक्षा गार्ड और कार्यालय कर्मचारी/ पुरातत्वविदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगाया गया था।

3.6.2 आवधिक निरीक्षणों के संबंध में नीति का अभाव

जॉन मार्शल के संरक्षण नियमावली के अनुसार, स्मारकों और स्थलों का नियमित और व्यवस्थित निरीक्षण वार्षिक या उससे भी अधिक बार किया जाना था। इसका उल्लेख राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 के पैरा 4.05 में भी किया गया था। इसके अलावा, स्मारकों के आवधिक भौतिक सत्यापन से स्मारकों की स्थिति की जाँच करने और निरीक्षण टिप्पणियाँ तैयार करने में मदद मिलेगी, जो आवश्यक संरक्षण कार्यक्रम या योजना तैयार करने में सहायता करेगा।

संचालनालय के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि स्मारकों के उचित/ नियमित निरीक्षण और रख–रखाव की एक प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। स्मारकों के नियमित निरीक्षण एवं रख–रखाव के अभाव में, विभाग द्वारा उचित संरक्षण, रख–रखाव एवं संरक्षण को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में प्रमुख सचिव ने कहा कि विभाग को समय–समय पर निरीक्षण के लिए दिशा–निर्देश बनाना चाहिए, ताकि विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक स्मारक का दौरा किया जा सके।

नीचे दिया गया बॉक्स 3.2 कुछ उदाहरणों को दर्शाता है जहाँ निगरानी और पर्यवेक्षण की कमी के कारण, कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों ने अपने विरासत मूल्य को खो दिया है।

बॉक्स 3.2: स्मारकों के लुप्त होने आर मूल–स्वरूप में परिवर्तन के प्रकरण

प्रकरण 1: "संरक्षित" स्मारक के मुख्य भाग का गायब होना

पटियान दाई मंदिर, बंधी मोहर, सतना (पूर्वी क्षेत्र, जबलपुर) 10वीं सदी का एक मंदिर है और सितंबर 1986 में इसे संरक्षित घोषित किया गया था। अधिसूचना से 30 वर्षों की अवधि में, मंदिर से जुड़ी हुई गढ़ी हुई मूर्तियों सहित मूल्यवान संरचनात्मक घटक, मंदिर से गायब हो गए हैं और वर्तमान में, किसी भी सांस्कृतिक/ विरासत मूल्य से विहीन यह स्मारक मात्र एक पत्थर की संरचना बन कर रह गया है। तथापि, विभाग इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर है, जो इंगित करता है कि विभाग द्वारा कभी भी इस स्थल का कोई निरीक्षण या स्थल की सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा, वहाँ कोई सुरक्षा संकेत लगा हुआ नहीं पाया गया।

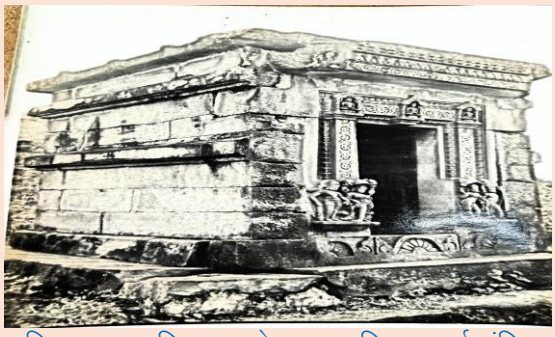

चित्र 3.91: अधिसूचना के समय पटियान दाई मंदिर (सितंबर 1986) (छविः फाइल फोटो)

चित्र 3.92: संयुक्त निरीक्षण के समय पटियान दाई मंदिर (11–11–2021)

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में प्रमुख सचिव ने मामले की जाँच करने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही।

प्रकरण 2: "अकुशल" सौंदर्यीकरण के कारण स्मारक के स्वरूप में परिवर्तन

बोलिया सरकार की छत्री, इंदौर का निर्माण 1858 में किया गया था और इसे दिसंबर 1985 में अधिसूचित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उप संचालक, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय पश्चिम क्षेत्र, इंदौर इस बात से अनभिज्ञ था कि संरक्षण कार्य, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन, इंदौर द्वारा किया गया था और स्मारक का रंग बदलकर उसका स्वरूप विरूपित हो गया था।

चित्र 3.93: बोलिया सरकार की छत्री, इंदौर संरक्षण कार्य से पहले (2016)

चित्र 3.94: बोलिया सरकार की छत्री, इंदौर संरक्षण कार्य के बाद (2021)

यह विभाग द्वारा, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन, जो स्पष्ट रूप से विरासत संरचनाओं के नवीनीकरण के लिए प्रशिक्षित और दक्ष नहीं था, द्वारा किए गए "नवीनीकरण" कार्य की निगरानी नहीं करने के कारण हुआ। इसके अलावा, संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि इसे संरक्षित स्मारक घोषित करने वाला एक साइन बोर्ड पहले से ही स्थापित था। इस तथ्य के बावजूद, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने इस पर काम किया और इसका स्वरूप बदल दिया।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में प्रमुख सचिव ने मामले की जाँच कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे विरासत स्थलों के संरक्षण कार्य में पुरातत्व मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उप संचालक को निर्देश जारी किए जाएंगे।

3.7 असंरक्षित स्मारकों पर व्यय

भारत सरकार ने निर्देश दिया था (फरवरी 2013) कि किसी भी स्मारक को संरक्षित घोषित करने के बाद ही उसके संरक्षण का कार्य किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2011–12 से 2014–15 की अवधि के दौरान, 13वें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से, संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण कार्य के लिए ₹ 157.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। कुल राशि में से:

- संचालनालय (मार्च 2021) द्वारा केवल ₹ 121.13 करोड़ (77 प्रतिशत) की राशि व्यय की जा सकी। यह तथ्य कि विभाग उपयोग की लक्ष्य तिथि (मार्च 2015) से सात वर्षों के बाद भी निधियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, यह स्पष्ट रूप से रख–रखाव और अनुरक्षण योजनाओं के अप्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है। ऐसे में इन अनुदानों का उद्देश्य विफल हो जाता है।

- भारत सरकार के आदेश के उल्लंघन में 17 असंरक्षित स्मारकों के रख–रखाव कार्य पर ₹ 2.30 करोड़ की राशि व्यय की गई थी (**अनुलग्नक 3.8**)। लेखापरीक्षा, असंरक्षित स्मारकों के जीर्णोद्धार/ अनुरक्षण कार्यों के करने की, विभाग की ओर से जरूरत या अविलंबता सुनिश्चित नहीं कर सका जबकि कई संरक्षित स्मारकों के जीर्णोद्धार की अति–आवश्यकता है और कुछ अनुरक्षण के अभाव में ध्वंस हो चुके हैं या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि रिक्त पदों के कारण विभाग समय सीमा के भीतर राशि व्यय नहीं कर सका। जहाँ तक असंरक्षित स्मारकों पर व्यय की गई राशि की बात है तो यह राशि उन्हीं स्मारकों पर व्यय की गई, जो पहले से ही संरक्षित थे या उन्हें संरक्षण में लेने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी प्रकार राज्य सरकार के निर्देशानुसार, कुछ स्मारकों को संरक्षित एवं असंरक्षित की श्रेणी से अलग कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के अनुमोदन पत्र के निर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जारी की जाने वाली राशि का उपयोग विरासत स्थलों (विश्व विरासत स्थलों सहित) के अनुरक्षण के लिए किया जाना था। इसके अलावा, स्मारकों (जिनके जीर्णोद्धार की अति–आवश्यकता है) के जीर्णोद्धार के लिए निधियों का उपयोग करने में अक्षमता विभाग की ओर से उदासीनता को दर्शाता है।

3.8 अनुशंसाएँ

यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

5. संरक्षित स्मारकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक संरक्षण योजना तैयार की जाए और इसका समय पर क्रियान्वयन हो।
6. संरक्षण कार्य इस प्रकार किए जाएँ जिससे स्मारकों के मूल–स्वरूप न बिगड़ें और संरक्षण कार्य के दौरान कलाकृतियों के विरूपण और स्मारकों के मूल–स्वरूप बिगड़ने के प्रकरणों पर संबंधित पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी तय की जाए।
7. वास्तविक आवश्यकता और कमी का आकलन करने के बाद चरणबद्ध प्रणाली से जनशक्ति की कमी को कम किया जाए; तथा
8. अतिक्रमण/ अवैध घुसपैठ और/ या कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से एक समन्वय तंत्र स्थापित किया जाए।

अध्याय IV

संग्रहालयों का प्रबंधन

अध्याय IV

संग्रहालयों का प्रबंधन

सारांश

सात राज्य संग्रहालयों, छः जिला संग्रहालयों, तीन स्थानीय संग्रहालयों, दो स्थल संग्रहालयों और चार पुरातत्व संघ संग्रहालयों की लेखापरीक्षा की गई जिसमें ज्ञात हुआ कि संग्रहालय प्रबंधन से संबंधित पहलुओं पर नीतियाँ अस्तित्व में नहीं थीं। संभावित नुकसान को कम करने और दर्शकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए, कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए रोटेशन नीति भी नहीं थी। विभाग ने प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से होने वाले खतरों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार नहीं की थी। साथ ही, संग्रहालयों में कलाकृतियों के आवधिक सत्यापन के लिए कोई प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी। वास्तव में, पिछले दस वर्षों में, संग्रहालयों का भौतिक सत्यापन दो से चार वर्षों के अंतराल पर किया गया था और कुछ मामलों में यह पिछले दस वर्षों में एक बार ही किया गया था। इसके अलावा, विभाग ने अपने नियंत्रणाधीन किसी भी संग्रहालय के डाटाबेस का डिजिटलीकरण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। इसने न केवल वैश्विक दर्शकों को भारतीय विरासत तक ऑनलाइन पहुँच से वंचित किया, बल्कि इच्छुक व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार की सुदूर उपलब्धता को संभव नहीं बनाया। लेखापरीक्षा ने कलाकृतियों की पहचान, प्रकाश व्यवस्था, वीथिकाओं का काफी समय तक आगंतुकों के लिए बंद रहने, 17 संग्रहालयों में खुले स्थान में कम से कम 500 कलाकृतियों के अनुपयुक्त प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर भी कमियाँ देखीं। इसके अलावा, संरक्षण कार्य में सीमेंट का उपयोग देखा गया जिसने कलाकृतियों के मूल स्वरूप को विकृत कर दिया। आगंतुकों के लिए ऑनलाइन टिकट, पीने योग्य पेयजल, क्लॉक रूम आदि जैसी उपयुक्त सुविधाओं का अभाव था। सुरक्षा व्यवस्थाओं को पर्याप्त रूप से संचालित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि संग्रहालयों में प्रदर्शित कलाकृतियों में पेंट के छींटे और सीमेंट के निशान है। यह इंगित करता है कि इन संग्रहालयों में चल रहे जीर्णोद्धार/ सिविल कार्यों के दौरान कलाकृतियों को ठीक से संरक्षित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि केवल कुछ संग्रहालयों में सी.सी.टी.वी. (संचालित अवस्था में) लगाए गए थे, किसी भी संग्रहालय में आग का पता लगाने और अलार्म सिस्टम स्थापित नहीं किए गए थे। कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों के संचालन में प्रशिक्षित नहीं किया गया था और न ही अग्निशमन प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। संग्रहालय भवनों, जैसे– रामनगर किला (चंदेरी), वेंकट भवन (रीवा), छप्पन महल (मांडू) और तुलसी राज्य संग्रहालय (रामवन, सतना) का पर्याप्त रख–रखाव नहीं किया गया था।

4.1 प्रस्तावना

संग्रहालय किसी राष्ट्र की संस्कृति के भंडार होते हैं क्योंकि वे अतीत को वर्तमान एवं भविष्य से जोड़ते हैं। संग्रहालय कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं के संग्रह का संरक्षण करते हैं और उन्हें स्थायी या अस्थायी प्रदर्शनों के माध्यम से जनसामान्य को देखने के लिए उपलब्ध कराते हैं।

मध्यप्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। मध्य प्रदेश के संग्रहालय मौर्य, गुप्त, मुगल, मराठा, अंग्रेजों और यहाँ तक कि प्रागैतिहासिक काल के युग की एक झलक प्रदान करते हैं। इन संग्रहालयों में शिलालेखों, मुहरों, पत्थर के स्तंभों, चित्रकारी, सिक्कों, चीनी मिट्टी की वस्तुओं, धातु और हाथी दाँत के खिलौनों, कलाकृतियों, मूर्तियों आदि का समृद्ध संग्रह है। मूर्तिकला संपदा भारतीय महाद्वीप में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक की कला के क्रमिक विकास को प्रदर्शित करती है।

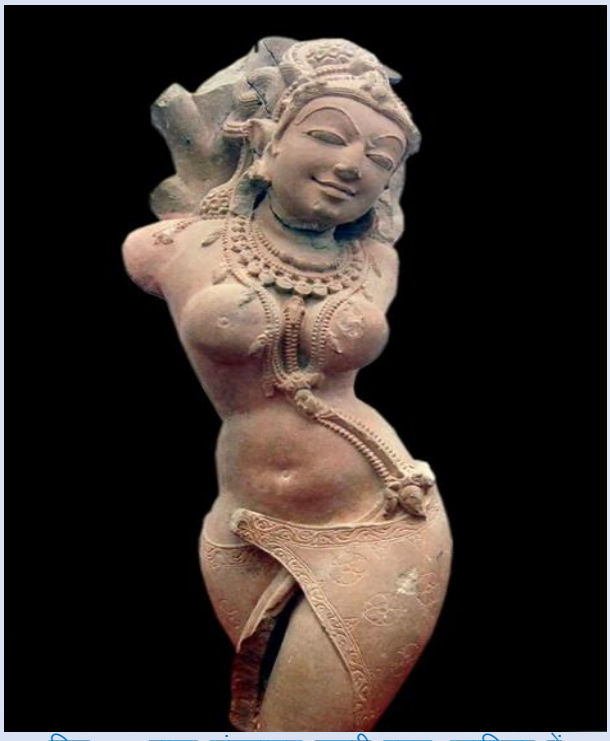

चित्र 4.1: राज्य संग्रहालय गुजरी महल, ग्वालियर में 10वीं शताब्दी की सालभंजिका (08–09–2021)

चित्र 4.2: स्थानीय संग्रहालय, भानपुरा, मंदसौर में 11वीं शताब्दी के नंदी (07–10–2021)

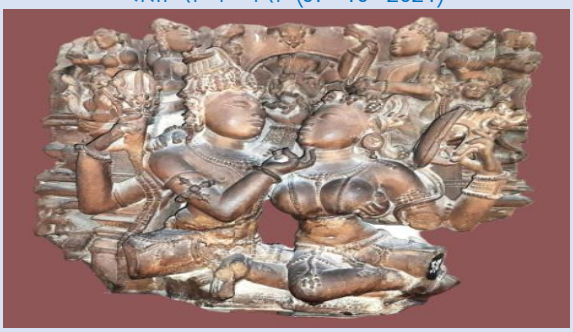

चित्र 4.3: राज्य संग्रहालय, जबलपुर में उमा महेश्वर 11वीं शताब्दी (07–12–2021)

मध्य प्रदेश में संग्रहालयों का प्रबंधन संचालनालय के पास है। मध्य प्रदेश में संग्रहालयों को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिनका विवरण नीचे तालिका 4.1 में दिया गया है:

तालिका 4.1: संग्रहालयों का विवरण

क्र.सं.	संग्रहालय की श्रेणी	राज्य में संग्रहालयों की संख्या
1	राज्य स्तरीय संग्रहालय (सम्पूर्ण राज्य से प्राप्त कलाकृतियों को रखा जाता है)	07
2	जिला स्तरीय संग्रहालय (सम्पूर्ण राज्य से प्राप्त महत्वपूर्ण कलाकृतियों को रखा जाता है)	14
3	स्थानीय संग्रहालय (विशेष क्षेत्र से प्राप्त कलाकृतियों को रखा जाता है)	08
4	स्थल संग्रहालय (किसी एक स्मारक/ स्थल से प्राप्त कलाकृतियों को रखा जाता है)	05
5	पुरातत्व संघ संग्रहालय (जिला प्रशासन के नियंत्रण के अन्तर्गत संग्रहालय)	09
कुल		**43**

(स्रोत: संचालनालय)

संयुक्त निरीक्षण के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा में 22 संग्रहालयों, अर्थात सात[1] राज्य संग्रहालयों, छ:[2] जिला संग्रहालयों, तीन[3] स्थानीय संग्रहालयों और दो[4] स्थल संग्रहालयों (संचालनालय के नियंत्रण में) और चार[5] पुरातत्व संघ संग्रहालयों जो जिला प्रशासन के नियंत्रण में हैं को, शामिल किया गया।

1 भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना एवं उज्जैन।
2 देवास, धार, होशंगाबाद, निवाड़ी, रीवा एवं विदिशा।
3 आशापुरी, जिला रायसेन (आशापुरी और आस–पास के क्षेत्र में मंदिर परिसर की कलाकृतियाँ/ अवशेष शामिल हैं), चंदेरी, जिला अशोकनगर (पास के क्षेत्र में पाई गयी कलाकृतियाँ शामिल हैं) एवं महेश्वर (पास के क्षेत्र में पाई गयी कलाकृतियों में शामिल हैं)।
4 छप्पन महल (मांडू, धार) एवं गोलघर (भोपाल)।
5 बैतूल, दतिया, खण्डवा एवं सिवनी।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान तथा विभागीय अभिलेखों से पाये गये मुद्दों का विवरण निम्नानुसार है।

4.2 संग्रहालय के प्रबंधन के लिए नीति/ दिशा–निर्देश

4.2.1 संग्रहालयों के प्रबंधन के संबंध में नीतियों का अभाव

किसी संस्थान की नीतियाँ कार्यप्रणाली स्थापित करने और दीर्घकालिक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करने के लिए तैयार की जाती हैं। संग्रहालयों की विभिन्न गतिविधियों की सुचारू कार्य पद्धति के लिए एक सुपरिभाषित नीति तैयार की जानी चाहिए और उसे अपनाया जाना चाहिए। ये नीतियाँ व्यापक होनी चाहिए और वर्तमान प्रबंधन और भविष्य के विकास के मुद्दों को समेकित किया जाना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय, 2013 के दिशा–निर्देशों के अनुसार, संग्रहालय प्रबंधन और विकास के लिए पाँच स्तंभों को अपनाया और तद्नुसार कार्य किया जाना चाहिए, अर्थात:

(अ) परिरक्षण और संरक्षण: स्थल से खोजी गई वस्तुओं के संरक्षण के माध्यम से स्थल के मूल्यों और विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए;

(ब) व्याख्या और प्रस्तुति: स्थल के महत्व को सभी के साथ साझा करना;

(स) शिक्षा और पहुँच: संग्रहालय और इसमें संग्रहित वस्तुओं में आगंतुकों की रुचि को प्रोत्साहित और पोषित करना;

(द) आगंतुक सेवाएं और सुविधाएँ: सभी को सुविधाएँ और पहुँच प्रदान करना और स्थलों और संग्रहालय में अधिक संख्या में आने के लिए आगंतुकों को प्रोत्साहित करना;

(ई) प्रशासन और प्रबंधन: संग्रहालय प्रबंधन और प्रशासन के लिए कुशल पेशेवरों के रोजगार की नियुक्ति और कर्मचारियों के कौशल के निरंतर उन्नयन को सुनिश्चित करना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग के पास संग्रहालय और संग्रहालय स्थलों के कुशल प्रबंधन के लिए कोई नीति/ दिशा–निर्देश नहीं थे। भले ही ए.एस.आई. ने संग्रहालयों के प्रबंधन के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित और विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किए हैं, राज्य में विभिन्न श्रेणियों के 43 संग्रहालय होने के बावजूद, यह न केवल अपनी नीति तैयार करने में विफल रहा है, बल्कि ए.एस.आई. द्वारा तैयार किए गए दिशा–निर्देशों को लागू करने में भी विफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप संग्रहालयों का कुप्रबंधन हुआ है जिसकी चर्चा बाद की कंडिकाओं में की गई है।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि संग्रहालयों का संचालन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम और संग्रहालय विज्ञान के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्रदर्शनी एवं पुरावशेषों का प्रदर्शन एवं संग्रहालय के रख–रखाव, नियंत्रण एवं सुरक्षा को तद्नुसार सुनिश्चित किया गया है, तथापि सुझाव पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने ए.एस.आई. के दिशा–निर्देशों में निहित पाँच स्तंभों का सक्रिय रूप से पालन नहीं किया है और एक अच्छी तरह से संरचित और संहिताबद्ध प्रक्रिया के अभाव में, संग्रहालय प्रबंधन की प्रणाली विवेकहीन और अस्त व्यस्त हो सकती है।

4.2.2 कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिये नियमित रोटेशन नीति का अभाव

स्थान की कमी को देखते हुए, दुनिया के सभी संग्रहालय प्रदर्शन वस्तुओं/कलाकृतियों के आवधिक रोटेशन के लिये नीति तैयार करते हैं। संग्रहालय या वीथिका में कलाकृतियों के आवधिक रोटेशन में एक प्रदर्शित कलाकृति को दूसरे कलाकृति से बदलना होता है ताकि संग्रहालय में उपलब्ध सभी कलाकृतियों को समय–समय पर प्रदर्शित किया जा सके। यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि लंबे समय तक प्रदर्शित किए जाने पर यह कलाकृतियाँ, चोरी और तोड़फोड़ के जोखिम के अलावा, कंपन, धूल, तापमान और आर्द्रता में उतार–चढ़ाव के संपर्क में भी आती हैं। इसलिये संभावित नुकसान कम करने के लिये संग्रहालय में कलाकृतियों को आवधिक रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। राज्यसभा की संसदीय समिति की सिफारिश (जुलाई 2021) के अनुसार संग्रहालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक सुविचारित, पूर्व नियोजित आवर्तन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से, भौतिक रूप से और संग्रहालय की वेबसाइट पर कलाकृतियों का संपूर्ण संग्रह दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया जाए।

विभाग ने कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिये आवधिक रोटेशन नीति तैयार नहीं की है। नीचे दी गई **तालिका 4.2** विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित कलाकृतियों का विवरण दिखाती है:

तालिका 4.2: प्रदर्शित और आरक्षित वस्तुओं का विवरण

क्र. सं	संग्रहालय का नाम	अभी तक अधिकार में ली गई वस्तुओं की संख्या	प्रदर्शित वस्तुओं की संख्या	आरक्षित वस्तुओं की संख्या	कुल आरक्षित वस्तुएं (प्रतिशत में)
1	राज्य संग्रहालय, भोपाल	11,515	3,634	7,881	68
2	केंद्रीय संग्रहालय, इंदौर	10,457	1,581	8,876	84
3	गुजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर	8,782	688	8,094	92
4	राज्य संग्रहालय रामवन, सतना	1,176	194	982	83
5	रानी दुर्गावती संग्रहालय, जबलपुर	6,163	271	5,892	95
6	राज्य संग्रहालय, उज्जैन	417	254	163	40
7	धुबेला संग्रहालय, छतरपुर	2,656	803	1,853	70
8	जिला संग्रहालय, देवास	302	257	45	15
9	जिला संग्रहालय, रीवा	468	146	322	69
10	जिला संग्रहालय, धार	453	241	212	47

(स्रोतः संचालनालय)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन संग्रहालयों में ऐसा संग्रह है जिसकी संख्या संग्रहालयों द्वारा एक समय में प्रदर्शित किए जा सकने वाली कलाकृतियों की संख्या से बहुत अधिक है। इसलिए कलाकृतियों के रोटेशन की बहुत ही सुदृढ़ नीति को तैयार किया जाना होगा ताकि अधिकांश, यद्यपि सभी नहीं, कलाकृतियों को उचित समय के भीतर प्रदर्शित किया जा सके। आगे, निरन्तर रोटेशन वाली अतिरिक्त कलाकृतियाँ जो कि भंडार में रखी गई हैं, को भी देखभाल की आवश्यकता है, ऐसा न हो कि उन पर से ध्यान हट जाए।

विभाग ने (जुलाई 2022) में बताया कि संग्रहालय की सभी कलाकृतियों को समय–समय पर प्रदर्शित करने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कुल संग्रहालयों में जहाँ कलाकृतियों की संख्या कम है, वहाँ वैकल्पिक रूप से पुरावशेषों को प्रदर्शित करना संभव नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग में कोई रोटेशन नीति उपलब्ध नहीं थी और संग्रहालयों में संयुक्त निरीक्षण के दौरान, काफी संख्या में कलाकृतियाँ स्टोर में रखी देखी गई, जो लंबे समय से प्रदर्शित नहीं की गई थीं।

4.2.3 आपदा प्रबंधन योजना का अभाव

राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014 के पैरा 15.03 के अनुसार स्मारक और संग्रहालय के संरक्षण के लिये प्रारंभिक आवश्यकता के रूप में आपदा प्रबंधन योजना बनाई जानी चाहिए। जोखिम की पहचान करना, समझना और तैयारी करना संग्रहालय प्रबंधन के महत्वपूर्ण अंग हैं। शासकीय संग्रहालयों के संसाधनों पर जनता का विश्वास होता है इसलिये उनके संग्रह के खतरों को कम किया जाना चाहिए। एक मजबूत आपदा प्रबंधन योजना होने से संग्रहालय को अपनी प्राचीन विरासत की रक्षा करने में मदद मिलती है। आपदा प्रबंध योजना में आपदा की स्थिति से उबरने की रणनीति में निकासी योजना शामिल होनी चाहिए जिसे स्पष्ट रुप से रेखांकित किया गया हो।

मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की संभावना है। जोन–III[6] भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 28 जिले और जोन–II[7] भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 22 जिले हैं। राज्य के 32 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इसके अलावा, मानवनिर्मित आपदा जैसे आग आदि का खतरा हमेशा बना रहता है। इस प्रकार संचालनालय के अन्तर्गत पुरातात्विक विरासत इन आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनी हुई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आपदाओं के लगातार खतरों के बावजूद, विभाग ने किसी भी आपदा की स्थिति में संग्रहालयों को होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए अभी तक कोई आपदा प्रबंधन योजना तैयार नहीं की है। परिणामस्वरूप, अवश्यसंभावी आपदाओं के मामले में विभाग के पास कोई योजना या प्रोटोकॉल नहीं है, ताकि इसके आधिपत्य में विरासत की रक्षा/ संरक्षण किया जा सके। इसके

6 भूकंपीय क्षेत्र–III को मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र के रुप में वर्गीकृत किया गया है।
7 भूकंपीय क्षेत्र–II को निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

अतिरिक्त, विभाग ने आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिये कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण भी नहीं दिया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, केवल तीन अधिकारियों ने संग्रहालय सुरक्षा और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया था, जो दर्शाता है कि विभाग कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के प्रति उदासीन है।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में आयुक्त ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

4.2.4 आवधिक सत्यापन के लिए तंत्र का अभाव

कलाकृतियों की उपलब्धता और अस्तित्व सुनिश्चित करने और पुरावशेषों की स्थिति का आंकलन करने के लिए कलाकृतियों का आवधिक भौतिक सत्यापन आवश्यक था। इसके अभाव में, कलाकृतियों के चोरी होने या उनकी स्थिति खराब होने का खतरा हमेशा बना रहता है। यदि कोई निरीक्षण नहीं किया जाता है तो प्राचीन वस्तुओं की चोरी और उन्हें नकली के साथ बदल देने का जोखिम हमेशा बना रहता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संग्रहालयों में कलाकृतियों के आवधिक सत्यापन के लिए विभाग में ऐसी कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। इसके अलावा, पिछले दस वर्षों में, संग्रहालयों का भौतिक सत्यापन दो से चार वर्षों के अंतराल पर किया गया था और कुछ मामलों में यह पिछले दस वर्षों में केवल एक बार किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप कलाकृतियों का समय पर रख–रखाव नहीं हो सका और उनके संरक्षण की आवश्यकता का आंकलन भी नहीं किया जा सका। विभाग के अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षित संग्रहालयों में किए गए भौतिक सत्यापन का विवरण नीचे **तालिका 4.3** में दिखाया गया है:

तालिका 4.3: संग्रहालयों के भौतिक सत्यापन का विवरण

क्र. सं.	संग्रहालय का नाम	भौतिक निरीक्षण की तिथि	पिछले 10 वर्षों में निरीक्षण की संख्या
1	राज्य संग्रहालय, भोपाल	01–08–2019 एवं 19–09–2021	दो
2	राज्य संग्रहालय, उज्जैन	05–07–2021	एक
3	राज्य संग्रहालय, जबलपुर	08–08–2012, 07–10–2013, 19–07–2018 एवं 05–12–2019	चार
4	राज्य संग्रहालय, ग्वालियर	11–11–2014 एवं 22–07–2020	दो
5	जिला संग्रहालय, धार	05–01–2021	एक
6	जिला संग्रहालय, रीवा	दिसम्बर 2012, मई 2014, फरवरी 2017 एवं जुलाई 2021	चार
7	जिला संग्रहालय, होशंगाबाद	04–08–2021	एक
8	जिला संग्रहालय, ओरछा (निवाड़ी)	31–07–2017 एवं 02–08–2018	दो
9	स्थानीय संग्रहालय, रामनगर, चंदेरी	10–07–2018	एक
10	स्थानीय संग्रहालय, आशापुरी	05–10–2021	एक
11	स्थानीय संग्रहालय, महेश्वर	11–03–2022	एक
12	साइट संग्रहालय गोलघर, भोपाल	26–08–2021	एक
13	साइट संग्रहालय छप्पन महल, मांडू	07–01–2021	एक

(स्रोतः संचालनालय)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि संग्रहालय की कलाकृतियों का भौतिक सत्यापन समय–समय पर किया जाता है और संग्रहालय में संग्रहित कलाकृतियों की स्थिति की पुष्टि की जाती है। जिन संग्रहालयों का भौतिक सत्यापन निर्धारित समय में नहीं हुआ है, उनका सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संग्रहालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कलाकृतियों का भौतिक सत्यापन स्थानांतरण के दौरान प्रभार सौंपने के समय किया गया था। संक्षेप में, संग्रहाध्यक्ष/विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रणाली, निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है:

- स्थानांतरण/ नियुक्ति की कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है और ऐसे मामले भी हैं जहाँ ऐसे स्थानांतरण लंबी अवधि के बाद हुए हैं। इस प्रकार सत्यापन की आवधिक प्रणाली न होने से कलाकृतियों के चोरी एवं क्षति की संभावना रहती है।
- कुछ मामलों में, संबंधित अधिकारियों ने नये पदाधिकारियों के कार्यभार संभालने से बहुत पहले ही अपना प्रभार छोड़ दिया था, ऐसे में प्रभार सौंपते समय सत्यापन की प्रमाणिकता संदिग्ध है।

- यदि ऐसी चोरी/ नुकसान केवल प्रभार छोड़ने के समय ही सामने आते हैं तो कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करना या जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो सकता है।

4.3 आगंतुकों से जुड़ाव के प्रयासों की गैर मौजूदगी

प्रभावी संग्रहण प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है आने वाले आगंतुकों के लिए संग्रहालय को आकर्षक बनाने और उन्हें जुड़ा हुआ महसूस करने के लिए कदम उठाना। यह न केवल संग्रहालयों के अस्तित्व के उद्देश्यों को जोड़ता है, बल्कि यह अतीत की विरासत को भी गौरवान्वित करता है और लोगों के लिए संस्कृति को समझना और इसके साथ पहचान करना आसान बनाता है। इसके अलावा, आगंतुकों की संख्या में वृद्धि से राजस्व में वृद्धि होती है, जिसका उपयोग संग्रहालयों की गुणवत्ता में सुधार और उनको आधुनिक बनाने के लिए किया जा सकता है।

संग्रहालयों के लिये ए.एस.आई के दिशा–निर्देश, 2013 यह निर्धारित करते हैं कि अधिक दर्शकों को स्थल पर आने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रबंधन को अन्य बातों के साथ–साथः

- स्थल के अनुरूप सामग्री का उपयोग करके संग्रहालय एवं स्थल के लिए स्पष्ट और मानकीकृत दिशात्मक और सूचनात्मक संकेत विकसित करना;
- आंगतुकों के लिये पर्याप्त जन सुविधायें जैसे प्रसाधन कक्ष और साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना;
- स्थल और संग्रहालय को प्रचारित करें और व्यापक कार्यक्रमों, घटनाओं के कैलेंडर और मल्टी प्लेटफॉर्म एक्सेस ऑन एवं ऑफ साइट के माध्यम से व्यापक और नये दर्शकों तक पहुँचे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने इतनी बड़ी संख्या में संग्रहालयों और कलाकृतियों के अपने नियंत्रण में होने के बावजूद दर्शकों की रुचि को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। विवरण आगामी पैराग्राफ में शामिल है।

4.3.1 पहचान चिन्ह/ पट्टिका एवं प्रकाश का अभाव

दीर्घा में वस्तुओं के समूहों और प्रदर्शित होने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए अलग–अलग हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं[8] में शीर्षक होने चाहिए। पहचान लेबल चिन्ह कलाकृतियों के बारे में आमतौर पर सबसे बुनियादी जानकारी जैसे नाम, काल एवं मूल स्थान आदि प्रदान करते हैं। आगंतुकों को सामान्यतः कलाकृतियों के विवरण पढ़ कर कलाकृतियों को समझने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, यह ऐसा कार्य है जिसके लिए प्रशासन को बहुत कम प्रयास की आवश्यकता होगी, लेकिन यह संग्रहालय कार्य की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त, आगंतुकों की दृष्टि से एक समृद्ध और संवादात्मक अनुभव विकसित करने में प्रकाश व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 22 संग्रहालयों में से 12[9] में प्रदर्शित कलाकृतियों को बड़ी संख्या में पहचान शीर्षक/ लेबल नहीं लगाये गए हैं। इस तरह की प्राथमिक आवश्यकताओं का अभाव, आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने में जोर देने की कमी को इंगित करता है। निम्नलिखित चित्र ऐसे कुछ उदाहरणों को दर्शाते हैं:

---

8 ए.एस.आई. संग्रहालयों के लिए दिशा–निर्देश 2013 के पैरा 4.6।

9 राज्य संग्रहालय, भोपाल, ग्वालियर और सतना; जिला संग्रहालय, धार, ओरछा एवं विदिशा; स्थानीय संग्रहालय, चंदेरी एंव महेश्वर; स्थल संग्रहालय, छप्पन महल (मांडू) एवं पुरातत्व संग्रहालय, बैतूल, दतिया एवं खण्डवा।

चित्र 4.4: जिला संग्रहालय, धार में शीर्षक/लेबल के बिना प्रदर्शित कलाकृतियाँ (28–09–2021)

चित्र 4.5: जिला संग्रहालय, विदिशा में बिना शीर्षक/लेबल के प्रदर्शित कलाकृतियाँ (11–08–2021)

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि सभी संग्रहाध्यक्षों को प्रदर्शित सामग्री की लेबलिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 22 संग्रहालयों में से 11[10] संग्रहालयों में, शो–केस में प्रदर्शित कलाकृतियों के लिए स्पॉट लाइट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इस कारण कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ दर्शकों पर अपना प्रभाव डालने में विफल रही।

चित्र 4.6: राज्य संग्रहालय, जबलपुर में प्रकाश की अपर्याप्त व्यवस्था (07–12–2021)

चित्र 4.7: जिला संग्रहालय, विदिशा में प्रकाश की अपर्याप्त व्यवस्था (11–08–2021)

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में आयुक्त ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

4.3.2 संग्रहालयों में बंद दीर्घाएं

जिला संग्रहालय रीवा और धार तथा राज्य संग्रहालय, रामवन सतना के संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रत्येक संग्रहालय में दर्शकों के लिए एक दीर्घा बंद पाई गई थी। एक मामले को छोड़कर इन संग्रहालयों द्वारा ये दीर्घाएँ कब से बंद हैं, यह सूचित करने वाली सटीक अवधि प्रदान नहीं की गई। इन बंद दीर्घाओं में ऐतिहासिक महत्व की विभिन्न चित्रकारी, मूर्तियाँ, बाघ की प्रतिकृतियाँ और हाथी दाँत से बनी कलाकृतियाँ रखी गई हैं।

[10] राज्य संग्रहालय जबलपुर एवं सतना; जिला संग्रहालय धार, होशंगाबाद, रीवा एवं विदिशा, स्थल संग्रहालय आशापुरी, मांडू; तथा पुरातत्व संग्रहालय बैतूल, खण्डवा तथा सिवनी।

तालिका 4.4: संग्रहालयों में बंद दीर्घाओं का विवरण

क्र.सं.	संग्रहालय का नाम	बंद दीर्घाओं का नाम/ विवरण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	राज्य संग्रहालय, भोपाल	कांस्य दीर्घा। दीर्घा में कांस्य की कलाकृतियाँ थीं।	दीमक उपचार (अप्रैल 2022) से दीर्घा एक वर्ष से अधिक समय के लिए बंद है। उपचार पूरा करने और दीर्घा पुनः खोलने में देरी के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।
2	तुलसी संग्रहालय, रामवन, सतना	दीर्घा का कोई नाम नहीं। दीर्घा में भरहुत स्तूप, गुप्त काल और कलचुरी काल से संबंधित कलाकृतियाँ थीं।	दीर्घा आम जनता के लिए बंद है। दीर्घा कब से बंद की गई यह लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया। बंद करने के कारण भी नहीं बताए गए।
3	जिला संग्रहालय, धार	दीर्घा का कोई नाम नहीं। दीर्घा में हाथी दाँत की कलाकृतियाँ थी।	कर्मचारियों की कमी के कारण दीर्घा 2015 से बंद है। कीमती हाथी दाँत की कलाकृतियाँ खराब स्थिति में पड़ी हैं और पूरी दीर्घा धूल में ढकी हुई थी। अनुरक्षण न करने के कारण कलाकृतियों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बहुत अधिक है।
4	जिला संग्रहालय, रीवा	दीर्घा का कोई नाम नहीं। दीर्घा में रीवा शाही परिवार से संबंधित चित्र और बाघ की प्रतिकृतियाँ शामिल हैं।	बंद करने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं किया गया। रख–रखाव न होने के कारण कलाकृतियाँ धूल से ढक गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बाघों की खाल वाली प्रतिकृतियाँ दुरुस्ती/ मरम्मत के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गईं हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि दीर्घाओं को बंद रखना अनुचित था क्योंकि बंद रखने के कारण या तो उपलब्ध नहीं थे या न्यायोचित नहीं थे। भले ही दीर्घाएँ आम जनता के लिए बंद थी परन्तु संग्रहालय के कर्मचारियों द्वारा इसके उचित रख–रखाव का कदम उठाया जा सकता था। ऐसा न करने के कारण न केवल संग्रहित कलाकृतियों का क्षरण हुआ बल्कि दर्शकों को कलाकृतियों को देखने के अनुभव से भी वंचित होना पड़ा।

चित्र 4.8: राज्य संग्रहालय, भोपाल की बंद दीर्घा में प्रदर्शित काँसे से बनी कलाकृतियाँ (13–07–2021)

चित्र 4.9: राज्य संग्रहालय, रामवन, सतना की बंद दीर्घा में प्रदर्शित कलाकृतियाँ (08–11–2021)

चित्र 4.10: जिला संग्रहालय, धार की बंद दीर्घा में धूल से ढकी हाथी दाँत की कलाकृतियाँ (28–09–2021)

चित्र 4.11: बंद दीर्घा में रखे बाघ की क्षतिग्रस्त प्रतिकृतियाँ (22–11–2021)

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि अपरिहार्य स्थिति जैसे दीर्घा के नवीनीकरण के समय, दीर्घाओं को बंद रखा जाता है और नवीनीकरण पूर्ण होते ही इसे खोल दिया जाएगा।

तथापि उत्तर, बंद दीर्घाओं के अनुरक्षण न करने के कारणों को बताने में विफल रहा। इसके अलावा, इन्हें फिर से खोलने के लिए विभाग द्वारा कोई निश्चित समय–सीमा नहीं दी गई।

4.3.3 आगंतुकों के लिये सुविधाओं का अभाव

लोग संग्रहालयों और स्मारकों का दौरा शिक्षा, सूचना, बहलाव और मनोरंजन जैसे विभिन्न कारणों से करते हैं। ऐसे दौरों के दौरान सामान्य सुविधायें जैसे ऑन लाइन टिकिट, क्लॉक रूम, प्रसाधन कक्ष, पीने का पानी, आसान पहुँच इत्यादि बुनियादी सुविधाएँ पर्यटकों के आकर्षण के लिए उत्प्रेरक के रुप में काम कर सकती हैं और समग्र अनुभव को बढ़ा सकती हैं।

लेखापरीक्षा ने 2016–17 से 2019–20[11] की अवधि के लिए 10[12] संग्रहालयों के संबंध में आगंतुकों की संख्या पर डाटा एकत्रित किया। विवरण नीचे तालिका 4.5 में दिखाया गया है :

तालिका 4.5: संग्रहालयों में आंगतुकों का आवागमन

क्र.सं.	संग्रहालय का नाम	वर्ष–वार आगंतुकों की संख्या				कुल
		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	
	राज्य स्तरीय संग्रहालय					
1	भोपाल	16,526	18,292	15,906	20,683	**71,407**
2	महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, धुबेला, छतरपुर	28,048	24,626	44,661	38,742	**1,36,077**

11 2020–21 के दौरान आने वालों (फुटफॉल) पर कोविड–19 का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इसलिए डाटा पर विचार नहीं किया गया।

12 राज्य संग्रहालय – भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर एवं सतना; जिला संग्रहालय – धार, ओरछा, रीवा एवं विदिशा।

क्र.सं.	संग्रहालय का नाम	वर्ष–वार आगंतुकों की संख्या				कुल
		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	
	राज्य स्तरीय संग्रहालय					
3	गुजरी महल, ग्वालियर	1,97,850	2,63,426	3,17,282	3,52,779	**11,31,337**
4	इंदौर	22,591	23,577	29,460	32,563	**1,08,191**
5	जबलपुर	5,580	7,872	7,612	7,183	**28,247**
6	तुलसी संग्रहालय, रामवन, सतना	1,592	1,379	629	468	**4,068**
7	त्रिवेणी संग्रहालय, उज्जैन	0	0	6,889	16,277	**23,166**
	जिला स्तरीय संग्रहालय					
8	ओरछा	2,04,243	2,99,366	2,61,771	2,03,996	**9,69,376**
9	रीवा	4,049	8,055	0	4,171	**16,275**
10	विदिशा	1,031	876	853	871	**3,631**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जिला संग्रहालय, ओरछा में वर्ष में आगंतुकों की संख्या दो लाख से अधिक थी और अन्य तीन[13] संग्रहालयों में, इस अवधि के दौरान वर्ष में आगंतुक 20,000 से अधिक थे। ये आंकड़े इंगित करते हैं कि इन संग्रहालयों में एक बड़ी संभावना है और जन सुविधाओं में सुधार वास्तव में आगंतुकों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकता है।

हालाँकि, लेखापरीक्षा निरीक्षण में पता चला कि संग्रहालयों की वर्तमान स्थिति में करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है:

- किसी भी संग्रहालय में ऑनलाइन टिकिट खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं थी। टिकिट केवल नगद के बदले ही खरीदे जा रहे थे।
- किसी भी संग्रहालय में आंगतुकों के सामान की सुरक्षा हेतु क्लॉक रूम प्रदान नहीं किये जा रहे थे।
- 17[14] संग्रहालयों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- विकलांग आगंतुकों के लिए रैंप प्रदान नहीं किए गए थे, इस प्रकार न केवल संग्रहालयों में उनके प्रवेश को सीमित कर दिया बल्कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 का उल्लंघन भी किया गया।

बुनियादी सुविधाओं की यह कमी इन संग्रहालयों में आने वाले लोगों को प्रभावित कर सकती है और आगंतुकों के अनुभव की गुणवत्ता को भी कम कर सकती है।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि प्रमुख संग्रहालयों में ऑनलाइन बुकिंग, टिकटिंग, विभागीय प्रकाशनों और प्रतिकृतियों की बिक्री आदि की व्यवस्था की जा रही थी।

4.4 डिजिटलीकरण

डिजिटलीकरण[15] में एक मानकीकृत, संगठित प्रारूप में जानकारी प्राप्त करना, परिवर्तित करना, भंडारण करना, प्रदान करना और विभिन्न उद्देश्यों के लिए संग्रहालय की वस्तुओं के उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ एक सामान्य प्रणाली के माध्यम से माँग पर उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा, संग्रहालय सांस्कृतिक पर्यटन के लिए केन्द्र बिन्दु है, डिजिटल जुड़ाव उन्हें डिजिटल चैनलों के माध्यम से वैश्विक दर्शकों के लिए संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। इंटरनेट के बड़े पैमाने पर विकास, स्मार्ट फोन और टेबलेट के माध्यम से मोबाइल के उपयोग में वृद्धि और सोशल मीडिया के प्रसार की पृष्ठभूमि में संग्रहालय विविध दर्शकों को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा डिजिटलीकरण दृश्य

[13] राज्य संग्रहालय – भोपाल, छतरपुर एवं इन्दौर ।

[14] राज्य संग्रहालय – इंदौर, जबलपुर एवं सतना; जिला संग्रहालय – छतरपुर, देवास, धार, होशंगाबाद, रीवा एवं विदिशा; स्थल संग्रहालय – आशापुरी, मांडू, महेश्वर, गोलघर (भोपाल) एवं पुरातत्व संग्रहालय – बैतूल, दतिया, खण्डवा एवं सिवनी।

[15] डिजिटलीकरण का अर्थ है एनालॉग डेटा को डिजिटल प्रारूपों में बदलना और कलाकृतियों के पाठ्य और छवि डेटा तैयार करना।

सामग्रियों की सुरक्षा करता है और उन्हे मशीन–पठनीय प्रारूप में परिवर्तित करता है जो उन्हें खराब होने से बचाता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 2013 के दिशा–निर्देशों के पैरा 1.7 के अनुसार, संग्रहालय को संरक्षण, अनुरक्षण, व्याख्या, डिजाइन, प्रकाशनों और आउटरीच कार्यक्रमों के उद्देश्यों के लिए संग्रहालय के संग्रह का डिजिटल दस्तावेज तैयार करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने अपने नियंत्रणाधीन किसी भी संग्रहालय के डाटाबेस का डिजिटलीकरण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। इसने न केवल भारतीय विरासत की ऑनलाइन पहुँच से वैश्विक आगंतुको को वंचित कर दिया बल्कि इच्छुक व्यक्तियों के लिए सुदूर उपलब्धता को संभव नहीं बनाया।

डिजिटलीकरण और केन्द्रीकृत डाटाबेस के अभाव में विभाग के पास निम्नलिखित के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है:

- कलाकृतियों पर निगरानी रखना और समय–समय पर उनका सत्यापन करना।
- संग्रहालयों में कलाकृतियों के रोटेशन नीति पर नजर रखना।
- कलाकृतियों की स्थिति, उनके आवधिक जीर्णोद्धार और रख–रखाव पर नजर रखना।
- मानवीय या प्राकृतिक कारणों से भौतिक अभिप्राप्ति पंजी के खो जाने/ क्षतिग्रस्त होने के स्थिति में कलाकृतियों पर नियंत्रण रखना।

विभाग ने (जुलाई 2022) बताया कि डिजिटलीकरण के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

बॉक्स 4.1: संचालनालय की वेबसाइट

संचालनालय की विभाग द्वारा संचालित एक वेबसाइट (www.archaeology.mp.gov.in) है लेकिन उसे अद्यतन नहीं किया गया। देखी गई कमियों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- राज्य संरक्षित स्मारकों की संख्या 526 थी परन्तु वेबसाइट पर केवल 497 स्मारकों का विवरण प्रदर्शित किया गया।
- सभी संरक्षित स्मारकों के चित्र और विवरण उपलब्ध नहीं हैं;
- 2003–04 से उत्खनन की सूची अद्यतन नहीं है;
- उत्खनन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है;
- केवल छः जिलों (21 सर्वेक्षित जिलों में से) की उत्खनन रिपोर्ट प्रदर्शित की गई;
- स्मारकों की जी.पी.एस. टैगिंग भी उपलब्ध नहीं थी और;
- ऐसे कई वेबपेज हैं जहाँ जानकारी खाली है।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022), में आयुक्त ने बताया कि विभागीय वेबसाइट को अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी है।

4.5 संग्रहालयों में अपर्याप्त सुरक्षा तंत्र

4.5.1 सुरक्षा निगरानी प्रणाली

एक अच्छी तरह से डिजाइन और अच्छी तरह से बनाई हुई परिधि बाड़ या दीवार सुरक्षा को पहली पंक्ति प्रदान करती है, हालाँकि, सी.सी.टी.वी. सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर सेवा प्रदान करती है जो अब सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर देखी जाती है और अपराध को कम करने में एक निवारक के रूप में कार्य कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 22 संग्रहालयों में से केवल चार संग्रहालयों[16] में सी.सी.टी.वी. स्थापित थे (और कार्यशील थे)। इस प्रकार, विभाग विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसके नियंत्रण के संग्रहालयों में बहुत दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएँ हैं, सुरक्षा मुद्दों को लागू करने में विफल रहा। 22 संग्रहालयों में से 17 संग्रहालयों में कलाकृतियों को बाहर प्रदर्शित किया गया था और प्रभावी सुरक्षा उपायों के अभाव में इन कलाकृतियों के चोरी/ टूट–फूट की संभावना थी।

चित्र 4.12: जिला संग्रहालय धार में बंद सी.सी.टी.वी. कैमरा (28–09–2021)

चित्र 4.13: जिला संग्रहालय, विदिशा में सी.सी.टी.वी. का अक्रियाशील कंट्रोल पैनल (11–08–2021)

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में आयुक्त ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

तथापि, तथ्य यह है कि विभाग सी.सी.टी.वी. के रहने के महत्व से अवगत था लेकिन इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहा।

4.5.2 आग से बचाव

अमूल्य कलाकृतियों को जनता के लिए प्रदर्शित करते समय उच्च सुरक्षा के साथ–साथ अग्नि सुरक्षा की भी जरूरत होती है। संबंधित अधिकारियों को अधिकतम अग्नि सुरक्षा प्रदान करने के लिए निष्क्रिय और सक्रिय दोनों उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। ऐतिहासिक इमारतों एवं संग्रहालयों में लोगों की उच्च सघनता के कारण एवं आंतरिक साज–सज्जा एवं मौजूद फिटिंग की ज्वलनशील प्रकृति के कारण मानव जीवन और संपत्ति के लिए जोखिम अपेक्षाकृत अधिक होता है।

बाइस संग्रहालयों के संयुक्त निरीक्षण से निम्नलिखित कमियाँ सामने आयीं:

- किसी भी संग्रहालय में आग का पता लगाने और अलार्म प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।
- इक्कीस संग्रहालयों के संबंध में, संग्रहालय भवनों के विभिन्न स्थानों पर स्थापित अग्निशामकों को उनकी अवधि समाप्ति के बाद बदला/ फिर से भरा नहीं गया था, जिससे कि वे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अनुपयुक्त हो गए थे।
- कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्रों के संचालन में प्रशिक्षित नहीं पाया गया और कोई अग्नि प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था। अतः कर्मचारी आग की घटनाओं से निपटने के लिए अप्रशिक्षित रहे और तैयार नहीं थे एवं आग लगने की स्थिति में उपलब्ध उपकरणों को ठीक से संभालने और संग्रहालय की कलाकृतियों को बचाने की स्थिति में नहीं होंगे।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि वर्तमान में सभी संग्रहालयों में अग्निशामक यंत्रों को भर दिया गया है और कर्मचारियों को इन अग्निशामकों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है।

[16] राज्य संग्रहालय भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन।

हालाँकि, दावे की सत्यता को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि कोई समर्थक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

4.6 संग्रहालयों की कलाकृतियों और भवनों का रख रखाव

4.6.1 कलाकृतियों का कमजोर प्रबंधन/ संचालन

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय, 2013 के दिशा–निर्देश की कंडिका 6.6 के अनुसार, संग्रहालय के रख–रखाव और इसकी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक संरक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए। संग्रहालय में ऐतिहासिक पुरावशेष, सिक्के, किताबें, पांडुलिपियाँ और अभिलेख रखे होते हैं, और माना जाता है कि उन्हें वैज्ञानिक विधि से संरक्षित किया जाता है। चूँकि इन्हें जनता की ओर से संग्रहालय के भरोसे में रखा जाता है, इसलिए इन्हें उनके मूल रूप में बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिये ऐसे सुरक्षात्मक उपाय अपनाने चाहिए ताकि इन बाहरी प्रभावों के कारण संग्रह को कम से कम नुकसान हो। चूँकि धूल और गंदगी कलाकृतियों को खराब करने में योगदान देती है और गंदे स्थान, कुतरने वाले और कीटों को आकर्षित करते हैं, संग्रहालय की संपूर्ण सफाई की जिम्मेदारी भी संग्रहालय प्रशासन की होती है।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि 16[17] संग्रहालयों में प्रदर्शित कम से कम 160 कलाकृतियों में पेंट की छीटें और सीमेंट के चिन्ह दिखाई दिए। यह इंगित करता है कि इन संग्रहालयों में चल रहे जीर्णोद्धार/ सिविल कार्यों के दौरान कलाकृतियों को ठीक से संरक्षित नहीं किया गया था। इस प्रकार, अमूल्य कलाकृतियों के खराब रख–रखाव के परिणामस्वरूप उनकी संरचना को नुकसान हुआ जिससे इन कलाकृतियों की मौलिकता और सुंदरता प्रभावित हुई।

यद्यपि विभाग को पता था कि निर्माण/ सिविल कार्य ने कलाकृतियों को नुकसान पहुँचाया है, उन्होंने इन कलाकृतियों की जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरु करने में बहुत ही कम प्रयास किया।

चित्र 4.14: जबलपुर में पुरावशेष पर पेंट के छींटे (08–12–2021)

चित्र 4.15: जिला संग्रहालय, धार में मूर्ति पर सीमेंट के धब्बे (28–09–2021)

17 राज्य संग्रहालय – भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं सतना; जिला संग्रहालय – होशंगाबाद, धार, रीवा एवं विदिशा; स्थल संग्रहालय – आशापुरी एवं गोलघर; स्थानीय संग्रहालय – दतिया एवं मांडू; तथा पुरातत्व संग्रहालय – बैतूल, खण्डवा एवं सिवनी।

चित्र 4.16: जिला संग्रहालय, रीवा में पुरावशेष पर पेंट के धब्बे (22–11–2021)

चित्र 4.17: जिला संग्रहालय, देवास में पुरावशेष पर पेंट के धब्बे (18–11–2021)

विभाग ने (जुलाई 2022) बताया कि संबंधित अधिकारियों को कलाकृतियों से पेंट के निशान हटाने के निर्देश दे दिये हैं।

आगे, लेखापरीक्षा ने 17 संग्रहालयों[18] में देखा कि कम से कम 500 कलाकृतियों को खुले में प्रदर्शित किया गया है। ऐसे में सूर्य की रोशनी, हवा और पानी के कारण ये प्राचीन कलाकृतियाँ काई और शैवाल से ढक गई थीं और इस तरह उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन हो रहा था। मूल स्वरूप में यह गिरावट कलाकृतियों के आकर्षण को गंभीर रुप से प्रभावित तथा उनके ऐतिहासिक मूल्य को कम कर रही थी।

चित्र 4.18: विदिशा के जिला संग्रहालय में खुली जगह में प्रदर्शित कलाकृतियों पर शैवाल

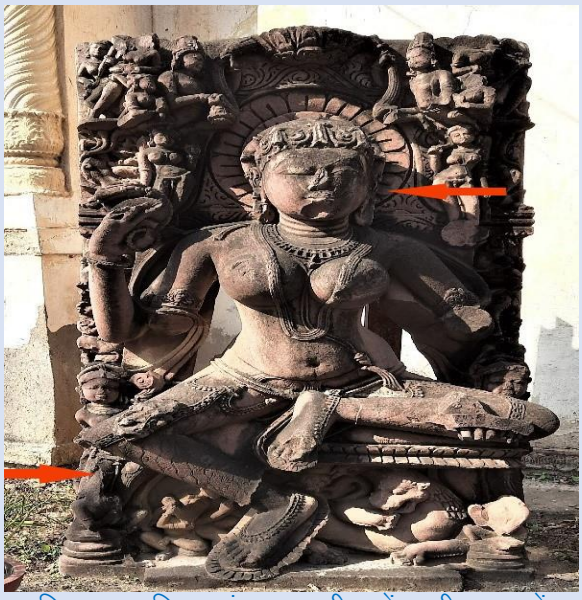

चित्र 4.19: जिला संग्रहालय, रीवा में खुली जगह में प्रदर्शित कलाकृतियों पर शैवाल

[18] राज्य संग्रहालय– भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना एवं उज्जैन; जिला संग्रहालय – छतरपुर, देवास, धार, होशंगाबाद, रीवा एवं विदिशा; स्थल संग्रहालय – आशापुरी एवं मांडू; तथा पुरातत्व संग्रहालय – बैतूल, खण्डवा एवं सिवनी।

चित्र 4.20: धार जिला संग्रहालय में खुले में प्रदर्शन के कारण कलाकृतियों का क्षरण (28–09–2021)

चित्र 4.21: स्थानीय संग्रहालय, छप्पन महल, धार में खुले में प्रदर्शन के कारण कलाकृतियों का क्षरण (28–09–2021)

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि आमतौर पर बड़ी और प्राचीन वस्तुएँ जो दीर्घाओं में प्रदर्शित करने के लिए अनुपयुक्त हैं, को ही संग्रहालयों के खुले स्थान में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा धूप, बारिश, चोरी इत्यादि से बचाने के लिए आवश्यक कदम जैसे शेड का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, सी.सी.टी.वी. कैमरे की स्थापना आदि की गई थी। लेखापरीक्षा अवलोकन में उल्लिखित संग्रहालयों में भी इन सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया। हालाँकि, सुरक्षा के अतिरिक्त प्रयास किये जायेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संयुक्त निरीक्षण किये गये संग्रहालयों में बहुत सी कलाकृतियाँ धूप व बारिश से सुरक्षा के बिना खुले स्थान में प्रदर्शित की गई थीं।

4.6.2 संरक्षण कार्य में सीमेंट का प्रयोग

लेखापरीक्षा ने पहले कंडिका 3.4.6 (अध्याय 3) में स्मारकों के संरक्षण कार्य में सीमेंट के उपयोग पर टिप्पणी की थी। संग्रहालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने तीन संग्रहालयों में देखा कि विभाग द्वारा एक जैसी ही कार्यप्रणाली का उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कलाकृतियों के संरक्षण में सीमेंट का उपयोग किया गया था। जो यह दर्शाता है कि:

- या तो विभाग को कलाकृतियों के संरक्षण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी नहीं है या;
- विभाग द्वारा किए जा रहे मरम्मत कार्य की निगरानी नहीं की जा रही है, भले ही संग्रहालय की कलाकृतियों को संग्रहालय के संग्रहाध्यक्ष/ कर्मचारियों द्वारा खुद पुनर्स्थापित/ साफ किया गया हो।

जॉन मार्शल के संरक्षण नियमावली का पालन नहीं करने से विभागीय अधिकारियों द्वारा संरक्षण कार्यों में पर्यवेक्षण की कमी दिखाई दी, जिसके परिणामस्वरूप उनके दृश्य और सौन्दर्य मूल्य में कमी आई।

चित्र 4.22: जिला संग्रहालय, विदिशा में कलाकृतियों के संरक्षण कार्य में सीमेंट का उपयोग (17–08–2021)

चित्र 4.23: राज्य संग्रहालय, उज्जैन में संरक्षण कार्य में सीमेंट का उपयोग (22–11–2021)

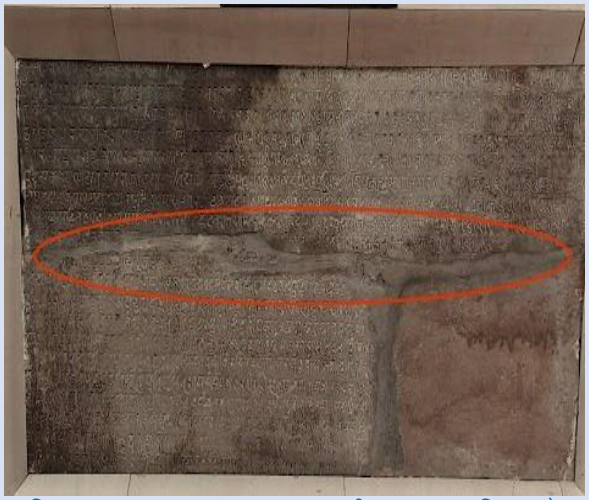

चित्र 4.24: राज्य संग्रहालय, गुजरी महल, ग्वालियर में कलाकृतियों के संरक्षण कार्य में सीमेंट का उपयोग (01–11–2021)

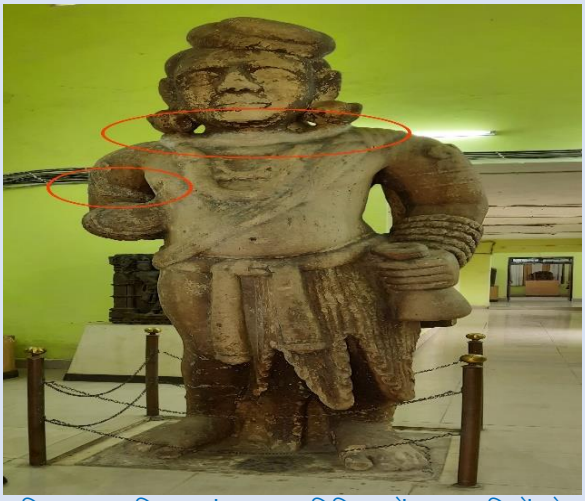

चित्र 4.25: जिला संग्रहालय, विदिशा में कलाकृतियों के संरक्षण कार्य में सीमेंट का उपयोग (11–08–2021)

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि विभागीय अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों को तैनात कर कलाकृतियों को सुधारा जाएगा।

4.6.3 अनुचित भंडारण सुविधा

एक संग्रहालय में कलाकृतियों के संग्रह (जिन्हें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता) को रखने के लिए एक भंडारण क्षेत्र होना चाहिए जो प्रदर्शनी स्थानों से अलग हो। भंडारण क्षेत्र में कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय होने चाहिए कि वे अच्छे से सुरक्षित रहें।

बाइस संग्रहालयों जिनका संयुक्त निरीक्षण किया जाना था, उनमें से पाँच संग्रहालयों[19] में भंडारण सुविधा की जाँच नहीं की जा सकी। नौ संग्रहालयों में भंडारण सुविधा (या आवश्यकता) नहीं थी क्योंकि सभी कलाकृतियाँ प्रदर्शित थीं। शेष आठ संग्रहालयों[20] के संबंध में, 31,485 कलाकृतियाँ, जो कि सभी उपलब्ध कलाकृतियों के 40–92 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं, भंडारण के अधीन थीं। भंडारण सुविधाओं की जाँच से पता चला कि:

- सभी आठ संग्रहालयों में, 2,649 कलाकृतियाँ एक सुरक्षित भंडारण क्षेत्र के बिना अस्त–व्यस्त अवस्था में फर्श पर पड़ी पाई गई।
- भंडार क्षेत्र में कलाकृतियों का व्यवस्थित स्थान सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना नहीं थी। कला वस्तुओं के इस तरह के अनियोजित भंडारण से उनका ह्रास होना निश्चित है।
- भंडार क्षेत्र में सी.सी.टी.वी. सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में 12,290[21] कलाकृतियों के चोरी होने की संभावना है।
- भंडारण क्षेत्र में कलाकृतियों को न तो समय–समय पर प्रदर्शित करने के लिए रखा गया था (कंडिका 4.2.2 में चर्चा की गई) और न ही नियमित रुप से साफ किया जा रहा था।

ऐसी परिस्थिति में जहाँ संग्रहालयों ने कलाकृतियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के साथ खराब रख–रखाव और संधारण तथा आवधिक सत्यापन तंत्र के अनुपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए अल्पतम कार्रवाई की है, इससे ये मूल्यवान कलाकृतियाँ और भी खराब होंगी और इनके चोरी होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

चित्र 4.26: जिला संग्रहालय, धार में फर्श पर पड़ी हुई कलाकृतियाँ (28–09–2021)

चित्र 4.27: राज्य संग्रहालय, भोपाल में अव्यवस्थित ढंग से फर्श पर पड़ी हुई कलाकृतियाँ (15–09–2021)

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि यद्यपि सभी संग्रहालयों में भंडारण का स्थान कम है फिर भी भंडारण का विस्तार करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

4.6.4 संग्रहालय भवनों का संधारण

एक जीर्ण–शीर्ण संरचना न केवल संग्रहालय में रखी कलाकृतियों को नुकसान पहुँचा सकती है बल्कि वहाँ कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। कई प्राकृतिक कारक, जैसे दीमक का प्रकोप, बारिश के कारण रिसाव, क्षय की प्राकृतिक प्रक्रिया आदि एक भवन को प्रभावित कर सकते हैं।

19 राज्य संग्रहालय – छतरपुर, इंदौर, जबलपुर एवं सतना तथा पुरातत्व संग्रहालय – दतिया।
20 राज्य संग्रहालय – भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं उज्जैन, जिला संग्रहालय – धार, देवास, रीवा एवं विदिशा।
21 राज्य संग्रहालय – छतरपुर, इंदौर एवं सतना; जिला संग्रहालय – देवास, धार एवं रीवा।

इसके अलावा, कुछ संग्रहालयों के भवन स्वयं ही विरासत संरचनाएँ हैं, अनुरक्षण की कमी के कारण उनकी संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वे कमजोर हो सकते हैं। भवन का आवधिक अनुरक्षण न केवल लंबी अवधि के लिए किफायती होता है बल्कि यह भवन के जीवन को भी बढ़ाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- स्थानीय संग्रहालय, चंदेरी गत् 20 वर्षों से रामनगर किले (1698 में निर्मित) में स्थित था। अनुरक्षण के अभाव में, किला दयनीय स्थिति में था और कलाकृतियों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए कलाकृतियों को अंततः चंदेरी के पुरानी कचहरी भवन में स्थानांतरित कर दिया गया (2019)।
- जिला संग्रहालय, रीवा गत् 30 वर्षों से वेंकट भवन (1908 में रीवा के महाराजा द्वारा निर्मित) में स्थित था। वर्तमान में भवन की स्थिति बहुत जर्जर हो गई है और इसे तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है।
- जिला संग्रहालय, विदिशा और तुलसी संग्रहालय, रामवन, सतना में दीवारों पर दरारें पैदा हो गई हैं और भवनों का अनुरक्षण न करने के कारण दीवारों पर सीलन और दीमक के प्रकोप को देखा गया है। भवन की संरचना को नुकसान पहुँचाने के अलावा ये संग्रहालय की दर्शनीयता को भी कम करते हैं।
- संग्रहालय में जल निकासी व्यवस्था अवरुद्ध होने के कारण राज्य संग्रहालय जबलपुर (अगस्त 2019) के भूतल पर स्थित दीर्घाओं में बारिश का पानी भर गया था। इससे दीवारों पर लगे प्लाई बोर्ड एवं स्तंभपाद भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा, संग्रहालय की दीवारों पर सीलन और दरारें अभी भी दिखाई दे रही थीं।

चित्र 4.28: स्थानीय संग्रहालय रामनगर चंदेरी का जर्जर भवन (02–12–2021)

चित्र 4.29: जिला संग्रहालय रीवा के क्षतिग्रस्त स्तंभपाद (22–11–2021)

चित्र 4.30: जिला संग्रहालय विदिशा का जर्जर भवन (11–08–2021)

चित्र 4.31: राज्य संग्रहालय रामवन, सतना का जर्जर भवन (09–11–2021)

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में, प्रमुख सचिव ने स्थानीय प्रशासन को संग्रहालय में राज्य पुरातत्व विभाग के परामर्श एवं पर्यवेक्षण में ही संरक्षण कार्य करने के लिये आवश्यक परामर्शी दिशा–निर्देश जारी करने के निर्देश दिये।

बॉक्स 4.2: तुलसी पुस्तकालय, सतना का अपर्याप्त अनुरक्षण

तुलसी पुस्तकालय; राज्य संग्रहालय, रामवन, सतना के अंदर स्थित है। पुस्तकालय में 25,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है, इनमें कई दुर्लभ और अमूल्य पुस्तकों के संग्रह हैं जिसमें शामिल हैं:

- 1851 में लिखी गई एक हस्तलिखित पुस्तक सहित सात सचित्र और हस्तलिखित पुस्तकें जिसमें भगवान राम के बारे में सुंदर चित्र और कहानियाँ हैं।
- बलभद्र भगवद गीता की व्याख्या (अपने मूल रूप में केवल यहाँ उपलब्ध है)।
- मल्लिनाथ सूरी द्वारा कालिदास की मेघदूत (दिनांक 1522) पर व्याख्या।
- वैदिक अनुष्ठानों और विज्ञान पर लगभग 1,250 हस्तलिखित पुस्तकें।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पुस्तकालय सितम्बर 2018 से बंद पड़ा था और रख–रखाव/ संधारण न करने के कारण पुस्तकालय की स्थिति दयनीय थी और वह धूल, जालों और दीमक से पटी पड़ी थी। भंडारण के विकल्प होने के बावजूद, पुस्तकें खुले में इधर–उधर बिखरी पड़ी थीं और कई में तो दीमक लग गए थे जिससे पुस्तकों को भारी नुकसान हुआ था। दुर्लभ पुस्तकों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।

खरीदी गई नई पुस्तकों को न तो अधिग्रहण पंजी में लिया गया था और न ही उनका लेखा–जोखा रखा गया था।

चित्र 4.32: पुस्तकालय में रखी पुस्तकों की खराब हालत (09–11–2021)

चित्र 4.33: पुस्तकालय में अव्यवस्थित ढंग से रखी पुस्तकें (09–11–2021)

विभाग ने (जुलाई 2022) बताया कि लाइब्रेरियन का पद रिक्त है। इन हस्तलिखित ग्रंथों का उचित अभिलेख रखने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

उत्तर विभाग की उदासीनता को दर्शाता है क्योंकि रिक्तता के तीन वर्षों से अधिक बीत जाने के बावजूद विभाग ने संग्रहालय में स्थित पुस्तकालय में उपलब्ध आंतरिक कर्मियों के साथ पुस्तकालय के पुनःस्थापन या रख–रखाव के लिए कोई कदम उठाने का प्रयास नहीं किया।

4.7 प्राचीन सिक्कों का प्रबंधन/ सुरक्षित रख–रखाव

मध्यप्रदेश के संग्रहालयों में अमूल्य कलाकृतियों के भंडार के अलावा मध्यकालीन युग के सिक्कों का एक विशाल संग्रह भी है। चूँकि सिक्के न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं बल्कि मूल्यवान और दुर्लभ भी हैं और इसलिए इनके निरंतर सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने सिक्कों की सुरक्षा के लिए विभाग में मौजूद आंतरिक नियंत्रणों का आकलन किया और निम्नलिखित कमियों को पाया।

4.7.1 सिक्कों का प्रदर्शित न किया जाना

संग्रहालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि चार[22] संग्रहालयों में सभी सिक्कों को तिज़ोरी में रखा गया था और आम जनता के लिए सिक्कों को प्रदर्शित करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

22 राज्य संग्रहालय रामवन, सतना; जिला संग्रहालय – धार, रीवा एवं विदिशा।

चित्र 4.34: जिला संग्रहालय, विदिशा (27–08–2021)

चित्र 4.35: राज्य संग्रहालय, रामवन सतना (08–11–2021)

इंगित किए जाने पर, यह उत्तर दिया गया कि स्थान की कमी, सुरक्षा मुद्दों और अलग से सिक्का दीर्घा की अनुपलब्धता के कारण, सिक्कों को संग्रहालयों में प्रदर्शित नहीं किया जा सका।
सिक्कों का प्रदर्शन न केवल दर्शकों के बीच रुचि बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि सिक्कों को निरंतर निगरानी में रखने का एक प्रभावी तरीका भी होगा, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी।

4.7.2 कीमती धातु के सिक्कों का वजन न दर्शाया जाना

संग्रहालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि सोने, चाँदी और तांबे के सिक्के संग्रहालय की अभिरक्षा में रखे गए थे लेकिन उनका वास्तविक वजन संग्रहालय के अभिलेखों में कहीं भी नहीं दिखाया गया है। साथ ही, संग्रहालय में धातुओं के आवधिक परीक्षण से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

यह भी उल्लेख किया जा सकता है, कि सिक्कों को सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा जाता है और संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यभार सौंपने/ लेने के समय ही खोला/ जाँचा जाता है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि सिक्कों की सुरक्षित अभिरक्षा का यह तरीका इस तथ्य के कारण त्रुटिपूर्ण है कि भौतिक सत्यापन (जब जब किया जाता है) सिक्कों की संख्या के आधार पर होता है न कि अतिरिक्त कारकों के आधार पर, जैसे सिक्कों के वजन, वास्तविकता आदि। इस प्रकार, सिक्कों के वजन में कमी या उनके अदला–बदली की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

चित्र 4.36: धार जिला संग्रहालय में सोने के सिक्के (28–09–2021)

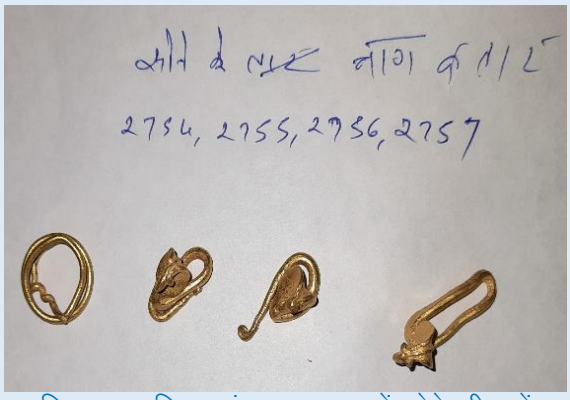

चित्र 4.37: जिला संग्रहालय, धार में सोने की तारें (28–09–2021)

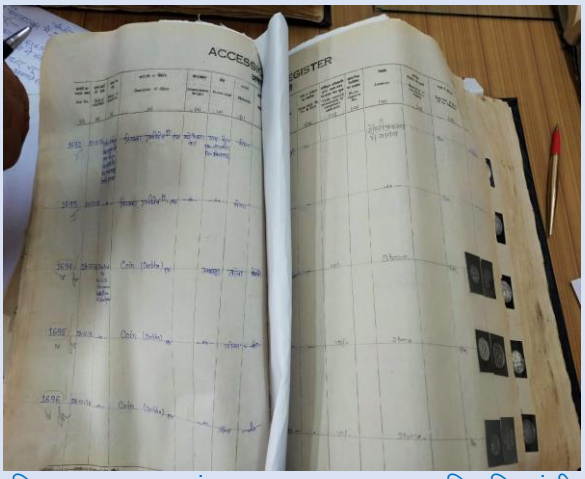

चित्र 4.38: राज्य संग्रहालय, जबलपुर का अभिप्राप्ति पंजी (07–10–2021)

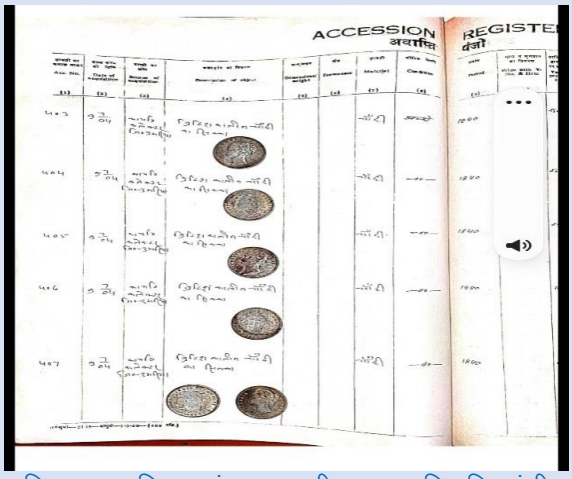

चित्र 4.39: जिला संग्रहालय, रीवा का अभिप्राप्ति पंजी (22–11–2021)

इंगित किए जाने पर, संग्रहालय के संग्रहाध्यक्षों ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सिक्कों के वजन का उल्लेख लिफाफों (सिक्कों की थैली) पर किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लिफाफों पर सिक्कों का वजन अंकित नहीं किया गया था।

4.8 अनुशंसाएँ

यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग निम्नलिखित कदम उठाए:

9. संग्रहालयों के लिए एक प्रबंधन योजना बनाए जो अन्य बातों के साथ–साथ प्रदर्शन और भंडारण दोनों ही मामलों में; आवधिक रख–रखाव, कलाकृतियों के जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान करे।
10. राज्य में सभी कलाकृतियों का एक केन्द्रीकृत और डिजिटलीकृत डेटाबेस विकसित करे और समय–समय पर उनका सत्यापन करे।
11. उपयुक्त जन सुविधाएँ प्रदान करे और पर्याप्त जनशक्ति (अर्थात केयरटेकर और संग्रहालय परिचालक) की नियुक्ति करे।
12. संग्रहालय के अंदर कलाकृतियों के वैज्ञानिक अनुरक्षण और मरम्मत सहित उनके संधारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में मौजूदा कर्मचारियों को जागरूक बनाए।
13. सिक्कों सहित दुर्लभ कलाकृतियों की उचित सुरक्षा के लिए एक नियंत्रण प्रणाली विकसित करे।

अध्याय V

अभिलेखागारों का प्रबंधन

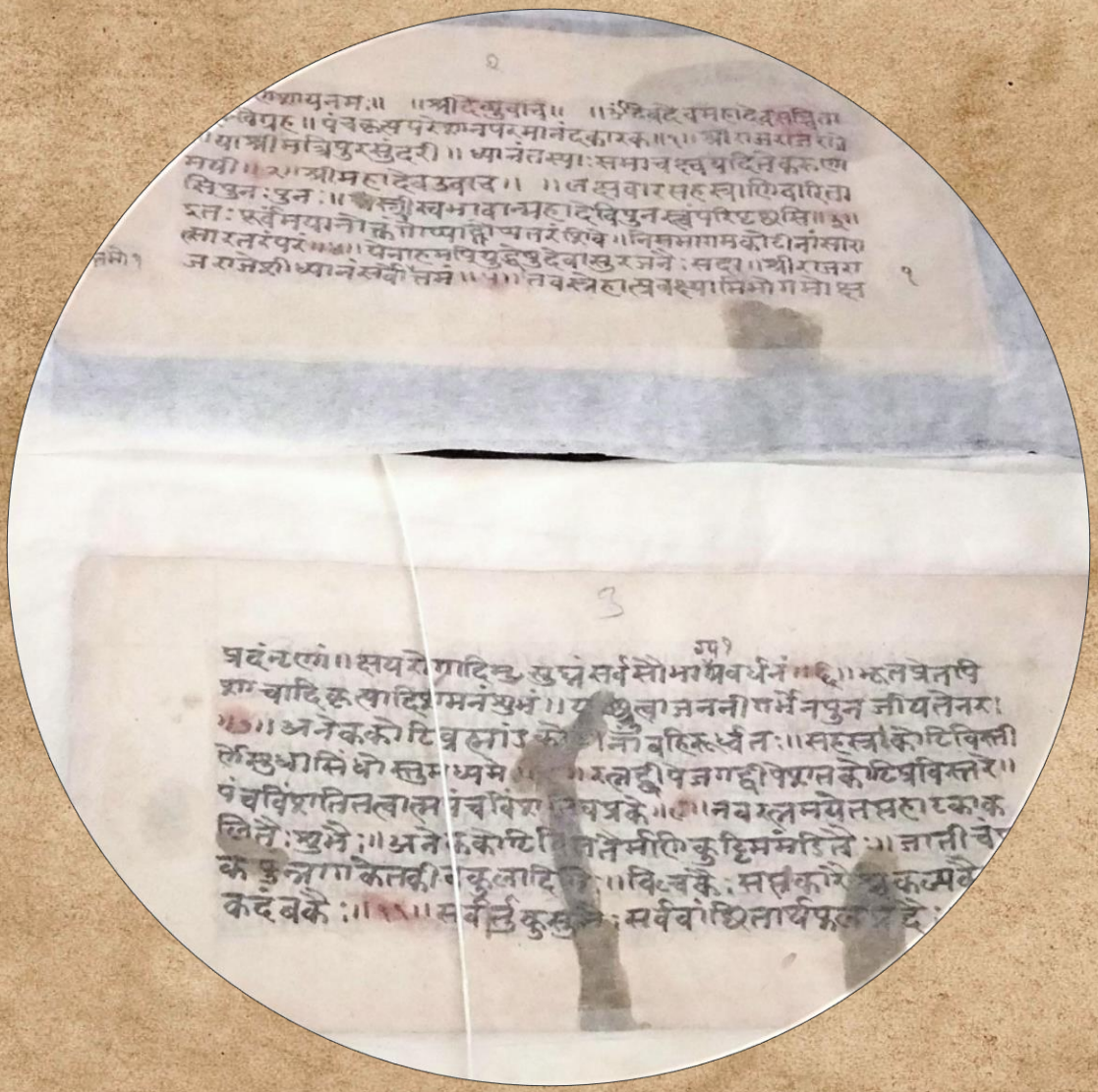

अध्याय V

अभिलेखागारों का प्रबंधन

सारांश

लेखापरीक्षा ने छः अभिलेखागारों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और पाया कि सभी तकनीकी पदों में से 82 प्रतिशत पद रिक्त थे। नस्तियों/ अभिलेखों को युद्ध, अकाल, प्रशासनिक आदेश आदि जैसे वर्गीकरण के क्रम में अलग नहीं किया गया है। कर्मचारियों की कमी के कारण अभिलेखों के सत्यापन की निरंतर प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। भोपाल के अभिलेखागार को छोड़कर, जहाँ लगभग 11 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया था, अभिलेखों के सूचीकरण के साथ–साथ अभिलेखों के डिजिटलीकरण की कमी पाई गई थी। लेखापरीक्षा ने धूम्रीकरण, वातानुकूलन सुविधाओं और उपयुक्त आर्द्रता नियंत्रण उपायों के अभाव के कारण अभिलेखों के अनुचित रख–रखाव को देखा। छः अभिलेखागारों में से वातानुकूलन सुविधा केवल सतपुड़ा भवन, भोपाल के एक अभिलेखागार में उपलब्ध थी। इसके अलावा, वि–अम्लीकरण प्रक्रिया को न अपनाने और अभिलेखों के अनुचित भंडारण के कारण, ऐतिहासिक और नाजुक संग्रहित अभिलेखों के क्षतिग्रस्त होने की काफी आशंका थी। छः अभिलेखागारों में से किसी में भी कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। विभाग द्वारा कर्मचारियों के लिए अग्निशामक यंत्रों के संचालन और अग्नि से बचाव के प्रशिक्षण के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। इस कारण विभाग अभिलेखों की भौतिक स्थिति का आंकलन नहीं कर सका। निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुसार छः अभिलेखागारों के किसी भी अभिलेख कक्ष में ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम स्थापित नहीं किए गए थे, जो गंभीर चूक को दर्शाता है।

5.1 प्रस्तावना

अभिलेखागार में वे अभिलेख होते हैं जिन्हें उनके चिरस्थायी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्रामाणिक मूल्यों के आधार पर स्थायी या दीर्घकालिक संरक्षण के लिए चुना गया है। किताबों या पत्रिकाओं, जिनकी कई प्रतियाँ मौजूद हो सकती हैं, के विपरीत पुरालेखीय अभिलेख सामान्यतः अप्रकाशित, मौलिक और लगभग अद्वितीय होते हैं। ये अभिलेख महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत एवं अनुसंधान के बुनियादी स्रोत होते हैं जो अतीत के जीवन को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन्हें भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना आवश्यक है।

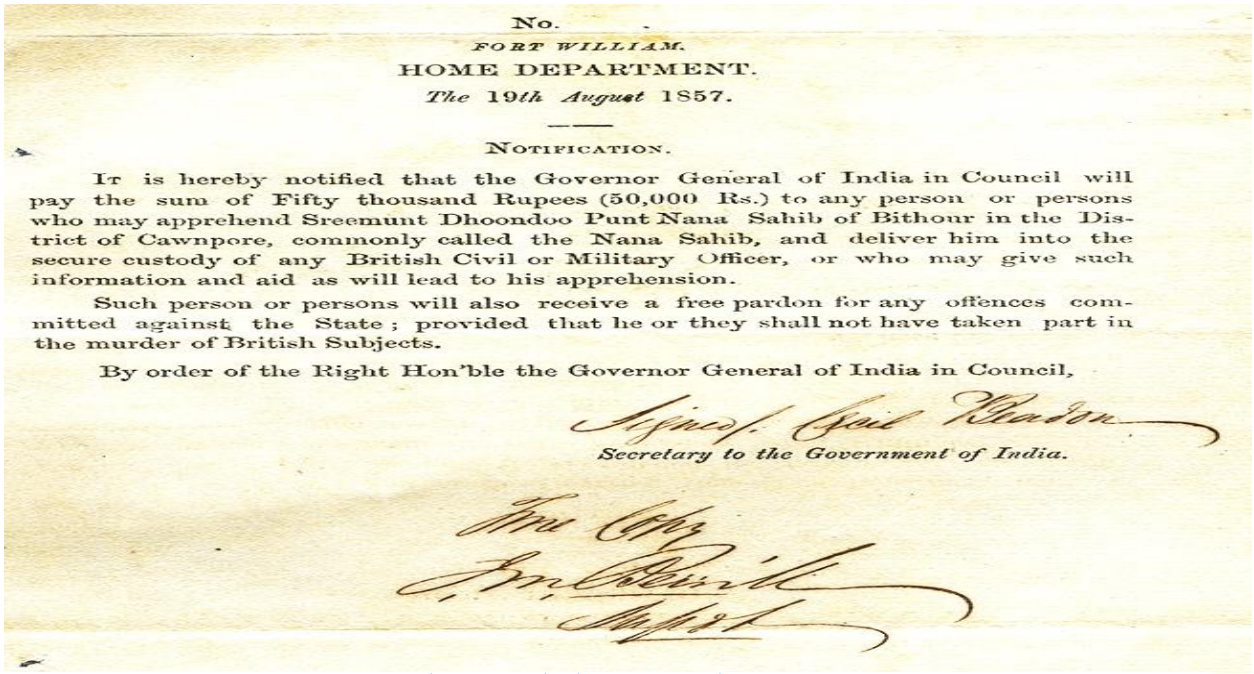

No.

FORT WILLIAM.

HOME DEPARTMENT.

The 19*th* *August* 1857.

NOTIFICATION.

IT is hereby notified that the Governor General of India in Council will pay the sum of Fifty thousand Rupees (50,000 Rs.) to any person or persons who may apprehend Sreemunt Dhoondoo Punt Nana Sahib of Bithour in the District of Cawnpore, commonly called the Nana Sahib, and deliver him into the secure custody of any British Civil or Military Officer, or who may give such information and aid as will lead to his apprehension.

Such person or persons will also receive a free pardon for any offences committed against the State; provided that he or they shall not have taken part in the murder of British Subjects.

By order of the Right Hon'ble the Governor General of India in Council,

Signed/. Cecil Beadon

Secretary to the Government of India.

True Copy

चित्र 5.1: नाना साहब को बंदी बनाने के लिए 1857 में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना
(स्रोतः संचालनालय)

DELHI BOMB OUTRAGE

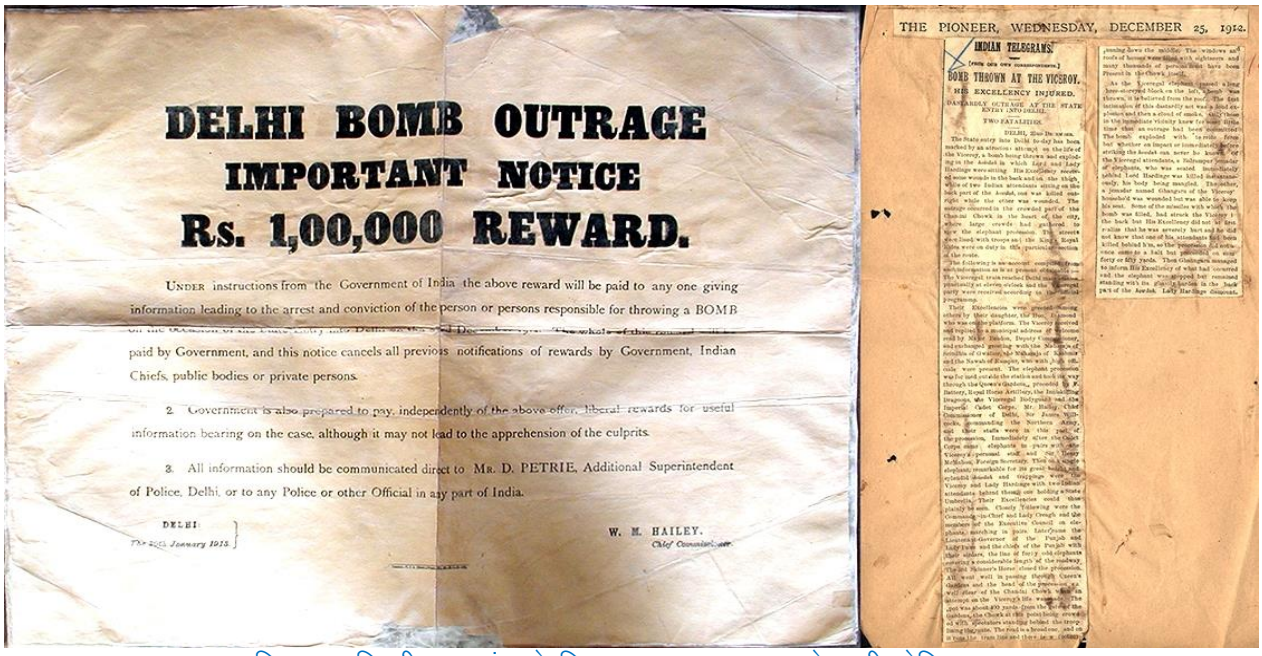

IMPORTANT NOTICE

Rs. 1,00,000 REWARD.

UNDER instructions from the Government of India the above reward will be paid to any one giving information leading to the arrest and conviction of the person or persons responsible for throwing a BOMB [illegible] paid by Government, and this notice cancels all previous notifications of rewards by Government, Indian Chiefs, public bodies or private persons.

2. Government is also prepared to pay, independently of the above offer, liberal rewards for useful information bearing on the case, although it may not lead to the apprehension of the culprits.

3. All information should be communicated direct to MR. D. PETRIE, Additional Superintendent of Police, Delhi, or to any Police or other Official in any part of India.

DELHI:
The [illegible] January 1913.

W. M. HAILEY.
Chief Commissioner.

THE PIONEER, WEDNESDAY, DECEMBER 25, 1912.

INDIAN TELEGRAMS.

BOMB THROWN AT THE VICEROY.

HIS EXCELLENCY INJURED.

DASTARDLY OUTRAGE AT THE STATE ENTRY INTO DELHI.

TWO FATALITIES.

चित्र 5.2: दिल्ली बम कांड के लिए सरकार द्वारा 1913 मे जारी नोटिस
(स्रोतः संचालनालय)

मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। यह पुराने मध्य प्रदेश (मध्य प्रांत और बरार), ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रीवा और मध्य भारत के तत्कालीन राज्यों के हिस्सों से बना था। परिणामस्वरूप, इन राज्यों द्वारा संधारित अभिलेख भी मध्य प्रदेश सरकार के अधिकार में आ गए। मध्य प्रदेश के राज्य अभिलेखागार संचालनालय की स्थापना 1974 में हुई थी, जो उनका स्वाभाविक संरक्षक बन गया। इसके बाद 1994 में राज्य अभिलेखागार संचालनालय का पुरातत्व संचालनालय में विलय कर दिया गया। भोपाल में अभिलेखागार शाखा के अधीन, दो क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय इंदौर और ग्वालियर में कार्य कर रहे हैं।

उप संचालक पुरातत्व अभिलेखागार, भोपाल के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के अभिलेखागारों में निम्नलिखित ऐतिहासिक अभिलेखों को संग्रहित और अनुरक्षित किया गया था, जैसा कि नीचे **तालिका 5.1** में दिखाया गया है:

तालिका 5.1: पुरालेखीय अभिलेखों का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम व ऐतिहासिक अभिलेखों की अवधि	अभिलेखों की अनुमानित संख्या	अभिलेखागार का नाम व स्थान	नियंत्रण कार्यालय का नाम
1	भोपाल राज्य (1914–1918)	3,58,000 नस्तियां	संचालनालय, भोपाल	उप संचालक, अभिलेखागार, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल
2	इंदौर राज्य (1818–1947)	2,75,000 नस्तियां		
3	मध्य प्रांत (1798–1919)	51,000 नस्तियां		
4	ग्वालियर राज्य (1800–1947)	5,10,,000 नस्तियां	डी–ब्लाक, पुराना सचिवालय भवन, भोपाल	
5	मध्य भारत राज्य (1948–1956)	1,20,000 नस्तियां	बी–खंड, लोअर भू–तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल	
6	इंदौर राज्य अभिलेख (1855–1947)	2,713 बस्ते	राजवाड़ा, इंदौर	उप संचालक, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, इंदौर
7		4,542 बस्ते	रामपुर कोठी (लालबाग), इंदौर	
8	नरसिंहगढ़ राज्य (1896–1947)	479 बस्ते तथा 12,695 नस्तियां (लगभग)	मोतीमहल, ग्वालियर	उप संचालक, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, ग्वालियर

(स्रोतः संचालनालय)

लेखापरीक्षा ने भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में उपर्युक्त छः पुरालेखीय कार्यालयों (**तालिका 5.1** के कॉलम 4 में दिखाये अनुसार) द्वारा संग्रहित अभिलेखों का संयुक्त निरीक्षण किया।

अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्तृत चर्चा की गई है।

5.2 मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है जो अधिकांश कार्य संबंधी गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, आवधिक भौतिक सत्यापन एक महत्वपूर्ण नियंत्रण उपकरण है जो न केवल मौजूदा कमियों को खोजने में मदद करता है बल्कि कार्यप्रणाली के सुधार और भविष्य की योजना बनाने में भी मदद करता है।

5.2.1 तकनीकी कर्मचारियों की कमी

हमने देखा कि सितंबर 2021 तक 61 स्वीकृत पदों (22 तकनीकी और 39 गैर–तकनीकी) के विरूद्ध, केवल 25 (चार तकनीकी और 21 गैर–तकनीकी) अधिकारी/ कर्मचारी को पुरालेखीय विभाग में नियुक्त किया गया था। श्रेणी–वार रिक्ति की स्थिति को नीचे **तालिका 5.2** में दिखाया गया है:

तालिका 5.2: कर्मचारियों की स्थिति का विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	स्वीकृत पद	कर्मचारियों की स्थिति	रिक्ति	
				पद	प्रतिशत
1	वर्ग 2 (तकनीकी)	5	0	5	100
2	वर्ग 3 (तकनीकी)	17	4	13	76
3	वर्ग 3 (गैर–तकनीकी)	12	8	4	33
4	वर्ग 4 (गैर–तकनीकी)	26	13	13	50
	योग	**60**	**25**	**35**	**58**

(स्रोतः संचालनालय)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि सभी तकनीकी पदों में से 82 प्रतिशत रिक्त थे (अप्रैल 2022)। रिक्त पदों को न भरने के कारण उपलब्ध नहीं थे। ऐसी स्थिति में जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक तकनीकी पद रिक्त थे, विभाग महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं था। इसके परिणामस्वरूप होने वाली कमियों को अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि 37 प्रतिशत पद रिक्त होने से अभिलेखागार अनुभाग का कार्य प्रभावित हुआ है। ऑप्टिमाइजर और कार्टन बॉक्स तैयार कर अभिलेखों को संरक्षित किया जा रहा है और उनका डिजिटलीकरण करने की कार्रवाई की जा रही है।

5.3 पुरालेखीय अभिलेखों का रखरखाव

5.3.1 अभिलेखों की सूची बनाना

शोधकर्ताओं द्वारा अभिलेखागारों से परामर्श में लगाातार वृद्धि हो रही है जिन्हें उनके विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए संदर्भों की आवश्यकता पड़ती है। शोधकर्ताओं में इतिहासकार, वकील, प्रकाशक, पत्रकार, पर्यावरणविद्, आपराधिक जाँचकर्ता आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी प्रगति बेहतर अभिलेखीय सेवा के अवसर प्रदान कर रही है। इस प्रकार, महत्वपूर्ण है कि अभिलेखागार में सबसे उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करते हुए, इस विरासत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके।

2016–17 से 2020–21 के दौरान, 141 व्यक्तियों ने छह में से तीन[1] अभिलेखागारों से अभिलेखों की मांग की, जिनमें से 56 शोधकर्ता थे, जो एक सुव्यवस्थित और सुलभ अभिलेखीय डेटाबेस होने के महत्व को रेखांकित करते हैं। इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि अभिलेखों को आसानी से खोजने, पुनः प्राप्ति करने तथा रख–रखाव करने के लिए सूचीबद्ध और व्यवस्थित किया जाए।

लेखापरीक्षा ने सभी छः अभिलेखागारों में देखा कि संग्रहित अभिलेख पूरी तरह से सूचीबद्ध नहीं थे। इसमें निम्नलिखित शामिल थे:

- नस्तियों/ अभिलेखों को उनके कालक्रम या ऐतिहासिक महत्व या घटनाओं के क्रम में अलग नहीं किया गया था।
- युद्ध, अकाल, प्रशासनिक आदेश आदि जैसे वर्गीकरण के क्रम में नस्तियों/ अभिलेखों को अलग नहीं किया गया है।
- आदेश, दस्तावेज, या तस्वीरों को तदनुसार अलग और वर्गीकृत नहीं किया गया है।
- सभी नस्तियों को एक साथ बांधकर बस्ते के अंदर रखा गया है। नस्तियों की जाँच करने और उन्हें ऊपर बताई गई विधिनुसार उचित रूप से वर्गीकृत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में, अभिलेखागार केवल पुराने अभिलेखों के भंडार के रूप में कार्य कर रहे थे और सरकारी उपयोग या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए सूचना या अभिलेखों की पुनः प्राप्ति के संदर्भ में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे थे।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि संरक्षित अभिलेखों के बस्तों का वर्षवार एवं विभागवार संधारण किया गया है। क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय इंदौर में कर्मचारियों की कमी के कारण यह नहीं किया गया था, जिसकी प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था की जाएगी।

हालाँकि, तथ्य यह है कि संग्रहित अभिलेखों को आसानी से खोजने, पुनःप्राप्ति और अभिलेखों के रख–रखाव के लिए सूचीबद्ध और व्यवस्थित नहीं किया गया था।

[1] संचालनालय; पुराना सचिवालय भवन, भोपाल एवं सतपुड़ा भवन, भोपाल।

5.3.2 अभिलेखों का डिजिटलीकरण

अनुसंधान और दस्तावेजी कार्य जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुरालेखों के बार–बार उपयोग के कारण, तथा आर्द्रता, अम्लीकरण, दीमक, आकस्मिक आग, बाढ़ आदि के कारण भी अभिलेखों के मूल रूप में क्षय होने की संभावना होती है। फलस्वरूप, इस प्रकार की क्षति से बचाव के लिए अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए। इससे इन अभिलेखों की प्रतियां डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी, जिसे सुदूर से सुलभता से प्राप्त किया जा सकता है। यह नाजुक और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के सरलता से उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनके लंबे समय तक संरक्षण के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा, जिन्हें तब भौतिक रूप से संभालना नहीं पड़ेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भोपाल अभिलेखागार में रखे गए अभिलेखों के लिए 2013–14 में डिजिटलीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था और तब से पिछले आठ वर्षों (मार्च 2020 तक) के दौरान कुल 10,79,170 पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका था। हालांकि, बजट आवंटन न होने के कारण 2020–21 के दौरान डिजिटलीकरण का काम रोक दिया गया था। डिजिटलीकरण के प्रतिशत की जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि वास्तव में डिजिटलीकृत किए गए पृष्ठों की तुलना में डिजिटलीकृत किये जाने वाले कुल पृष्ठों की संख्या से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। अभिलेखों का डिजिटलीकरण ग्वालियर एवं इन्दौर अभिलेखागार में नहीं किया गया था (अप्रैल 2022)।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि अब तक मध्य प्रांतों से संबंधित 10,79,170 महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। अभिलेखों के डिजिटलीकरण की क्रिया प्रक्रियाधीन है। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

5.4 अभिलेखों का भंडारण और संरक्षण

5.4.1 आवधिक भौतिक सत्यापन के लिए तंत्र का अभाव

अभिलेखों के उचित रख–रखाव और संरक्षण के लिए, सभी अभिलेखागारों में आवधिक भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए, ताकि अनुरक्षण, रख–रखाव और संरक्षण की योजना ठीक और प्रभावी ढंग से बनाई जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि छः अभिलेखागारों में से किसी का भी भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इसके कारण, विभाग अभिलेखागारों में अभिलेखों तथा दस्तावेजों की आवश्यक भौतिक सुरक्षा और रख–रखाव के स्तर का आंकलन नहीं कर सका।

विभाग ने बताया कि (जुलाई 2022) अभिलेखों की समय–समय पर जाँच करते हुए उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। स्टाफ की कमी के कारण अभिलेखों के सत्यापन की सतत प्रक्रिया प्रभावित हुई। लेखापरीक्षा दल के सुझाव के अनुसार रिकॉर्ड रूम में वातानुकूलन और आर्द्रता नियंत्रण के लिए अन्य उपाय प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों का भौतिक सत्यापन, अभिलेखागारों से संबंधित भविष्य की योजना के लिए विशेष रुप से उनके संरक्षण और रख–रखाव के संबंध में और दस्तावेजों की चोरी के विरुद्ध सुरक्षा उपाय भी अत्यन्त आवश्यक है।

5.4.2 धूम्रीकरण सुविधाओं का अभाव

रिकॉर्ड प्राप्ति कक्ष[2] में रिकॉर्ड के संरक्षण के लिए एक वैक्यूम धूम्रीकरण कक्ष[3] की आवश्यकता होती है। यह तकनीक रिकॉर्ड में उपस्थित किसी भी कीट या कीड़ों से छुटकारा पाने में सहायता करती है।

अभिलेखागारों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि छः अभिलेखागारों में से किसी में भी धूम्रीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह किसी भी कीट के संक्रमण के मामले में हानिकारक

2 अभिलेखागार के लिए भवनों के डिजाइन की भारतीय मानक 2663:1989 की कंडिका 8।
3 जिसमें धुआँ, गैस या वाष्प के द्वारा कीटों को नष्ट या कीटाणुरहित किया जाता है।

साबित हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप गंभीर क्षति या भविष्य में अभिलेखों का पूर्ण क्षय भी हो सकता है।

विभाग ने बताया कि (जुलाई 2022) अभिलेखों से उत्पन्न नमी एवं क्षरण को रोकने के लिए समय–समय पर कीटनाशकों का छिड़काव एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाती है। धूम्रीकरण के लिए उपकरण और अन्य उपाय किए जाएंगे।

5.4.3 वि–अम्लीकरण प्रक्रिया को न अपनाना

पुरालेखीय अभिलेखों के संरक्षण के लिए, विअम्लीकरण एक उपचारात्मक उपाय है जिसमें भंगुर, नाजुक और अम्लीय पृष्ठ/ स्थायी मूल्य के अभिलेखों का उपचार सम्मिलित है ताकि इन दस्तावेजी विरासतों के क्षय को धीमा और कम किया जा सके।

सभी छह अभिलेखागारों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकांश पुरालेखीय अभिलेख 1800–1963 की अवधि से संबंधित थे लेकिन अभिलेखों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए अम्लता को दूर करने के लिए पुरातत्व संचालनालय द्वारा वि–अम्लीकरण के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे।

विभाग ने बताया कि (जुलाई 2022) विअम्लीकरण विभाग की एक सतत् प्रक्रिया है लेकिन स्टाफ की कमी के कारण विअम्लीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई थी। कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5.4.4 वातानुकूलन सुविधा और उपयुक्त आर्द्रता नियंत्रण उपायों का अभाव

अभिलेखों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम भंडारण की स्थिति बनाए रखने के लिए पूरे वर्ष निर्बाध वातानुकूलन की आवश्यकता होती है[4]। आगे, ऐसे अभिलेख कक्ष में जहाँ वातानुकूलन सुविधा उपलब्ध नहीं है, नमी को नियंत्रित करने और वायु के उचित प्रसार के लिए पंखे और एग्जॉस्ट पंखें वांछनीय[5] हैं।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखागारों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया कि वातानुकूलन सुविधा छह अभिलेखागारों में से केवल सतपुड़ा भवन, भोपाल स्थित एक अभिलेखागार में (कार्य समय के दौरान) उपलब्ध थी। निरंतर वातानुकूलन सुविधा या पंखे/ एग्जॉस्ट पंखें जैसी किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में अधिक आर्द्रता के कारण अभिलेखों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है।

निर्गम सम्मेलन में आयुक्त ने तथ्यों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया (जुलाई 2022) कि सुधारात्मक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बॉक्स 5.1: संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल के पुरालेख भवन में रिसाव

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अभिलेख कक्ष के लिए न्यूनतम अर्हता टीप की धारा 3.1 के अनुसार, ड्रेनपाइप को साफ रखा जाना चाहिए और अभिलेख कक्ष में सीलन से बचने के लिए छत पर पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए।
संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने उप संचालक भोपाल के कार्यालय की छत पर जल–जमाव पाया। इससे अभिलेख कक्ष में सीलन आ गई और रिकॉर्ड रूम नंबर 1, 2 और 3 में छत से पानी का रिसाव होने लगा।

[4] अभिलेखागार के लिए भवनों के डिजाइन की भारतीय मानक 2663:1989 की कंडिका 16.1।
[5] अभिलेख कक्षों के लिए न्यूनतम आवश्यकता के संबंध में लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5.1।

चित्र 5.3 और 5.4: अभिलेखागार की छत पर जल जमाव ओर दीवारों मे रिसाव, भोपाल (08–09–2021)

उप संचालक, भोपाल ने बताया (सितम्बर 2021) कि छतों की सफाई करने के लिए संचालनालय की तकनीकी शाखा को सूचित कर दिया गया है।

5.4.5 नेफ्थलीन बॉल्स/ ईंटों का प्रयोग

अभिलेख कक्षों में जहाँ वातानुकूलन की सुविधा नहीं है, अभिलेखों को कीड़ों से बचाने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स/ ईंटों का उपयोग किया जाना चाहिए[6]।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया कि छः अभिलेखागारों में से वातानुकूलन सुविधा सतपुड़ा भवन, भोपाल स्थित एक अभिलेखगार में (कार्य समय के दौरान) उपलब्ध थी। तथापि, शेष पाँच अभिलेखागारों में, नेफ्थलीन बॉल्स/ ईंटें, जो दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए एक बुनियादी और लागत प्रभावी साधन थे, चार[7] अभिलेखागार के संबंध में उपयोग नहीं किए जा रहे थे। वातानुकूलन के अभाव में नेफ्थलीन बॉल्स/ ईंटों के उपयोग के बिना, कीटों के संक्रमण की संभावना होती है जिसके परिणामस्वरूप अभिलेखों को क्षति हो सकती है।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि अभिलेखों के संरक्षण के लिए नेफ्थलीन बॉल्स/ ईंटों को रखना एक सतत् प्रक्रिया है। समय–समय पर उन कमरों का निरीक्षण करते समय, जहाँ नेफ्थलीन बॉल्स/ ईटें नहीं थे या वाष्पित हो गए, वहाँ इन्हे पुनः रखा जाता है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेखागारों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान वातानुकूलन के अभाव में नेफ्थलीन बॉल्स/ ईंटों के उपयोग पर ध्यान नहीं दिया गया था।

5.4.6 आग से बचाव

5.4.6.1 अग्निशमन कार्यों में कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव

अभिलेखागार कागजों, अभिलेखों, दस्तावेजों आदि से भरे हुए हैं, जो आग लगने की स्थिति में क्षति और पूर्ण विनाश के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं। पुस्तकालय/ अभिलेखागार में आग लगने के कारण होने वाली क्षति का आकलन मौद्रिक रूप में नहीं किया जा सकता है और इस तरह की क्षति अपूर्णीय होती हैं। अभिलेखागार के सभी कर्मचारियों को अग्निशमन के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अग्निशमन[8] यंत्रों को संचालित कर सकें और आग लगने की स्थिति में रक्षा की पहली पंक्ति बन सकें।

आधिकारिक अभिलेखों की जाँच से पता चला कि विभाग द्वारा कर्मचारियों के लिए अग्निशामक यंत्रों के संचालन के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। कर्मचारी आग की घटनाओं से निपटने के लिए अप्रशिक्षित थे और आग की घटनाओं को संभालने के लिए तैयार नहीं थे तथा आग की स्थिति में उपलब्ध उपकरणों को संभालने और संग्रहित अभिलखों को बचा सकने की स्थिति में नहीं होंगे।

इस प्रकार, अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता के बावजूद भी, यदि कोई आग की घटना होती, तो ऐतिहासिक अभिलेखों की सुरक्षा खतरे में बनी रहती है।

---

6 अभिलेख कक्षों के लिए न्यूनतम आवश्यकता के संबंध में लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 7.5।

7 पुराना सचिवालय भवन (भोपाल), राजवाड़ा (इंदौर), रामपुर कोठी भवन (इंदौर) तथा मोती महल (ग्वालियर)।

8 पुस्तकालयों एवं अभिलेखागार की अग्नि सुरक्षा के लिए अभ्यास पर भारतीय मानक 11460:1985 का पैरा 8.1।

विभाग ने बताया (जुलाई 2022) कि अभिलेखों को आग से बचाने के लिए आवश्यक रूप से सभी अभिलेख कक्षों में अग्निशामक यंत्र लगाए गए हैं और वहाँ नियुक्त कर्मचारियों को भी अग्निशामकों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तथापि, उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

5.4.6.2 आग का पता लगान वाले एवं चेतावनी देने वाली स्वचालित प्रणाली की स्थापना

अभिलेखागारों में आग का पता लगाने वाली व चेतावनी देने वाली स्वचालित प्रणाली[9] स्थापित की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने संयुक्त निरीक्षण के दौरान देखा कि छः अभिलेखागारों के किसी भी अभिलेख कक्ष में आग का पता लगाने वाली एवं चेतावनी देने वाली स्वचालित प्रणाली स्थापित नहीं की गयी थी। निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुसार यह एक गंभीर चूक थी।

विभाग ने कहा (जुलाई 2022) कि आग के प्रकोप से अभिलेखों को सुरक्षित रखना नितांत आवश्यक है और यह विभाग की एक सतत् प्रक्रिया है। अभिलेख कक्ष को अतिरिक्त सुरक्षित बनाने के लिए फायर अलार्म सिस्टम लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम और फायर अलार्म नहीं है, उसे प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

5.4.7 अभिलेखों का भंडारण

संग्रहालय के दस्तावेजों और अभिलेखागार की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- पुस्तकों और अभिलेखों को फर्श पर नहीं रखा जाना चाहिए (पुस्तकालयों और अभिलेखागारों की अग्नि सुरक्षा के लिए अभ्यास पर भारतीय मानक 11460:1985 का पैरा 3.1.7)।
- अभिलेख एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे जाने चाहिए और दीवारों, छत या फर्श को भी नहीं छूना चाहिए। दीवार, छत या फर्श से कम से कम 15 सेमी दूरी होनी चाहिए, जिससे वायु के निर्बाध प्रवाह द्वारा उच्च आर्द्रता पॉकेट बनने से बचाव किया जा सके (लोक अभिलेख अधिनियम–1993 के अभिलेख कक्ष के लिए न्यूनतम अर्हता टीप की धारा 7.1)।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखागारों में भंडारण सुविधाओं की जाँच के क्रम में पाया गया कि पुराने सचिवालय भवन, भोपाल और उप संचालक, अभिलेखागार, भोपाल के कार्यालय के कक्ष संख्या "1" के अभिलेख फर्श पर ढेर के रूप में पाए गए थे। यह स्थिति तब थी जब कई खाली रैक उपलब्ध थे, जहाँ दोनों स्थलों पर इन अभिलेखों को आसानी से रखा जा सकता था।

चित्र 5.5: फर्श पर अभिलेखों को ढेर (15–09–2021)

चित्र 5.6: फर्श पर अभिलेखों को ढेर (08–09–2021)

9 पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों की अग्नि सुरक्षा के लिए अभ्यास पर भारतीय मानक 11460:1985 का पैरा 4.1.1।

इसके अलावा, अभिलेख एक के ऊपर एक बोरियों/ बस्तों में और कुछ स्थानों पर, बिना बस्तों के भी रखे गए थे। आगे, पुराने सचिवालय भवन, भोपाल में अभिलेख दीवार के साथ रखे गए थे। यह हवा के प्रसारण में बाधा उत्पन्न कर सकता है और कमरे को नम और आर्द्र बना सकता है, जिससे अभिलेख प्रभावित हो सकते हैं। निःसंदेह, अभिलेख बहुत खराब तरीके से रखे गए थे और अगर तुरंत संरक्षित नहीं किए गए तो क्षतिग्रस्त और भविष्य में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2022) में आयुक्त ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी।

5.5 अनुशंसाएँ

विभाग को चाहिए कि:

14. निरंतर संरक्षण और आसान पुनः प्राप्ति के लिए दस्तावेजों का पूर्ण सूचीबद्धकरण और डिजिटलीकरण करे।

15. यह सुनिश्चित करे कि कीट नियंत्रण उपाय, आग की रोकथाम और नियंत्रण उपकरण तथा उपयुक्त भंडारण विधि जैसी बुनियादी रख–रखाव की सुविधाओं को अनिवार्य रूप से अभिलेखागारों में प्रदान किया जाए।

16. उनकी अभिरक्षा में मूल्यवान अभिलेखों के संरक्षण के लिए समुचित परिरक्षण और संरक्षण तकनीकों जैसे धूम्रीकरण, वि–अम्लीकरण आदि को व्यापक रूप से अपनाए।

17. अनुचित तरीके से रखे/ संग्रहित अभिलेखों को पूर्ण क्षति से बचाने के लिए आवश्यक संरक्षण के प्रयास तुरंत करें।

भोपाल
दिनांक: 06 फरवरी 2023

(प्रिया पारिख)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–द्वितीय)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 09 फरवरी 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1
(संदर्भः कंडिका 1.6)
लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों की सूची

क्रमांक	इकाई का नाम	इकाई का प्रकार	क्षेत्र
1	आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल	संचालनालय	मध्य (भोपाल)
2	उप संचालक, अभिलेखागार, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल	डी.डी.ओ.	
3	क्यूरेटर, राज्य संग्रहालय, भोपाल	डी.डी.ओ.	
4	पुरातत्ववेत्ता, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, होशंगाबाद	डी.डी.ओ.	
5	क्यूरेटर, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, विदिशा	डी.डी.ओ.	
6	उप संचालक, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, इंदौर	डी.डी.ओ.	पश्चिम (इंदौर)
7	क्यूरेटर, केंद्रीय संग्रहालय, इंदौर	डी.डी.ओ.	
8	क्यूरेटर, पुरातत्व एवं संग्रहालय, देवास	डी.डी.ओ.	
9	उप संचालक, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, ग्वालियर	डी.डी.ओ.	उत्तर (ग्वालियर)
10	क्यूरेटर, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, गुजरी महल, ग्वालियर	डी.डी.ओ.	
11	क्यूरेटर, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, धुबेला, नौगाँव, छतरपुर	डी.डी.ओ.	
12	उप संचालक, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, पूर्व क्षेत्र, भँवरताल, जबलपुर	डी.डी.ओ.	पूर्व (जबलपुर)
13	क्यूरेटर, रानी दुर्गावती संग्रहालय, जबलपुर	डी.डी.ओ.	
14	क्यूरेटर, राज्य संग्रहालय, रामवन, सतना	डी.डी.ओ.	

अनुलग्नक 1.2
(संदर्भः कंडिका 1.6)
चयनित संग्रहालयों की सूची

राज्य संग्रहालय

क्रमांक	स्थान का नाम	क्षेत्र
1	भोपाल	मध्य
2	जबलपुर	पूर्व
3	ग्वालियर	उत्तर
4	उज्जैन	पश्चिम

जिला संग्रहालय

1	होशंगाबाद	मध्य
2	रीवा	पूर्व
3	ओरछा (निवाड़ी)	उत्तर
4	धार	पश्चिम

स्थानीय संग्रहालय

1	आशापुरी	मध्य
2	चंदेरी	उत्तर
3	महेश्वर	पश्चिम

स्थल संग्रहालय

1	गोलघर, भोपाल	मध्य
2	छप्पन महल (मांडू)	पश्चिम

पुरातत्व संघ संग्रहालय

1	बैतूल	मध्य
2	सिवनी	पूर्व
3	दतिया	उत्तर
4	खंडवा	पश्चिम

डी.डी.ओ. की सूची से चयनित संग्रहालय

क्रमांक	स्थान का नाम	क्षेत्र	श्रेणी
1	विदिशा	मध्य	जिला
2	इंदौर	पश्चिम	राज्य
3	देवास	पश्चिम	जिला
4	धुबेला, छतरपुर	उत्तर	राज्य
5	रामवन, सतना	पूर्व	राज्य

अनुलग्नक 1.3
(संदर्भः कंडिका 1.6)
चयनित स्मारकों का क्षेत्रवार विवरण

क्रमांक	स्मारक का नाम	जिला	स्थान और तहसील	क्षेत्र	श्रेणी
1	भूतनाथ मंदिर और मूर्तियां	रायसेन	आशापुरी, गोहरगंज	मध्य	धार्मिक भवन
2	विष्णु मंदिर	विदिशा	गोपालपुर, सिरोंज		धार्मिक भवन
3	पुराने किले का हिस्सा	होशंगाबाद	होशंगाबाद		किला
4	गौंड महल	भोपाल	इस्लामनगर, भोपाल		महल
5	रॉक आर्ट स्थल	होशंगाबाद	चुरनागुंडी, पार्क रेंज कांटी		शैल चित्र
6	मकबरा हाजीवली की दरगाह	विदिशा	दुर्गानगर, विदिशा		छत्री / मकबरा
7	सेमली जागीर बावड़ी	राजगढ़	लालबड़, राजगढ़		बावड़ी
8	मोर पिपली बावड़ी	राजगढ़	पिपली, लालबड़, राजगढ़		बावड़ी
9	सोलह खंबी	विदिशा	बडोह, कुरवाई		अन्य
10	ऐतिहासिक बाँध	रायसेन	कीरत नगर, रायसेन		अन्य
11	वेधशाला	विदिशा	भूरीटोरी, सिरोंज		अन्य
12	पांडव मठ	नरसिंहपुर	नोनिया, नरसिंहपुर	पूर्व	धार्मिक भवन
13	श्री गरूड़ देव मंदिर	नरसिंहपुर	गरारू, नरसिंहपुर		धार्मिक भवन
14	पटियान दाई मंदिर	सतना	बंधीमुहर, नागौद		धार्मिक भवन
15	विष्णु वराह मंदिर	जबलपुर	मझौली, पाटन		धार्मिक भवन
16	खैरमाता की मढ़िया	शहडोल	मऊ, ब्योहारी		धार्मिक भवन
17	कंकालीमाता का मंदिर	शहडोल	अंतरा, सोहागपुर		धार्मिक भवन
18	किले के अवशेष	डिंडोरी	रामगढ़		किला
19	गढ़ी (दुर्ग)	सतना	अमरपाटन		किला
20	गढ़ी (दुर्ग)	रीवा	गुढ़		किला
21	चौगान का किला	नरसिंहपुर	चौरागढ़, गाडरवारा		किला
22	पुराने गोंडकाल का राज महल	नरसिंहपुर	पिटेहरा		महल
23	चित्रित शैलाश्रय	सिंगरौली	धौलागिरी, बीछी चित्रांगी		शैल कला
24	चित्रित शैलाश्रय	सिंगरौली	गोरापहाड़, बीछी चित्रांगी		शैल कला
25	चित्रित शैलाश्रय	रीवा	गढ़ी		शैल कला
26	रॉक–कट चामुंडा	सतना	सांवरपहाड़ी, सरभंगा, मंझगवां		शैल कला
27	मकबरा	मंडला	बिछिया, मंडला		छत्री / मकबरा
28	प्राचीन बावड़ी	जबलपुर	सिहोरा, जबलपुर		बावड़ी
29	प्राचीन गरुड़ स्तम्भ	नरसिंहपुर	बरमानकला, करेली		अन्य
30	शांतिनाथ मंदिर (जैन मंदिर)	छतरपुर	उर्दमऊ, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
31	शिव मंदिर	भिंड	छीमका, गोहद		धार्मिक भवन
32	लालपीर	अशोकनगर	फतेहाबाद, चंदेरी		धार्मिक भवन

क्रमांक	स्मारक का नाम	जिला	स्थान और तहसील	क्षेत्र	श्रेणी
33	प्राचीन मंदिर	निवाड़ी	(सीतामढ़ी महल के पीछे), ओरछा, निवाड़ी		धार्मिक भवन
34	सूर्य मंदिर	शिवपुरी	सेसई, कोलारस		धार्मिक भवन
35	धूमेश्वर महादेव मंदिर	ग्वालियर	धूमेश्वर, भितरवार		धार्मिक भवन
36	शिव मंदिर	निवाड़ी	(किले के अंदर), ओरछा, निवाड़ी		धार्मिक भवन
37	लक्ष्मी मंदिर	निवाड़ी	ओरछा, निवाड़ी		धार्मिक भवन
38	बिहारीजू का मंदिर	छतरपुर	सुहानिया, नौगाँव		धार्मिक भवन
39	गुसाई का मठ	निवाड़ी	ओरछा, निवाड़ी		धार्मिक भवन
40	गढ़ी	मुरैना	सुमावली, जौरा, मुरैना		किला
41	प्राचीन गढ़ी	शिवपुरी	कछोआ, पिछोर		किला
42	अटा का किला	सागर	अटाकर्नेलगढ, मालथौन		किला
43	जुझार सिंह महल	निवाड़ी	ओरछा, निवाड़ी		महल
44	गुजरी महल	ग्वालियर	ग्वालियर, ग्वालियर		महल
45	हिंदुपत महल	पन्ना	पन्ना, पन्ना		महल
46	मोती महल	ग्वालियर	ग्वालियर, ग्वालियर		महल
47	पालकी महल	निवाड़ी	ओरछा, निवाड़ी		महल
48	टीथ विथ रॉक पेंटिंग	अशोकनगर	नानौंन, चंदेरी		शैल चित्र
49	महाराजा शाहकर्ण की छत्री	दतिया	दतिया		छत्री / मकबरा
50	छत्री हौज खास	अशोकनगर	चंदेरी		छत्री / मकबरा
51	महारानी लक्ष्मी बाई की छत्री	ग्वालियर	ग्वालियर, ग्वालियर		छत्री / मकबरा
52	महाराजा किशोर सिंह की पत्नी का मकबरा, पन्ना	पन्ना	सर्किट हाउस, पन्ना		छत्री / मकबरा
53	हंसो की छत्री	अशोकनगर	चंदेरी		छत्री / मकबरा
54	भरत शाह की छत्री	अशोकनगर	चंदेरी		छत्री / मकबरा
55	सूफी मकबरा, खानकाह दरगाह	अशोकनगर	शाहविलायत परिसर, चंदेरी		छत्री / मकबरा
56	महाराजा परीक्षित की छत्री	दतिया	दतिया		छत्री / मकबरा
57	भीमसेन राणा की छत्री	ग्वालियर	ग्वालियर, ग्वालियर		छत्री / मकबरा
58	यज्ञशाला	निवाड़ी	किला परकोटा के अंदर स्थित स्मारक, ओरछा, निवाड़ी		छत्री / मकबरा
59	महाराज प्रताप सिंह की छत्री	छतरपुर	खजुराहो, राजनगर		छत्री / मकबरा
60	बेतवा किनारे स्थित प्राचीन छत्रियां	निवाड़ी	ओरछा, निवाड़ी		छत्री / मकबरा
61	आलिया बावड़ी	अशोकनगर	फतेहाबाद, चंदेरी		बावड़ी
62	रायमन दाऊ की कोठी	निवाड़ी	ओरछा, निवाड़ी		अन्य
63	ढोलिया दरवाजा	अशोकनगर	चंदेरी		अन्य

क्रमांक	स्मारक का नाम	जिला	स्थान और तहसील	क्षेत्र	श्रेणी
64	धर्म तलैया	शिवपुरी	कछोआ, पिछोर		अन्य
65	हमाम खाना	निवाड़ी	ओरछा, निवाड़ी		अन्य
66	नौनेजू की हवेली	निवाड़ी	ओरछा, निवाड़ी		अन्य
67	घुड़साल	श्योपुर	श्योपुर, श्योपुर		अन्य
68	चतुर्भुज मंदिर	धार	अमझेड़ा, सरदारपुर	पश्चिम	धार्मिक भवन
69	कालेश्वर	खरगोन	महेश्वर, खरगोन		धार्मिक भवन
70	ढोलागिरी महादेव मंदिर	मन्दसौर	खिलचीपुरा, मंदसौर		धार्मिक भवन
71	प्राचीन मंदिर क्रमांक 2	नीमच	बरूखेड़ा, नीमच		धार्मिक भवन
72	शिव मंदिर	मन्दसौर	अंतरालिया, मंदसौर		धार्मिक भवन
73	ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी	मन्दसौर	अचेरा, मंदसौर		किला
74	हिंगलाजगढ़ दुर्ग (किला)	मन्दसौर	हिंगलाजगढ़, भानपुरा		किला
75	बेगम मुमताज महल का मकबरा	बुरहानपुर	बुरहानपुर		महल
76	खरबूजा महल	धार	धार		महल
77	रोशन बाग महल	धार	मांडू धार		महल
78	रॉककट गुफाएँ और मंदिर समूह	मन्दसौर	पोलाडोंगर, गरोठ		शैल चित्र
79	रोजा का मकबरा	धार	मांडू		छत्री / मकबरा
80	बावड़ी क्रमांक 1 और 2, (पुराना सीढीदार कुआँ)	इंदौर	छोटी जाम खुर्द, महू, इंदौर		बावड़ी
81	प्राचीन बावड़ी (पुराना सीढ़ीदार कुआँ)	बड़वानी	जलगोन, पारसमल		बावड़ी
82	श्रीमंत महाराजा सवाई यशवंत होल्कर	इंदौर	इंदौर		अन्य
83	बारादरी	बुरहानपुर	बुरहानपुर		अन्य
84	कोठारी सराय	धार	मांडू		अन्य
85	मालकम कोठी	धार	नालचा, धार		अन्य

चयनित स्मारकों के समीप स्थित स्मारकों का क्षेत्रवार विवरण

क्रमांक	स्मारक का नाम	जिला	स्थान और तहसील	क्षेत्र	अवधि / शताब्दी
1	चमन महल	भोपाल	इस्लाम नगर	मध्य	महल
2	रानी महल	भोपाल	इस्लाम नगर		महल
3	किलेबंदी की दीवार	भोपाल	इस्लाम नगर		किला
4	हांडी रानी की बावड़ी	राजगढ़	लालबड़		बावड़ी
5	सोलह खंबी	राजगढ़	बिहार, नरसिंहगढ़		अन्य
6	हाजीवाली की दरगाह	राजगढ़	बिहार, नरसिंहगढ़		छत्री / मकबरा
7	प्राचीन मस्जिद	राजगढ़	बिहार, नरसिंहगढ़		धार्मिक भवन
8	नरसिंहदेव का मंदिर	राजगढ़	नरसिंहगढ़		धार्मिक भवन
9	चारबाग की छत्री	राजगढ़	राजगढ़		छत्री / मकबरा

क्रमांक	स्मारक का नाम	जिला	स्थान और तहसील	क्षेत्र	अवधि / शताब्दी
10	सांका श्याम की छत्री	राजगढ़	सांका, नरसिंहगढ़		छत्री / मकबरा
11	सतमढ़ी	विदिशा	बडोह, कुरवाई		अन्य
12	महालक्ष्मी शक्तिपीठ (पचमथ मंदिर)	जबलपुर	अधारताल	पूर्व	धार्मिक भवन
13	मोती महल (राजमहल)	मंडला	रामनगर, मंडला		महल
14	रायभगत की कोठी	मंडला	रामनगर, मंडला		अन्य
15	विष्णु मंदिर (सूरज मंदिर)	नरसिंहपुर	रामनगर, मंडला		धार्मिक भवन
16	शिव मंदिर	नरसिंहपुर	गरारू, नरसिंहपुर		धार्मिक भवन
17	सोमेश्वर मंदिर	सतना	बरमनकला, करेली		धार्मिक भवन
18	प्राचीन मंदिर के खंडहर	सतना	यज्ञवेदी स्थल, सरभंगा, मंझगवां		धार्मिक भवन
19	महावीर पहाड़ी का हनुमान मंदिर	सतना	सरभंगा, मंझगवां		धार्मिक भवन
20	प्राचीन शिव मंदिर	सतना	वृद्धाश्रम के पीछे, सरभंगा, मंझगवां		धार्मिक भवन
21	रॉक–कट गणेश प्रतिमा	शहडोल	ब्रम्हाकुंड और छत्री के मंदिर के पास, सरभंगा, मंझगवां		धार्मिक भवन
22	पचमाथा मंदिर (प्राचीन भवन पंचमठ प्रतिमायें)	अशोकनगर	सिंहपुर, सोहागपुर		धार्मिक भवन
23	आलिया मस्जिद	अशोकनगर	फतेहाबाद, चंदेरी	उत्तर	धार्मिक भवन
24	चकला बावड़ी	अशोकनगर	चंदेरी		धार्मिक भवन
25	दिल्ली दरवाजा	अशोकनगर	चंदेरी		अन्य
26	पुरानी कचहरी	अशोकनगर	चंदेरी		अन्य
27	नयापुरा की छत्री	अशोकनगर	चंदेरी		छत्री / मकबरा
28	सूफी संत का मकबरा	अशोकनगर	चंदेरी		छत्री / मकबरा
29	देवी सिंह की छत्री	अशोकनगर	चंदेरी		छत्री / मकबरा
30	अनिरुद्ध सिंह की छत्री	छतरपुर	चंदेरी		छत्री / मकबरा
31	शीतल गढ़ी	छतरपुर	महेबा		किला
32	धुबेला महल	छतरपुर	धुबेला		महल
33	हृदय शाह पैलेस	छतरपुर	मऊ, नौगाँव		महल
34	महेबा गेट	छतरपुर	महेबा		अन्य
35	नाग मंदिर	छतरपुर	मऊ, नौगाँव		धार्मिक भवन
36	चौसठ योगिनी मंदिर	छतरपुर	मऊ, नौगाँव		धार्मिक भवन
37	गणेश मंदिर	छतरपुर	मऊ, नौगाँव		धार्मिक भवन
38	भीम कुंड मंदिर समूह	छतरपुर	मऊ, नौगाँव		धार्मिक भवन
39	सूर्य मंदिर	छतरपुर	छतरपुर		धार्मिक भवन
40	सवाई सिंह का मकबरा	छतरपुर	सुहानिया, नौगाँव		छत्री / मकबरा
41	कमलापति का मकबरा	छतरपुर	मऊ, नौगाँव		छत्री / मकबरा
42	छत्रसाल का मकबरा	छतरपुर	धुबेला		छत्री / मकबरा
43	बावड़ी	दतिया	चकचंदैया, चंदेवा		बावड़ी
44	प्राचीन बावड़ी	दतिया	अस्पताल परिसर, दतिया		बावड़ी
45	भवानी सिंह की छत्री	दतिया	दतिया		छत्री / मकबरा
46	महाराजा इंद्रजीत की छत्री	दतिया	दतिया		छत्री / मकबरा
47	महारानी शाहकर्ण की छत्री	ग्वालियर	दतिया		छत्री / मकबरा
48	जहाँगीर महल और शाहजहाँ महल	ग्वालियर	किला, ग्वालियर		महल
49	कर्ण महल	ग्वालियर	किला, ग्वालियर		महल
50	विक्रम महल	ग्वालियर	किला, ग्वालियर		महल

क्रमांक	स्मारक का नाम	जिला	स्थान और तहसील	क्षेत्र	अवधि / शताब्दी
51	जौहर कुंड और आयुध निर्माणी	ग्वालियर	किला, ग्वालियर		अन्य
52	किला बुर्ज	ग्वालियर	किला, ग्वालियर		अन्य
53	लधेड़ी गेट	मुरैना	ग्वालियर		अन्य
54	सांक रिवर ब्रिज (नूराबाद का पूल)	मुरैना	नूराबाद		अन्य
55	गन्ना बेगम का मकबरा	ओरछा	नूराबाद		छत्री / मकबरा
56	हाथी साव महल	ओरछा	ओरछा		महल
57	सुपारी साव महल	ओरछा	ओरछा		महल
58	राय प्रवीण महल	ओरछा	ओरछा		महल
59	राजा महल	ओरछा	ओरछा		महल
60	जहांगीर महल	ओरछा	ओरछा		महल
61	रामनगर का दरवाजा	ओरछा	ओरछा		अन्य
62	फूल बाग	ओरछा	ओरछा		अन्य
63	तोपखाना	ओरछा	ओरछा		अन्य
64	ऊँटखाना	ओरछा	ओरछा		अन्य
65	तीन दासियों की हवेली	ओरछा	ओरछा		अन्य
66	चतुर्भुज मंदिर	ओरछा	ओरछा		धार्मिक भवन
67	पंचमुखी महादेव मंदिर	ओरछा	ओरछा		धार्मिक भवन
68	वनवासी मंदिर	ओरछा	ओरछा		धार्मिक भवन
69	राधिका बिहारी मंदिर	पन्ना	ओरछा		धार्मिक भवन
70	महाराजा किशोर सिंह का मकबरा	पन्ना	सर्किट हाउस		छत्री / मकबरा
71	मिर्जा राजा का मकबरा	श्योपुर	पन्ना		छत्री / मकबरा
72	नरसिंह महल	श्योपुर	किला, श्योपुर		महल
73	राजा मनोहरदास एवं अनिरुद्ध सिंह की छत्री	श्योपुर	श्योपुर		छत्री / मकबरा
74	शेरशाह सूरी के सिपाही का मकबरा, श्योपुर (शेरशाह सूरी के जनरल मोहम्मद मुन्नवर आलम खान का मकबरा)	शिवपुरी	श्योपुर		छत्री / मकबरा
75	नरवर का किला	शिवपुरी	नरवर		किला
76	पिछौर का किला	शिवपुरी	पिछोरे		किला
77	तात्याटोपे की मूर्ति	शिवपुरी	शिवपुरी		अन्य
78	कोठी क्रमांक 17	शिवपुरी	शिवपुरी		अन्य
79	शिव मंदिर	शिवपुरी	चोरपुरा		धार्मिक भवन
80	सेंधवा का किला	बड़वानी	सेंधवा, बड़वानी	पश्चिम	किला
81	श्राव रतन महल	बुरहानपुर	बुरहानपुर		महल
82	जैनाबाद की सराय और मस्जिद	बुरहानपुर	बुरहानपुर		धार्मिक स्थल
83	दौलत खान लोधी का मकबरा	बुरहानपुर	बुरहानपुर		छत्री / मकबरा
84	शहजादा परवेज का मकबरा	बुरहानपुर	बुरहानपुर		छत्री / मकबरा
85	शहीद बख्तावर सिंह स्मारक और गढ़ी	धार	अमझेरा		किला
86	छप्पन महल	धार	मांडू		महल
87	मदन कुई सराय	धार	मांडू		अन्य
88	प्राचीन किला, लूनेरा सराय	धार	लुनेरा, धार		अन्य
89	फूटा मंदिर	धार	मांडू		धार्मिक भवन
90	उडाजी पवार के राजा की छत्रियां	धार	धार		छत्री / मकबरा
91	बावड़ी क्रमांक 3, (स्टेप वेल) छोटा	इंदौर	महू, इंदौर		बावड़ी

क्रमांक	स्मारक का नाम	जिला	स्थान और तहसील	क्षेत्र	अवधि / शताब्दी
	जाम खुर्द				
92	राजवाड़ा पैलेस	इंदौर	इंदौर		महल
93	लालबाग पैलेस और चंपा बावड़ी	इंदौर	इंदौर		महल
94	बोलिया सरकार की छत्री	इंदौर	इंदौर		छत्री/ मकबरा
95	जलेश्वर मंदिर	खरगोन	महेश्वर		धार्मिक भवन
96	केशव मंदिर	खरगोन	महेश्वर		धार्मिक भवन
97	चंद्रावत की गढ़ी	मन्दसौर	अंतरालिया, मंदसौर		किला
98	सूरज मंदिर	मन्दसौर	खिलछीपुरा		धार्मिक भवन
99	यशवंतराव होलकर की छत्री	मन्दसौर	भानपुरा, मंदसौर		छत्री/ मकबरा
100	जीरन की गढ़ी	नीमच	जीरन		किला
101	प्राचीन मंदिर क्रमांक 1 (शिव मंदिर क्रमांक 1)	नीमच	बरूखेड़ा		धार्मिक भवन
102	प्राचीन मंदिर संख्या 4 (शिव मंदिर संख्या 4)	नीमच	बरूखेड़ा		धार्मिक भवन
103	पंचदेवल मंदिर	नीमच	जीरन		धार्मिक भवन
104	भानु टिकैत की छत्री	नीमच	जीरन		छत्री/ मकबरा

अनुलग्नक 3.1
(संदर्भः कंडिका 3.2.1)
संरक्षण में लिए जाने के बाद से संरक्षित नहीं किए गए स्मारकों की सूची

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	संरक्षण में लिए जान को तिथि	क्षेत्र
1	मालादेवी	गढ़ा पुरवा, जबलपुर	16.04.1984	पूर्व
2	मुड़िया शिवमंदिर	गढ़ा अधारताल, जबलपुर	20.02.1983	पूर्व
3	राधा कृष्ण मंदिर	लम्हेटा घाट, जबलपुर	07.08.2015	पूर्व
4	प्राचीन सोमेश्वर मंदिर	बरमनकला, नरसिंहपुर	22.06.1990	पूर्व
5	नरसिंह मंदिर	नरसिंहपुर	16.12.2016	पूर्व
6	नकती देवी (सूर्य प्रतिमा)	सेलवाड़ा, मंडला	27.06.1990	पूर्व
7	चित्रित शैलाश्रय	गद्दी, रीवा	14.05.2009	पूर्व
8	लुकेश्वर नाथ मंदिर	जावा, रीवा	16.12.2016	पूर्व
9	योगिनी माता स्थल	सिरमौर, रीवा	02.01.2017	पूर्व
10	गढ़ी	अमरपाटन, सतना	31.05.1990	पूर्व
11	पटियान दाई मंदिर	बांदीमोहर, सतना	20.03.1986	पूर्व
12	शिव मंदिर	पथरकाचर, सतना	25.07.1990	पूर्व
13	गोरा पहाड़ शैलाश्रय	बीछी, सिंगरौली	18.01.1990	पूर्व
14	चित्रित शैलाश्रय (रानी माची)	बीछी, सिंगरौली	04.04.1990	पूर्व
15	धौलागिरी चित्रित शैलाश्रय	बीछी, सिंगरौली	15.11.1991	पूर्व
16	प्राचीन मंदिर	दोराजखुर्द, सिंगरौली	04.04.1990	पूर्व
17	प्राचीन शिव मंदिर	सागरा, उमरिया	30.09.1992	पूर्व
18	प्राचीन शिव मंदिर	धधरकला, अनूपपुर	17.09.2014	पूर्व
19	महाराज किशोर सिंह का मकबरा	पन्ना, पन्ना	30.07.2018	उत्तर
20	महाराज किशोर सिंह की रानी का मकबरा	पन्ना, पन्ना	30.07.2018	उत्तर
21	सूर्य मंदिर	मौसाहनिया, धुबेला, छतरपुर	28.03.2019	उत्तर
22	खुरई का किला	खुरई, सागर	28.03.2019	उत्तर
23	मकबरा क्रमांक 1 और 2, महाराजा छत्रसाल पार्क के अंदर	पन्ना, पन्ना	28.03.2019	उत्तर
24	गढ़ी सुमावली	सुमावली, मुरैना	31.08.2006	उत्तर
25	चकला बावड़ी की दो छत्रियां	चंदेरी, अशोकनगर	30.07.1993	उत्तर
26	पुरानी कचहरी	चंदेरी, अशोकनगर	04.10.2013	उत्तर
27	पंचमढ़ी बावड़ी मस्जिद	चंदेरी, अशोकनगर	04.10.2013	उत्तर
28	गोल बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	04.10.2013	उत्तर
29	काजी बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	04.10.2013	उत्तर
30	आलिया बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	04.10.2013	उत्तर
31	तापा बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
32	पाण्डेय बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
33	चंदाई बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
34	अकोल बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
35	झालारी बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
36	जनानन बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
37	मचौ बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
38	हजीरा (लाल बावड़ी) सराय	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
39	मचाऊ बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
40	राजमती बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
41	छोटी बत्तीसी बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
42	फूटी बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
43	राजा बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	07.08.2015	उत्तर
44	प्राचीन बावड़ी	जलगोन, बड़वानी	21.11.1990	पश्चिम
45	जैन मंदिर	जामनेर, शुजालपुर	23.03.1990	पश्चिम

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	संरक्षण में लिए जान को तिथि	क्षेत्र
46	प्राचीन मंदिर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर	अवंतीपुर, शुजालपुर	26.12.1990	पश्चिम
47	राम मंदिर	बीजानगरी, आगर	20.07.1990	पश्चिम
48	करकराजी मंदिर	लोहरिया, आगर	24.07.1990	पश्चिम
49	श्री राम मंदिर	डोंगरगांव, आगर	24.07.1990	पश्चिम
50	वराह मंदिर वरेल माता मंदिर	बर्रई, आगर	22.11.1990	पश्चिम
51	इंद्रगढ़ का शैलाश्रय	इंद्रगढ़, मंदसौर	13.12.2007	पश्चिम
52	शिव मंदिर क्रमांक 1	नीमाथुर, मंदसौर	अगस्त 2015	पश्चिम
53	चतुर्भुज मंदिर	संधारा, मंदसौर	अगस्त 2015	पश्चिम
54	तोरण बरदा	घुसई, मंदसौर	26.12.1990	पश्चिम
55	छत्री	अफजलपुर, मंदसौर	17.09.1990	पश्चिम
56	चंद्रावत की गढ़ी और पत्थर की दीवार	अंतरलिया, मंदसौर	अगस्त 2015	पश्चिम
57	जैन मंदिर	संधारा, मंदसौर	अगस्त 2015	पश्चिम
58	प्राचीन मंदिर देवल राय आंगन	खोर, नीमच	15.06.1987	पश्चिम
59	धाबा माता का मंदिर	नयागांव, नीमच	12.11.1990	पश्चिम
60	मंदिर (पंच देवल मंदिर के दाहिने तरफ)	जीरन, नीमच	09.03.1990	पश्चिम
61	शिव मंदिर	जीरन, नीमच	03.09.1991	पश्चिम
62	रतनगढ़ की गढ़ी	रतनगढ़, नीमच	28.03.2019	पश्चिम
63	जलेश्वर मंदिर	महेश्वर, खरगोन	जनवरी 2014	पश्चिम

अनुलग्नक 3.2
(संदर्भः कंडिका 3.3.1)
स्मारकों की सूची जहाँ पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं थे

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	स्मारक का प्रकार
1	प्राचीन मस्जिद	बिहार, नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
2	चारबाग की छतरी	राजगढ़	मध्य	छत्री / मकबरा
3	पुराने किले का हिस्सा	जुमेराती, होशंगाबाद	मध्य	किला
4	रॉक कला स्थल	चुरनागुंडी, होशंगाबाद	मध्य	शैल कला
5	सेमली जागीर बावड़ी	लालबड़, राजगढ़	मध्य	बावड़ी
6	सोलह खंबी	विदिशा	मध्य	अन्य
7	महावीर पहाड़ी का हनुमान मंदिर	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
8	रॉककट गणेश प्रतिमा	ब्रम्हा कुंड और छत्री के मंदिर के पास, सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	शैल कला
9	चौगान का किला	नरसिंहपुर	पूर्व	किला
10	चित्रित शैलाश्रय	धौलागिरी, बीछी, सिंगरौली	पूर्व	शैल कला
11	चित्रित शैलाश्रय	गोरा पहाड़, बीछी, सिंगरौली	पूर्व	शैल कला
12	चित्रित शैलाश्रय	गद्दी, रीवा	पूर्व	शैल कला
13	रॉककट चामुंडा	संवर पहाड़ी, सतना	पूर्व	शैल कला
14	प्राचीन बावड़ी	सिहोरा, जबलपुर	पूर्व	बावड़ी
15	पटियान दाई मंदिर	सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
16	आसफ खान का मकबरा	बिछिया, मंडला	पूर्व	छत्री / मकबरा
17	तीन दासियों की हवेली	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	अन्य
18	चौसठ योगिनी मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
19	गणेश मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
20	मंदिरों का समूह भीमकुंड	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
21	पंचमुखी महादेव मंदिर	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
22	वनवासी मंदिर	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
23	राधिका बिहारी मंदिर	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
24	शिव मंदिर	चोरपुरा, शिवपुरी	उत्तर	धार्मिक भवन
25	सवाई सिंह की समाधि	सुहानिया, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	छत्री / मकबरा
26	सूफी संत का मकबरा	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
27	गढ़ी, सुमावली	मुरैना	उत्तर	किला
28	प्राचीन गढ़ी	कछोआ, शिवपुरी	उत्तर	किला
29	टीथ विथ रॉक पेंटिंग	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	शैल कला

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	स्मारक का प्रकार
30	आलिया बावड़ी	अशोकनगर	उत्तर	बावड़ी
31	शांतिनाथ मंदिर (जैन मंदिर)	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
32	शिव मंदिर	किले के अंदर, ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
33	हंसो की छत्री	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
34	यज्ञशाला	किला पर कोटा के अंदर स्थित स्मारक, ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	छत्री / मकबरा
35	जलेश्वर मंदिर	महेश्वर, खरगोन	पश्चिम	धार्मिक भवन
36	सूरज मंदिर	खिलचीपुरा, मंदसौर	पश्चिम	धार्मिक भवन
37	पंचदेवल मंदिर	जीरन, नीमच	पश्चिम	धार्मिक भवन
38	भानुटिकैत की छत्री	जीरन, नीमच	पश्चिम	छत्री / मकबरा
39	हिंगलाजगढ़ दुर्ग (किला)	मन्दसौर	पश्चिम	किला
40	बेगम मुमताज महल का मकबरा	बुरहानपुर	पश्चिम	महल
41	प्राचीन बावड़ी (पुराना सीढ़ीदार कुआँ)	पानसेमल, बड़वानी, खरगोन	पश्चिम	बावड़ी
42	रोशनबाग महल	मांडू, धार	पश्चिम	महल
43	मालकम कोठी	नालछा, धार	पश्चिम	अन्य

अनुलग्नक 3.3
(संदर्भः कंडिका 3.3.2 (अ))
स्मारकों की सूची जहाँ कोई साइन बोर्ड उपलब्ध नहीं था

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	श्रेणी
1	पुराने किले का हिस्सा	जुमेराती, होशंगाबाद	मध्य	किला
2	शैल कला स्थल	चुरनागुंडी, होशंगाबाद	मध्य	शैलचित्र
3	सेमली जागीर बावड़ी	लालबड़, राजगढ़	मध्य	बावड़ी
4	विष्णु मंदिर	गोपालपुर, विदिशा	मध्य	धार्मिक भवन
5	मकबरा हजीवली की दरगाह	विदिशा	मध्य	छत्री / मकबरा
6	सोलह खंबी	विदिशा	मध्य	अन्य
7	वेधशाला	भूरिटोरी, विदिशा	मध्य	अन्य
8	हांडीरानी की बावड़ी	लालबड़, राजगढ़	मध्य	बावड़ी
9	किलेबंदी की दीवार	इस्लाम नगर, भोपाल	मध्य	अन्य
10	सोलह खंबी	बिहार, नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	अन्य
11	सतमढ़ी	बडोह, कुरवाई, विदिशा	मध्य	अन्य
12	हाजीवाली की दरगाह	बिहार, नरसिंहपुर, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
13	प्राचीन मस्जिद	बिहार, नरसिंहपुर, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
14	नरसिंहदेव का मंदिर	नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
15	चारबाग की छतरी	राजगढ़	मध्य	छत्री / मकबरा
16	किले के अवशेष	डिंडोरी	पूर्व	किला
17	गढ़ी (दुर्ग)	सतना	पूर्व	किला
18	चित्रित शैलाश्रय	धौलागिरी, बीछी, सिंगरोली	पूर्व	शैल कला
19	चित्रित शैलाश्रय	गोरा पहाड़, बीछी, सिंगरौली	पूर्व	शैल कला
20	चित्रित शैलाश्रय	गद्दी, रीवा	पूर्व	शैल कला
21	रॉक–कट चामुंडा सांवर पहाड़ी	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	शैल कला
22	पटियान दाई मंदिर	सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
23	यज्ञवेदी स्थल पर प्राचीन मंदिर के अवशेष	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
24	महावीर पहाड़ी का हनुमान मंदिर	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
25	प्राचीन शिव मंदिर	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
26	रॉककट गणेश प्रतिमा	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	शैल कला
27	गढ़ी सुमावली	सुमौली, मुरैना	उत्तर	किला
28	प्राचीन गढ़ी	कछोआ, शिवपुरी	उत्तर	किला
29	अटा का किला	अटाकर्नेलगढ़, सागर	उत्तर	किला
30	मोतीमहल	ग्वालियर	उत्तर	महल
31	लिखी दांत रॉक पैंटिंग	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	शैल कला
32	आलिया बावड़ी	अशोकनगर	उत्तर	बावड़ी
33	शांतिनाथ मंदिर (जैन मंदिर)	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
34	लालपीर	अशोकनगर	उत्तर	धार्मिक भवन
35	धूमेश्वर महादेव मंदिर	ग्वालियर	उत्तर	धार्मिक भवन
36	गुसाई का मठ	निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
37	महाराजा किशोर सिंह की पत्नी का मकबरा	पन्ना	उत्तर	छत्री / मकबरा
38	सूफी मकबरा, खानकाह दरगाह	शाहविलायत परिसर, चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
39	यज्ञशाला	किला पर कोटा के अंदर स्थित स्मारक, ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	छत्री / मकबरा

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	श्रेणी
40	महाराज प्रताप सिंह की छत्री	राजनगर, खजुराहो, छतरपुर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
41	धर्म तलैया	कछोआ, शिवपुरी	उत्तर	अन्य
42	घुड़साल	सीहोपुर	उत्तर	अन्य
43	चकला बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	बावड़ी
44	शीतल गढ़ी	महेबा, छतरपुर	उत्तर	किला
45	पिछौर का किला	पिछोर, शिवपुरी	उत्तर	किला
46	धुबेला महल	धुबेला, छतरपुर	उत्तर	महल
47	हृदयशाह पैलेस	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	महल
48	कर्ण महल, किला	ग्वालियर	उत्तर	महल
49	सुपारी साव महल	ओरछा	उत्तर	महल
50	जौहर कुंड और आयुध निर्माणी, किला	ग्वालियर	उत्तर	अन्य
51	लधेड़ी गेट	ग्वालियर	उत्तर	अन्य
52	साँक नदी पुल (नूराबाद का पूल)	नूराबाद, मुरैना	उत्तर	अन्य
53	रामनगर का दरवाजा	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	अन्य
54	तीन दासियों की हवेली	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	अन्य
55	तात्या टोपे की मूर्ति	शिवपुरी	उत्तर	अन्य
56	नाग मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
57	चौसठ योगिनी मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
58	गणेश मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
59	समूह के भीमकुंड मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
60	आलिया मस्जिद	चंदेरी, फतेहाबाद, अशोकनगर	उत्तर	धार्मिक भवन
61	पंचमुखी महादेव मंदिर	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
62	वनवासी मंदिर	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
63	राधिका बिहारी मंदिर	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
64	शिवमंदिर	चोरपुरा, शिवपुरी	उत्तर	धार्मिक भवन
65	सवाई सिंह की समाधि	सुहानिया, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
66	नयापुरा की छत्री	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
67	सूफी संत का मकबरा	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
68	देवी सिंह की छत्री	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
69	अनिरुद्ध सिंह की छत्री	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
70	किशोर सिंह की समाधि	सर्किट हाउस, पन्ना	उत्तर	छत्री/ मकबरा
71	मिर्जा राजा का मकबरा	पन्ना	उत्तर	छत्री/ मकबरा
72	गन्ना बेगम का मकबरा	नूराबाद, मुरैना	उत्तर	छत्री/ मकबरा
73	राजा मनोहर दास एवं अनिरुद्ध सिंह की छत्री	श्योपुर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
74	महारानी शाहकर्ण की छत्री	दतिया	उत्तर	छत्री/ मकबरा
75	रॉक–कट गुफाएँ और मंदिर समूह	पोलाडोंगर, मंदसौर	पश्चिम	शैल कला
76	बावड़ी क्रमांक 1 और 2 (पुराना सीढीदार कुआँ)	छोटी जाम खुर्द, मऊ, इंदौर	पश्चिम	बावड़ी
77	प्राचीन बावड़ी (पुराना सीढ़ीदार कुआँ)	पानसेमल, बड़वानी, खरगोन	पश्चिम	बावड़ी
78	चतुर्भुज मंदिर	धार	पश्चिम	धार्मिक भवन
79	कालेश्वर मंदिर	महेश्वर, खरगोन	पश्चिम	धार्मिक भवन

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	श्रेणी
80	शिव मंदिर	अंतरलिया, मंदसौर	पश्चिम	धार्मिक भवन
81	श्रीमंत महाराजा सवाई यशवंत होलकर की छत्री	इंदौर	पश्चिम	अन्य
82	बावड़ी क्रमांक 3, (सीढ़ीदार कुआँ)	छोटाजाम खुर्द, महू, इंदौर	पश्चिम	बावड़ी
83	किला सेंधवा	सेंधवा, बड़वानी	पश्चिम	किला
84	चंद्रावती की गढ़ी	अंतरलिया, मंदसौर	पश्चिम	किला
85	प्राचीन किला, लूनेरा सराय	लुनेरा, धार	पश्चिम	अन्य
86	जलेश्वर मंदिर	महेश्वर, खरगोन	पश्चिम	धार्मिक भवन
87	प्राचीन मंदिर क्रमांक 1	बरूखेड़ा, नीमच	पश्चिम	धार्मिक भवन
88	रोशन बाग महल	मांडू, धार	पश्चिम	महल
89	मालकम कोठी	नालछा, धार	पश्चिम	अन्य

अनुलग्नक 3.4
(संदर्भः कंडिका 3.3.2 (ब))
स्मारकों की सूची जहाँ दंडात्मक साइन बोर्ड उपलब्ध नहीं था

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	स्मारक का प्रकार
1	पुराने किले का हिस्सा	जुमेराती, होशंगाबाद	मध्य	किला
2	शैल कला स्थल	चुरनागुंडी, होशंगाबाद	मध्य	शैल कला
3	सेमली जागीर बावड़ी	लालबड़, राजगढ़	मध्य	बावड़ी
4	मोर पिपली बावड़ी	पिपली, राजगढ़	मध्य	बावड़ी
5	विष्णु मंदिर	गोपालपुर, विदिशा	मध्य	धार्मिक भवन
6	मकबरा हाजीवली की दरगाह	विदिशा	मध्य	छत्री / मकबरा
7	सोलह खंबी	विदिशा	मध्य	अन्य
8	वेधशाला	भूरीटोरी, विदिशा	मध्य	अन्य
9	हांडीरानी की बावड़ी	लालबड़, राजगढ़	मध्य	बावड़ी
10	चमन महल	इस्लामनगर, भोपाल	मध्य	महल
11	रानी महल	इस्लामनगर, भोपाल	मध्य	महल
12	किलेबंदी की दीवार	इस्लामनगर, भोपाल	मध्य	अन्य
13	सोलह खंबी	बिहार, नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	अन्य
14	सतमढ़ी	बडोह, कुरवाई, विदिशा	मध्य	अन्य
15	हाजीवाली की दरगाह	बिहार, नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
16	प्राचीन मस्जिद	बिहार, नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
17	नरसिंहदेव का मंदिर	नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
18	चारबाग की छतरी	राजगढ़	मध्य	छत्री / मकबरा
19	सांका श्याम की छत्री	नरसिंहगढ़, सांका, राजगढ़	मध्य	छत्री / मकबरा
20	किले के खंडहर	डिंडोरी	पूर्व	किला
21	गढ़ी (दुर्ग)	सतना	पूर्व	किला
22	चित्रित शैलाश्रय	धौलागिरी, बीछी, सिंगरौली	पूर्व	शैल कला
23	चित्रित शैलाश्रय	गोरापहाड़, बीछी, सिंगरौली	पूर्व	शैल कला
24	चित्रित शैलाश्रय	गड्डी, रीवा	पूर्व	शैल कला
25	रॉककट चामुंडा	सांवेर पहाड़ी, सतना	पूर्व	शैल कला
26	पटियान दाई मंदिर	सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
27	प्राचीन गरुड़ स्तम्भ	नरसिंहपुर	पूर्व	अन्य
28	यज्ञवेदी स्थल पर प्राचीन मंदिर के अवशेष	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
29	महावीर पहाड़ी का हनुमान मंदिर	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
30	प्राचीन शिव मंदिर	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
31	रॉक–कट गणेश प्रतिमा	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	शैल कला
32	गढ़ी सुमावली,	मुरैना	उत्तर	किला
33	प्राचीन गढ़ी	कछोआ, शिवपुरी	उत्तर	किला
34	अटा का किला	अटाकर्नेलगढ़, सागर	उत्तर	किला
35	जुझार सिंह महल	निवाड़ी	उत्तर	महल

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	स्मारक का प्रकार
36	गुजरी महल	ग्वालियर	उत्तर	महल
37	मोती महल	ग्वालियर	उत्तर	महल
38	पालकी महल	निवाड़ी	उत्तर	महल
39	टीथ विथ रॉक पेंटिंग	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	शैल कला
40	आलिया बावड़ी	अशोकनगर	उत्तर	बावड़ी
41	शांतिनाथ मंदिर (जैन मंदिर)	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
42	शिव मंदिर	भिंड	उत्तर	धार्मिक भवन
43	लालपीर	अशोकनगर	उत्तर	धार्मिक भवन
44	सूर्य मंदिर	शिवपुरी	उत्तर	धार्मिक भवन
45	धूमेश्वर महादेव मंदिर	ग्वालियर	उत्तर	धार्मिक भवन
46	शिव मंदिर	किले के अंदर, निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
47	बिहारीजू का मंदिर	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
48	गुसाई का मठ	निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
49	महाराजा शाहकर्ण की छत्री	दतिया	उत्तर	छत्री / मकबरा
50	छत्री हौज खास	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
51	महाराजा किशोर सिंह की पत्नी का मकबरा	पन्ना	उत्तर	छत्री / मकबरा
52	हंसो की छत्री	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
53	भरत शाह की छत्री	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
54	सूफी मकबरा, खानकाह दरगाह	शाहविलायत कॉम्प्लेक्स, चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
55	महाराजा परीक्षित की छत्री	दतिया	उत्तर	छत्री / मकबरा
56	भीमसेन राणा की छत्री	ग्वालियर	उत्तर	छत्री / मकबरा
57	यज्ञशाला	किला पर कोटा के अंदर स्थित सम्राट, ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	छत्री / मकबरा
58	महाराज प्रताप सिंह की छत्री	राजनगर, खजुराहो, छतरपुर	उत्तर	छत्री / मकबरा
59	धर्म तलैया	कछोआ, शिवपुरी	उत्तर	अन्य
60	नौने जू की हवेली	निवाड़ी	उत्तर	अन्य
61	घुड़साल	सीहोपुर	उत्तर	अन्य
62	चकला बावड़ी	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	बावड़ी
63	प्राचीन बावड़ी	अस्पताल परिसर, दतिया	उत्तर	बावड़ी
64	शीतल गढ़ी	महेबा, छतरपुर	उत्तर	किला
65	नरवर का किला	नरवर, शिवपुरी	उत्तर	किला
66	पिछौर का किला	पिछौर, शिवपुरी	उत्तर	किला
67	धुबेला महल	धुबेला, छतरपुर	उत्तर	महल
68	हृदय शाह पैलेस	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	महल

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	स्मारक का प्रकार
69	जहाँगीर महल और शाहजहाँ महल, किला	ग्वालियर	उत्तर	महल
70	कर्ण महल, किला	ग्वालियर	उत्तर	महल
71	विक्रम महल, किला	ग्वालियर	उत्तर	महल
72	नरसिंह महल, किला	श्योपुर	उत्तर	महल
73	सुपारी साव महल	ओरछा	उत्तर	महल
74	महेबा गेट	महेबा, छतरपुर	उत्तर	अन्य
75	दिल्ली दरवाजा	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	अन्य
76	पुरानी कचहरी	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	अन्य
77	जौहर कुंड और आयुध निर्माणी, किला	ग्वालियर	उत्तर	अन्य
78	किलाबुर्ज, हमाम खाना, किला	ग्वालियर	उत्तर	अन्य
79	लधेड़ी गेट	ग्वालियर	उत्तर	अन्य
80	साँक नदी पुल (नूराबाद का पूल)	नूराबाद, मुरैना	उत्तर	अन्य
81	रामनगर का दरवाजा	ओरछा	उत्तर	अन्य
82	तीन दासियों की हवेली	ओरछा	उत्तर	अन्य
83	तात्या टोपे की मूर्ति	शिवपुरी	उत्तर	अन्य
84	नाग मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
85	चौसठ योगिनी मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
86	गणेश मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
87	मंदिरों का समूह, भीमकुंड	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
88	सूर्य मंदिर	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
89	आलिया मस्जिद	चंदेरी, फतेहाबाद, अशोकनगर	उत्तर	धार्मिक भवन
90	पंचमुखी महादेव मंदिर	ओरछा	उत्तर	धार्मिक भवन
91	वनवासी मंदिर	ओरछा	उत्तर	धार्मिक भवन
92	राधिका बिहारी मंदिर	ओरछा	उत्तर	धार्मिक भवन
93	शिव मंदिर	चोरपुरा, शिवपुरी	उत्तर	धार्मिक भवन
94	सवाई सिंह की समाधि	सुहानिया, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	छत्री / मकबरा
95	रानी कमलापति की समाधि	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	छत्री / मकबरा
96	महाराजा छत्रसाल की समाधि	धुबेला, छतरपुर	उत्तर	छत्री / मकबरा
97	नयापुरा की छत्री	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
98	सूफी संत का मकबरा	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
99	देवी सिंह की छत्री	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
100	अनिरुद्ध सिंह की छत्री	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
101	किशोर सिंह की समाधि	सर्किट हाउस, पन्ना	उत्तर	छत्री / मकबरा
102	मिर्जा राजा का मकबरा	पन्ना	उत्तर	छत्री / मकबरा

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	स्मारक का प्रकार
103	गन्ना बेगम का मकबरा	नूराबाद, मुरैना	उत्तर	छत्री / मकबरा
104	राजा मनोहर दास एवं अनिरुद्ध सिंह की छत्री	श्योपुर	उत्तर	छत्री / मकबरा
105	शेरशाह सूरी के सिपहसलार, का मकबरा श्योपुर (शेरशाह सूरी के जनरल मोहम्मद मुन्नवर आलम खान का मकबरा)	श्योपुर	उत्तर	छत्री / मकबरा
106	महाराजा भवानी सिंह की छत्री	दतिया	उत्तर	छत्री / मकबरा
107	महाराजा इंद्रजीत की छत्री	दतिया	उत्तर	छत्री / मकबरा
108	महारानी शाहकर्ण की छत्री	दतिया	उत्तर	छत्री / मकबरा
109	बेगम मुमताज महल का मकबरा	बुरहानपुर	पश्चिम	महल
110	खरबुजा महल	धार	पश्चिम	महल
111	रॉक–कट गुफाएँ और मंदिर समूह	पोलाडोंगर, मंदसौर	पश्चिम	शैल कला
112	बावड़ी क्रमांक 1 और 2, (पुराना सीढ़ीदार कुआँ)	छोटाजाम खुर्द, मऊ, इंदौर	पश्चिम	बावड़ी
113	प्राचीन बावड़ी (पुराना सीढ़ीदार कुआँ)	पानसेमल, बड़वानी, खरगोन	पश्चिम	बावड़ी
114	चतुर्भुज मंदिर	धार	पश्चिम	धार्मिक भवन
115	कालेश्वर	महेश्वर, खरगोन	पश्चिम	धार्मिक भवन
116	शिव मंदिर	अंतरलिया, मंदसौर	पश्चिम	धार्मिक भवन
117	श्रीमंत महाराजा सवाई यशवंत होलकर की छत्री	इंदौर	पश्चिम	अन्य
118	बारादरी	बुरहानपुर	पश्चिम	अन्य
119	कोठारी सराय	मांडू, धार	पश्चिम	अन्य
120	बावड़ी क्रमांक 3, (सीढ़ीदार कुआँ)	छोटाजाम खुर्द, महू, इंदौर	पश्चिम	बावड़ी
121	सेंधवा का किला	सेंधवा, बड़वानी	पश्चिम	किला
122	चंद्रावत की गढ़ी	अंतरलिया, मंदसौर	पश्चिम	किला
123	राव रतन महल	बुरहानपुर	पश्चिम	महल
124	लालबाग पैलेस और चंपा बावड़ी	इंदौर	पश्चिम	महल
125	छप्पन महल	मांडू, धार	पश्चिम	महल
126	जैनाबाद की सराय और मस्जिद	बुरहानपुर	पश्चिम	अन्य
127	प्राचीन किला, लूनेरा सराय	लुनेरा, धार	पश्चिम	अन्य
128	जलेश्वर मंदिर	महेश्वर, खरगोन	पश्चिम	धार्मिक भवन
129	केशव मंदिर	महेश्वर, खरगोन	पश्चिम	धार्मिक भवन
130	प्राचीन मंदिर क्रमांक 1	बरूखेड़ा, नीमच	पश्चिम	धार्मिक भवन
131	दौलत खान लोधी का मकबरा	बुरहानपुर	पश्चिम	छत्री / मकबरा

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	स्मारक का प्रकार
132	शहजादा परवेज का मकबरा	बुरहानपुर	पश्चिम	छत्री / मकबरा
133	रोशन बाग महल	मांडू, धार	पश्चिम	महल
134	मालकम कोठी	नालछा, धार	पश्चिम	अन्य

अनुलग्नक 3.5
(संदर्भः कंडिका 3.4.1)
स्मारकों की सूची जहाँ सुरक्षागार्ड / केयरटेकर नहीं पाए गए

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	श्रेणी
1	पुराने किले का हिस्सा	जुमेराती, होशंगाबाद	मध्य	किला
2	शैल कला स्थल	चुरनागुंडी, होशंगाबाद	मध्य	शैल कला
3	सेमली जागीर बावड़ी	लालबड़, राजगढ़	मध्य	बावड़ी
4	मोर पिपली बावड़ी	पिपली, राजगढ़	मध्य	बावड़ी
5	ऐतिहासिक बांध	रायसेन	मध्य	अन्य
6	हांडीरानी की बावड़ी	राजगढ़	मध्य	बावड़ी
7	किलेबंदी की दीवार	इस्लामनगर, भोपाल	मध्य	अन्य
8	सोलह खंबी	नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	अन्य
9	हाजीवली की दरगाह	नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
10	प्राचीन मस्जिद	नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
11	नरसिंहदेव का मंदिर	नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
12	चारबाग की छतरी	नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	छत्री / मकबरा
13	सांका श्याम की छत्री	नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	छत्री / मकबरा
14	किले के खंडहर	डिंडोरी	पूर्व	किला
15	गढ़ी (दुर्ग)	सतना	पूर्व	किला
16	गढ़ी (दुर्ग)	गुढ़, रीवा	पूर्व	किला
17	चित्रित शैलाश्रय	धौलागिरी, बीछी, सिंगरोली	पूर्व	शैल कला
18	चित्रित शैलाश्रय	गोरा पहाड़, बीछी, सिंगरौली	पूर्व	शैल कला
19	चित्रित शैलाश्रय,	गद्दी, रीवा	पूर्व	शैल कला
20	रॉक–कट चामुंडा	सांवर पहाड़ी, सतना	पूर्व	शैल कला
21	प्राचीन बावड़ी	सिहोरा, जबलपुर	पूर्व	बावड़ी
22	पटियान दाई मंदिर	सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
23	आसिफ खान का मकबरा	बिछिया, मंडला	पूर्व	छत्री / मकबरा
24	यज्ञवेदी स्थल पर प्राचीन मंदिर के अवशेष	सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
25	महावीर पहाड़ी का हनुमान मंदिर	सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
26	वृद्धाश्रम के पीछे प्राचीन शिव मंदिर	सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
27	महालक्ष्मी शक्तिपीठ (पचमठा मंदिर)	जबलपुर	पूर्व	धार्मिक भवन
28	ब्रम्हकुंड और छत्री के मंदिर के पास रॉककट गणेश प्रतिमा	सतना	पूर्व	शैल कला
29	गढ़ी सुमावली	सुमौली, मुरैना, मुरैना	उत्तर	किला
30	प्राचीन गढ़ी,	कछोआ, शिवपुरी	उत्तर	किला
31	अटा का किला	अटाकर्नेलगढ़, सागर	उत्तर	किला
32	जुझार सिंह महल	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	महल
33	पालकी महल	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	महल
34	टीथ विथ रॉक पेंटिंग	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	शैल कला
35	आलिया बावड़ी	अशोकनगर	उत्तर	बावड़ी

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	श्रेणी
36	शांतिनाथ मंदिर (जैन मंदिर), छतरपुर	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
37	लालपीर	अशोकनगर	उत्तर	धार्मिक भवन
38	सूर्य मंदिर	शिवपुरी	उत्तर	धार्मिक भवन
39	शिव मंदिर	किले के अंदर, निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
40	बिहारीजू का मंदिर	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
41	गुसाई का मठ	निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
42	छत्री हौज खास	अशोक नगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
43	महाराजा किशोर सिंह की पत्नी का मकबरा	पन्ना	उत्तर	छत्री / मकबरा
44	हंसो की छत्री	चंदेरी, अशोक नगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
45	भरत शाह की छत्री	चंदेरी, अशोक नगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
46	सूफी मकबरा, खानकाह दरगाह	शाह विलायत परिसर, चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
47	भीमसेन राणा की छत्री	ग्वालियर	उत्तर	छत्री / मकबरा
48	यज्ञशाला	किला पर कोटा के अंदर स्थित स्मारक, ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	छत्री / मकबरा
49	महाराज प्रताप सिंह की छत्री	राजनगर, खजुराहो, छतरपुर	उत्तर	छत्री / मकबरा
50	रायमन दाऊ की कोठी (दाऊजी की कोठी)	निवाड़ी	उत्तर	अन्य
51	ढोलिया दरवाजा कोट शहरपाना	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	अन्य
52	धर्म तलैया	कछोआ, शिवपुरी	उत्तर	अन्य
53	हमामखाना	निवाड़ी	उत्तर	अन्य
54	नौनेजू की हवेली	निवाड़ी	उत्तर	अन्य
55	चंदेवा की बावड़ी (बावड़ी, चकचंदैया)	दतिया	उत्तर	बावड़ी
56	प्राचीन बावड़ी	दतिया	उत्तर	बावड़ी
57	पिछौर का किला	शिवपुरी	उत्तर	किला
58	महेबा गेट	छतरपुर	उत्तर	अन्य
59	दिल्ली दरवाजा, चंदेरी	अशोक नगर	उत्तर	अन्य
60	लधेड़ीगेट	ग्वालियर	उत्तर	अन्य
61	साँक नदी पुल (नूराबाद का पूल)	मुरैना	उत्तर	अन्य
62	रामनगर का दरवाजा	ओरछा	उत्तर	अन्य
63	फूलबाग	ओरछा	उत्तर	अन्य
64	तोपखाना	ओरछा	उत्तर	अन्य
65	ऊँटखाना	ओरछा	उत्तर	अन्य
66	तीन दासियों की हवेली	ओरछा	उत्तर	अन्य
67	तात्या टोपे की मूर्ति	शिवपुरी	उत्तर	अन्य
68	नाग मंदिर	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
69	चौसठ योगिनी मंदिर	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	श्रेणी
70	गणेश मंदिर	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
71	समूह के भीमकुंड मंदिर	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
72	सूर्य मंदिर	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
73	आलिया मस्जिद	चंदेरी, अशोक नगर	उत्तर	धार्मिक भवन
74	पंचमुखी महादेव मंदिर	ओरछा	उत्तर	धार्मिक भवन
75	वनवासी मंदिर	ओरछा	उत्तर	धार्मिक भवन
76	राधिका बिहारी मंदिर	ओरछा	उत्तर	धार्मिक भवन
77	शिव मंदिर	शिवपुरी	उत्तर	धार्मिक भवन
78	सवाई सिंह की समाधि	छतरपुर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
79	नयापुरा की छत्री	चंदेरी, अशोक नगर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
80	सूफी संत का मकबरा	चंदेरी, अशोक नगर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
81	देवी सिंह की छत्री	चंदेरी, अशोक नगर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
82	अनिरुद्ध सिंह की छत्री	चंदेरी, अशोक नगर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
83	किशोर सिंह की समाधि	पन्ना	उत्तर	छत्री/ मकबरा
84	मिर्जा राजा का मकबरा	पन्ना	उत्तर	छत्री/ मकबरा
85	राजा मनोहर दास एवं अनिरुद्ध सिंह की छत्री	श्योपुर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
86	ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी	मन्दसौर	पश्चिम	किला
87	बेगम मुमताज महल का मकबरा	बुरहानपुर	पश्चिम	महल
88	खरबुजा महल	धार	पश्चिम	महल
89	बावड़ी क्रमांक 1 और 2 (पुराना सीढ़ीदार कुआँ)	छोटा जाम खुर्द, मऊ, इंदौर	पश्चिम	बावड़ी
90	प्राचीन बावड़ी (पुराना सीढ़ीदार कुआँ)	पानसेमल, बड़वानी, खरगोन	पश्चिम	बावड़ी
91	चतुर्भुज मंदिर	धार	पश्चिम	धार्मिक भवन
92	कालेश्वर	महेश्वर, खरगोन	पश्चिम	धार्मिक भवन
93	ढोलादिरी महादेव मंदिर	मन्दसौर	पश्चिम	धार्मिक भवन
94	शिव मंदिर	अंतरलिया, मंदसौर	पश्चिम	धार्मिक भवन
95	श्रीमंत महाराजा सवाई यशवंत होलकर की छत्री	इंदौर	पश्चिम	अन्य
96	बारादरी	बुरहानपुर	पश्चिम	अन्य
97	कोठारी सराय	धार	पश्चिम	अन्य
98	बावड़ी क्रमांक 3, (सीढ़ीदार कुआँ)	छोटाजाम खुर्द, मऊ, इंदौर	पश्चिम	बावड़ी
99	जीरन की गढ़ी,	जीरन, नीमच	पश्चिम	किला
100	चंद्रावत की गढ़ी	अंतरालिया, मंदसौर	पश्चिम	किला
101	मदन कुई सराय	मांडू, धार	पश्चिम	अन्य
102	जलेश्वर मंदिर	महेश्वर, खरगोन	पश्चिम	धार्मिक भवन
103	केशव मंदिर	महेश्वर, खरगोन	पश्चिम	धार्मिक भवन

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	श्रेणी
104	सूरज मंदिर	खिलचीपुरा, मंदसौर	पश्चिम	धार्मिक भवन
105	फूटा मंदिर	मांडू, धार	पश्चिम	धार्मिक भवन

अनुलग्नक 3.6
(संदर्भः कंडिका 3.4.2)
स्मारकों की सूची जहाँ सुरक्षा बाड़/ दीवार नहीं थी

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	स्मारक का प्रकार
1	रॉक आर्ट साइट	चुरनागुंडी, होशंगाबाद	मध्य	शैल कला
2	सेमली जागीर बावड़ी	लालबड़, राजगढ़	मध्य	बावड़ी
3	मोर पिपली बावड़ी	पिपली, राजगढ़	मध्य	बावड़ी
4	वेधशाला	भूरिटोरी, विदिशा	मध्य	अन्य
5	हांडी रानी की बावड़ी	लालबड़, राजगढ़	मध्य	बावड़ी
6	हाजीवली की दरगाह	बिहार, नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
7	नरसिंहदेव का मंदिर	नरसिंहगढ़, राजगढ़	मध्य	धार्मिक भवन
8	किले के खंडहर	डिंडोरी	पूर्व	किला
9	चित्रित शैलाश्रय	धौलागिरी, बीछी, सिंगरौली	पूर्व	शैल कला
10	चित्रित शैलाश्रय	गोरा पहाड़, बीछी, सिंगरौली	पूर्व	शैल कला
11	चित्रित रॉक आश्रय	गद्दी, रीवा	पूर्व	शैल कला
12	प्राचीन बावड़ी	सिहोरा, जबलपुर	पूर्व	बावड़ी
13	श्री गरूड़ देव मंदिर	गरारू, नरसिंहपुर	पूर्व	धार्मिक भवन
14	पटियान दाई मंदिर	सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
15	विष्णु वराह मंदिर	जबलपुर	पूर्व	धार्मिक भवन
16	आसिफ खान का मकबरा	बिछिया, मंडला	पूर्व	छत्री/ मकबरा
17	यज्ञवेदी स्थल पर प्राचीन मंदिर के अवशेष	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
18	महावीर पहाड़ी का हनुमान मंदिर	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
19	वृद्धाश्रम के पीछे प्राचीन शिव मंदिर	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	धार्मिक भवन
20	सोमेश्वर मंदिर	बरमनकला, करेली, नरसिंहपुर	पूर्व	धार्मिक भवन
21	ब्रम्हाकुंड मंदिर एवं छत्री के पास रॉक–कट गणेश प्रतिमा	सरभंगा, मंझगवां, सतना	पूर्व	शैल कला
22	गढ़ी सुमावली	सुमौली, मुरैना	उत्तर	किला
23	प्राचीन गढ़ी	कछोआ, शिवपुरी	उत्तर	किला
24	जुझार सिंह महल	निवाड़ी	उत्तर	महल
25	मोतीमहल	ग्वालियर	उत्तर	महल
26	पालकी महल	निवाड़ी	उत्तर	महल
27	टीथ विथ रॉक पेंटिंग	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	शैल कला
28	आलिया बावड़ी	अशोकनगर	उत्तर	बावड़ी
29	शांतिनाथ मंदिर (जैन मंदिर)	छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
30	शिव मंदिर	भिंड	उत्तर	धार्मिक भवन
31	लालपीर	अशोकनगर	उत्तर	धार्मिक भवन
32	धूमेश्वर महादेव मंदिर	ग्वालियर	उत्तर	धार्मिक भवन
33	शिव मंदिर	किले के अंदर, निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
34	लक्ष्मी मंदिर	निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
35	गुसाई का मठ	निवाड़ी	उत्तर	धार्मिक भवन
36	छत्री हौज खास	अशोकनगर	उत्तर	छत्री/ मकबरा
37	महाराजा किशोर सिंह की पत्नी का मकबरा	पन्ना	उत्तर	छत्री/ मकबरा

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	क्षेत्र	स्मारक का प्रकार
38	भरत शाह की छत्री	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
39	रायमन दाऊ की कोठी (दाऊजी की कोठी)	निवाड़ी	उत्तर	अन्य
40	धर्म तलैया	कछोआ, शिवपुरी	उत्तर	अन्य
41	हमाम खाना	निवाड़ी	उत्तर	अन्य
42	चंदेवा की बावड़ी (बावड़ी, चकचंदैया)	दतिया	उत्तर	बावड़ी
43	प्राचीन बावड़ी	अस्पताल परिसर, दतिया	उत्तर	बावड़ी
44	पिछौर का किला	पिछौर, शिवपुरी	उत्तर	किला
45	हृदयशाह पैलेस	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	महल
46	महेबा गेट	महेबा, छतरपुर	उत्तर	अन्य
47	दिल्ली दरवाजा	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	अन्य
48	लधेड़ी गेट	ग्वालियर	उत्तर	अन्य
49	साँक नदी पुल (नूराबाद का पूल)	नूराबाद, मुरैना	उत्तर	अन्य
50	रामनगर का दरवाजा	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	अन्य
51	तोपखाना	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	अन्य
52	ऊँटखाना	ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	अन्य
53	तात्या टोपे की मूर्ति	शिवपुरी	उत्तर	अन्य
54	नाग मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
55	चौसठ योगिनी मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
56	गणेश मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
57	समूह के भीम कुंड मंदिर	मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	धार्मिक भवन
58	शिव मंदिर	चोरपुरा, शिवपुरी	उत्तर	धार्मिक भवन
59	सवाई सिंह की समाधि	सुहानिया, नौगाव, छतरपुर	उत्तर	छत्री / मकबरा
60	नयापुरा की छत्री	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
61	सूफी संत का मकबरा	चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	छत्री / मकबरा
62	किशोर सिंह की समाधि	सर्किट हाउस, पन्ना	उत्तर	छत्री / मकबरा
63	गन्ना बेगम का मकबरा	नूराबाद, मुरैना	उत्तर	छत्री / मकबरा
64	राजा मनोहर दास एवं अनिरुद्ध सिंह की छत्री	श्योपुर	उत्तर	छत्री / मकबरा
65	ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी	मन्दसौर	पश्चिम	किला
66	रॉक–कट गुफाएँ और मंदिर समूह	पोलाडोंगर, मंदसौर	पश्चिम	शैल कला
67	बावड़ी क्रमांक 1 और 2, (पुराना सीढ़ीदार कुआँ)	छोटाजाम खुर्द, मऊ, इंदौर	पश्चिम	बावड़ी
68	प्राचीन बावड़ी (पुराना सीढ़ीदार कुआँ)	पानसेमल, बड़वानी, खरगोन	पश्चिम	बावड़ी
69	चतुर्भुज मंदिर	धार	पश्चिम	धार्मिक भवन
70	शिव मंदिर	अंतरलिया, मंदसौर	पश्चिम	धार्मिक भवन
71	बावड़ी क्रमांक 3, (सीढ़ीदार कुआँ)	छोटा जाम खुर्द, महू, इंदौर	पश्चिम	बावड़ी
72	चंद्रावती की गढ़ी	अंतरालिया, मंदसौर	पश्चिम	किला
73	राजवाड़ा पैलेस	इंदौर	पश्चिम	महल
74	मदनकुई सराय	मांडू, धार	पश्चिम	अन्य
75	सूरज मंदिर	खिलचीपुरा, मंदसौर	पश्चिम	धार्मिक भवन
76	भानु टिकैत की छत्री	जीरन, नीमच	पश्चिम	छत्री / मकबरा
77	शहजादा परवेज का मकबरा	बुरहानपुर	पश्चिम	छत्री / मकबरा
78	रोशनबाग महल	मांडू, धार	पश्चिम	महल
79	मालकम कोठी	नालचा, धार	पश्चिम	अन्य

अनुलग्नक 3.7
(संदर्भः कंडिका 3.4.3)
स्मारकों की सूची जहाँ संयुक्त भौतिक निरीक्षण में अतिक्रमण देखा गया

क्रमांक	स्मारक का नाम	क्षेत्र	निरीक्षण निष्कर्ष
1	गौंड महल, इस्लामनगर, भोपाल	मध्य	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
2	सेमली जागीर बावड़ी, लालबड़, राजगढ़	मध्य	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
3	मोर पिपली बावड़ी, पिपली, राजगढ़	मध्य	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
4	नरसिंह देव का मंदिर, नरसिंहगढ़	मध्य	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
5	पुराना गौंडकाल का राज महल, पिथरा, नरसिंहपुर	पूर्व	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
6	गढ़ी, गुढ़–रीवा	पूर्व	गढ़ी के आसपास 100 मीटर के दायरे में दुकान का निर्माण किया गया है और सरकारी परिसर के अंदर स्कूल चल रहा है।
7	पांडवमठ, नोनिया, नरसिंहपुर	पूर्व	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा हुआ है।
8	विष्णुवराह मंदिर, मझोली, जबलपुर	पूर्व	स्थानीय लोगों द्वारा मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है, मंदिर में एक गौशाला मिली है और आसपास विभिन्न दुकानें मिली हैं।
9	गरुड़ स्तंभ, बर्मन कला, नरसिंहपुर	पूर्व	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
10	किले का खंडहर, डिंडोरी	पूर्व	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
11	आसिफ खान का मकबरा, बिछिया, मंडला	पूर्व	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
12	वृद्धाश्रम के पीछे प्राचीन शिव मंदिर	पूर्व	स्मारक एक पुराने वृद्धाश्रम परिसर के अंदर था।
13	मोतीमहल, राजमहल, मंडला	पूर्व	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
14	विष्णु मंदिर (सूरज मंदिर), राजमहल, मंडला	पूर्व	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
15	सोमेश्वर मंदिर, बरमनकला, नरसिंहपुर	पूर्व	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
16	पचमाथा मंदिर, सिंहपुर, सोहागपुर	पूर्व	स्मारक परिसर के अंदर नए मंदिर का निर्माण किया गया था।
17	पालकी महल, ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	यह नगर परिषद, ओरछा के कब्जे में है और इसके कर्मचारी इस स्मारक का उपयोग निवास के रूप में कर रहे थे। स्मारक से सटे एक स्थानीय बाजार भी नगर परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा था।
18	मोती महल, ग्वालियर	उत्तर	कुल 536 कमरों में से केवल पाँच कमरे ही विभाग के कब्जे व संरक्षण में हैं। शेष भवन का उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है ।
19	गुजरी महल, ग्वालियर	उत्तर	स्मारक का उपयोग क्यूरेटर, संग्रहालय, ग्वालियर के कार्यालय के रूप में किया जाता है । स्मारक से सटे, स्थानीय निवासियों ने अपने घरों का निर्माण किया था। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने स्मारक के भीतर फ्लैश लाइटिंग के लिए पोल बनवाए।
20	गढ़ी, सुमावली, मुरैना	उत्तर	स्थानीय लोगों द्वारा निवास के रूप में उपयोग किया जाता है।
21	शांतिनाथ मंदिर, जैन मंदिर	उत्तर	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
22	शिवमंदिर, ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	स्थानीय लोगों द्वारा पशु आहार भंडारण के लिए उपयोग किया जाना पाया गया।
23	प्राचीन मंदिर (सीतामढ़ी महल के पीछे), ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण।
24	महाराजा प्रताप सिंह की छत्री, खजुराहो	उत्तर	स्मारक के अंदर एक कैफे संचालित है एवं विभिन्न दुकानें भी संचालित थीं ।
25	हमामखाना, ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	स्मारक का मवेशी शेड के रूप में इस्तेमाल।
26	ढोलिया दरवाजा, चंदेरी	उत्तर	स्मारक पर स्थानीय दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण।
27	धूमेश्वर महादेव मंदिर, ग्वालियर	उत्तर	स्थानीय निवासियों की दुकानों और घरों से घिरा देखा गया।

क्रमांक	स्मारक का नाम	क्षेत्र	निरीक्षण निष्कर्ष
28	महाराजा किशोर सिंह की पत्नी का मकबरा, पन्ना	उत्तर	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
29	सूफी मकबरा, खानकाह, दरगाह, शाह विलायत परिसर, चंदेरी, अशोकनगर	उत्तर	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।
30	गुसाई का मठ, निवाड़ी	उत्तर	स्मारक के अंदर दुकान संचालित थी और स्मारक का उपयोग नगर परिषद, ओरछा के कर्मचारियों द्वारा निवास के रूप में किया जाता था।
31	नाग मंदिर, मऊ, नौगाँव, छतरपुर	उत्तर	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा था।
32	सूर्य मंदिर, छतरपुर	उत्तर	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा था।
33	दिल्ली दरवाजा, चंदेरी	उत्तर	स्मारक के पास दुकान संचालित थी और स्थानीय विक्रेताओं द्वारा स्मारक पर अतिक्रमण।
34	नयापुरा की छत्री, चंदेरी	उत्तर	स्मारक के 100 मीटर के दायरे में दुकान संचालित थी।
35	देवी सिंह की छत्री, चंदेरी	उत्तर	स्थानीय किसानों द्वारा अतिक्रमण।
36	पुरानी कचहरी, चंदेरी	उत्तर	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा था।
37	लधेड़ीगेट, ग्वालियर	उत्तर	परिसर के अंदर नगर निगम ग्वालियर द्वारा पानी टंकी का निर्माण कराया गया था।
38	साँक नदी पुल, नूराबाद, मुरैना	उत्तर	स्मारक पर पानी की आपूर्ति के लिए पाइप लगाए गए थे और स्मारक के 100 मीटर के भीतर पंप हाउस देखा गया था।
39	गन्नाबेगम का मकबरा, नूराबाद, मुरैना	उत्तर	स्थानीय किसानों द्वारा अतिक्रमण।
40	राजा मनोहरदास एवं अनिरुद्ध सिंह की छत्री, श्योपुर	उत्तर	स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर निवास के रूप में उपयोग किया जाता है।
41	चंदेवा की बावड़ी, दतिया	उत्तर	स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर निवास के रूप में उपयोग किया जाता है।
42	प्राचीन बावड़ी, अस्पताल परिसर, दतिया	उत्तर	स्मारक के भीतर एक कैंटीन/ भोजनालय संचालित था।
43	चतुर्भुज मंदिर, ओरछा	उत्तर	स्मारक के बगल में दुकानें देखी गयी।
44	फूलबाग, ओरछा	उत्तर	स्मारक के बगल में दुकानें देखी गयी।
45	सुपारी साव महल, ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण।
46	हाथी साव महल, ओरछा, निवाड़ी	उत्तर	स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण।
47	पिछोरे किला, पिछोर, शिवपुरी	उत्तर	स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर निवास के रूप में उपयोग किया जाता है।
48	किशोर सिंह की समाधि, पन्ना	उत्तर	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा हुआ था।
49	ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी, मंदसौर	पश्चिम	स्थानीय लोग इसे मवेशियों के चारे के भंडार के रूप मे उपयोग कर रहे थे।
50	प्राचीन बावड़ी, 1 एवं 2 छोटीजाम, महू, इंदौर	पश्चिम	बावड़ी को सीमेंट कंक्रीट से ढक दिया गया था और बावड़ी के आस पास पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया गया था।
51	चतुर्भुज मंदिर, अमझेड़ा, धार	पश्चिम	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा हुआ था।
52	शिवमंदिर, अंतरलिया, मंदसौर	पश्चिम	स्थानीय किसानों के द्वारा मंदिर पर अतिक्रमण।
53	हिंगलाज गढ़ दुर्ग, मंदसौर	पश्चिम	स्मारक पर स्थानीय दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है।
54	प्राचीन बावड़ी, पानसेमल, जिला बड़वानी	पश्चिम	स्थानीय किसानों के द्वारा अतिक्रमण।
55	केशव मंदिर, महेश्वर	पश्चिम	स्मारक के 100 मीटर के दायरे में मकान देखे गए।
56	सूरज मंदिर, खिलचीपुरा, मंदसौर	पश्चिम	स्मारक के 100 मीटर के दायरे में मकान देखे गए।
57	शहजादा परवेज का मकबरा, बुरहानपुर	पश्चिम	स्मारक के 100 मीटर के दायरे में दुकानें देखी गईं।
58	बुले सरकार की छत्री, इंदौर	पश्चिम	स्मारक के 100 मीटर के दायरे में मकान देखे गए।

क्रमांक	स्मारक का नाम	क्षेत्र	निरीक्षण निष्कर्ष
59	लालबाग पैलेस और चंपा बावड़ी, इंदौर	पश्चिम	स्मारक परिसर के अंदर अप्रयुक्त पुराने वाहन खड़े थे।
60	उडाजी पवार के राजा की छत्रियाँ, धार	पश्चिम	स्मारक का उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा निवास के रूप मे किया जाता था।
61	शहीद बख्तावर सिंह स्मारक व गढ़ी, अमझेड़ा, धार	पश्चिम	स्मारक के भीतर स्कूल, आँगनवाड़ी संचालित थे। आस पास दुकानें और स्थानीय लोगों के आवास थे।
62	प्राचीन किला लूनेरा की सराय, लूनेरा, मांडू, धार	पश्चिम	स्मारक के 100 मीटर के दायरे में स्कूल संचालित थे।
63	किला सेंधवा, सेंधवा	पश्चिम	स्मारक के अंदर विभिन्न कार्यालय और दुकानें संचालित थीं और स्मारक का उपयोग निवास के रूप में किया जाता था।
64	चंद्रावत की गढ़ी, अंतरलिया, मंदसौर	पश्चिम	स्थानीय निवासियों के घरों से घिरा देखा गया।

अनुलग्नक 3.8
(संदर्भः कंडिका 3.7)
असंरक्षित स्मारकों पर किए गए अनियमित व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

क्रमांक	स्मारक का नाम	स्थान और जिला	स्वीकृत राशि	व्यय
1	कार्तिक घाट	सिरोंज, विदिशा	14.50	14.48
2	सिकंदरी दरवाजा	सदर मंजिल, भोपाल	3.41	2.84
3	काला दरवाजा	भोपाल	4.00	3.88
4	ताजमहल के पास प्राचीन दरवाजा और दाखिल दरवाजा	भोपाल	20.00	19.87
5	जुमेराती दरवाजा	भोपाल	3.00	2.95
6	ताला कुंजी बावड़ी	महिदपुर, उज्जैन	9.16	9.14
7	प्राचीन बावड़ी	नवीन नगर, ऐशबाग भोपाल	8.96	8.72
8	गिन्नौर गढ़ की बावड़ी	सीहोर	9.70	8.99
9	बड़े बाग की बावड़ी	सीहोर	5.00	4.38
10	अजब कुँवर की बावड़ी	रीवा	8.50	8.31
11	प्राचीन बावड़ी कुँवर मठ	जासो, सतना	4.40	4.37
12	मस्तानी महल	धुबेला, छतरपुर	12.86	8.74
13	शीतल गढ़ी	धुबेला, छतरपुर	82.45	73.01
14	पहलवान का मकबरा	सारंगपुर, राजगढ़	12.62	7.96
15	भूतेश्वर महादेव मंदिर, कराडिया महाराज	नीमच	10.00	6.81
16	देवनारायण मंदिर	चीताखेड़ा, नीमच	10.00	6.80
17	बागरा तवा का किला	बाबई, होशंगाबाद	60.00	38.61
	कुल		**278.56**	**229.86**

©भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/hi